वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

पवन हंस लिमिटेड

(पूर्ववर्ती पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड)

हमारा ध्येय

कम खर्च

और

अधिक उड़ान

पूर्ण

सतर्कता का

एलान

तालिका

- निदेशक मंडल 4
- प्रबंध समूह 5
- सूचना 6
- सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश 7
- निदेशकों की रिपोर्ट 11
- प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 28
- मुख्य वित्तीय अंश 35
- संक्षिप्त लेखे 37
- वर्ष के खाते 39
- कैश फ्लो विवरण 76
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 77
- भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणी 92

निदेशक मण्डल

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

एस. मछेन्द्रनाथन
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय

अरूण मिश्र
नागर विमानन महानिदेशक

जी. असोक कुमार
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

पी. के. बरठाकुर
निदेशक (ऑफ-शोर)
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

ए. वी. एम. एस.आर.के. नायर
ए. सी. ए. एस. (ऑप्स व टी एंड एच)
वायु सेना मुख्यालय

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री अनिल श्रीवास्तव, भा. प्र. से.
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री प्रभात कुमार, भा. रा. से.
कार्यपालक निदेशक	श्री संजीव बहल
महाप्रबंधक (का एवं प्रशा)	श्री दीपक कपूर
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्री सुबीर के. दास
महाप्रबंधक (परिचालन)	एअर कमोडोर (सेवानिवृत) आलोक कुमार
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)	श्री संजीव अग्रवाल
महाप्रबंधक (विपणन)	श्री संजय कुमार
प्रभारी (अभियांत्रिकी)	श्री एम.पी. सिंह
उप महाप्रबंधक (इन्फोकॉम सर्विसेज)	श्री संजीव राजदान
उप महाप्रबंधक (सामग्री)	श्री एस.के. शर्मा
संरक्षा प्रमुख	श्री एम.एस. बूरा
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र)	श्री एम. श्रीकुमार

पंजीकृत कार्यालय
सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली – 110 003

प्रधान कार्यालय
सी–14, सेक्टर–1
नोएडा–201301

क्षेत्रीय कार्यालय

पश्चिम क्षेत्र
जुहू ऐरोड्रोम
एस.वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई – 400 056

उत्तरी क्षेत्र
सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली – 110 003

पूर्वी क्षेत्र
3रा तल, होटल राजश्री इन
वीआईपी रोड, एलजीबीआई
एअरपोर्ट, गुवाहाटी, कामरूप (मेट्रो)
असम – 781015

लेखापरीक्षक
मैसर्स खन्ना एवं आनंद्म
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स लखानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
मुम्बई

बैंकर्स
विजया बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक

28वें वार्षिक सामान्य बैठक के लिए सूचना

सेवा में,
समस्त अंशधारक
पवन हंस लिमिटेड

सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को 4.00 बजे सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निम्नांकित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :-

सामान्य कार्य

1. लेखों का अंगीकरण

   यथास्थिति 31.03.2013, दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षाकृत तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाता तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी तथा निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना तथा उसे अंगीकार करना।

2. लाभांश की घोषणा

   विचारार्थ और यदि उपयुक्त धारणा हो निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में आशोधन के साथ या उसके बिना पारित करने के लिए

   ''संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी के शेयरधारकों को ₹ 245.61 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर कर पश्चात शुद्ध लाभ (अर्थात् ₹ 11.70 करोड़) के 20% की दर पर ₹ 2,33,96,400.00 के लाभांश राशि की एतद्द्वारा घोषणा की जाती है।''

पवन हंस लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

नई दिल्ली
26 नवम्बर, 2013

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

टिप्पणी :

क) ऐसे सदस्य जो इस बैठक में भाग लेने व मत देने के पात्र हैं, अन्य परोक्षी व्यक्ति को भी नियुक्त करने के पात्र हैं, जिन्हें कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी व्यक्ति के नामांकन बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एक रिक्त परोक्षी फॉम संलग्न है।

पंजीकृत कार्यालय:
सफदरजंग एअरपोर्ट,
नई दिल्ली-110003
कारपोरेट आईडेन्टिटी नम्बर (सीआईएन): यू 62200डीएल1985जीओआई022233

सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय सदस्यों,

मैं आपकी कंपनी के 28वें वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2012-13 का वार्षिक रिपोर्ट वितरित किया जा चुका है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मानता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 चुनौतियों का वर्ष रहा और कम्पनी ने विगत वर्ष में घटित हानियों से उबरने का प्रयास किया। वित्तीय वर्ष 2011-12 कंपनी के इतिहास में एक बुरा वर्ष रहा और कंपनी को अपनी स्वस्थ उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। पिछले वर्ष के 31,240 घंटों की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल उड़ान घंटे 30,310 रहे। ये आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक नहीं है यदि हम हानियों को देखें, जो कंपनी को वर्ष 2011-12 में उठानी पड़ी, परन्तु यदि हम राजस्व के आंकड़ों को देखें तो जो तस्वीर उभरकर आती है वह अधिक उत्साहवर्धक है। दिनांक 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेलीकॉप्टरों की औसत मासिक तैनाती 46 हेलीकॉप्टरों के बेड़े के आकार में से 31 हेलीकॉप्टरों की रही और कंपनी के पास मेसर्स एचएएल के साथ बीएसएफ (एमएचए) के स्वामित्व वाले 5 ध्रुव हेलीकॉप्टरों के परिचालन व अनुरक्षण का अनुबंध रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान बेड़े की सेवा प्रयोज्यता विगत वर्ष के 81% की तुलना में 83% रही।

वर्ष 2012-13 के दौरान परिचालन राजस्व विगत वर्ष के ₹ 428.86 करोड़ की तुलना में ₹ 465.25 करोड़ रही। हमने डॉफिन एन/एन3 के लिए ब्रिटिश गैस, मेघालय सरकार, मिजोरम, उड़ीसा, महाराष्ट्र (गढ़चिरौली) और असम से वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही से नए अनुबंध सुनिश्चित किए और दो नए एमआई 172 हेलीकॉप्टरों (अगस्त 2012 में अर्जित) की हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों को क्रमशः दिनांक 03 और 18 जनवरी, 2013 से प्रतिस्पर्धी दरों पर तैनाती की गई।

वर्ष 2012-13 के लिए शुद्ध परिचालन राजस्व वर्ष 2011-12 के ₹ 6.27 करोड़ की तुलना में 39.64 करोड़ रहा। इस वर्ष आपकी कंपनी ने विगत वर्ष के ₹ 10.35 करोड़ की शुद्ध हानि के विरूद्ध ₹ 11.70 करोड़ के शुद्धलाभ के सर्वस्व पूर्ण परिवर्तन के लिए प्रबंध किया।

वर्ष 2012-13 में पूर्ण परिवर्तन की रणनीति के भाग के रूप में अनेक रूपांतरण कार्यक्रम और लागत में कटौती के कदम तत्काल अप्रैल, 2012 से उठाए गए। ₹ 3.20 करोड़ की समयोपरि बचत और ₹ 6.20 करोड़ के विज्ञापन, यात्रा व्यय, टीए/डीए मदों और कारोबार संवर्धन व्यय की बचत के साथ प्राथमिक रूप में ₹9.40 करोड़ के रूप में लागत कटौती पहलों के परिणामस्वरूप व्यय में पर्याप्त कमी आई है। यह यात्रा व्यय में कटौती के लिए कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन की बैठक/चर्चाओं की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने हेतु प्रोत्साहित करने से और बेसों में अतिथिशालाओं की स्थापना/होटलों को सूचीबद्ध करने के माध्यम से अर्जित किया जा सका। इंवेंट्री बजट के सूक्षम व प्रभावी नियंत्रण के लिए इंवेंट्री प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया। हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता में देरी से बचे जाने के लिए ओएनजीसी के लिए हेलीकॉप्टरों की तैनाती पर सख्त नियंत्रण के लिए समय अनुसूची है। परिचालनगत दक्षता सुधारने और एमआईएस के लिए समस्त बेंसों को कंप्यूटर प्रणाली में दैनिक मालसूची की

प्रविष्टि का निर्देश दिया गया है। विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों पर पाइलटों के क्रॉस कंवर्जन को प्रोत्साहित किया गया जिसके चलते उनका दक्षतापूर्ण उपयोग और प्रत्येक प्रकार के बेड़े पर सीएआर के अनुसार प्रति पाइलट बढ़े हुए उड़ान घंटे की प्राप्ति हुई। एफटीएल/एफडीटीएल की केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली से निगरानी। पूर्वोत्तर क्षेत्र पर समुन्नत फोकस के लिए पूर्वी क्षेत्र का सृजन। निम्न निष्पादक क्रू पाइलटों की छंटनी। अधिकारियों के लिए मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्यों के साथ कर्मचारियों के प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही निश्चित की गई। कुल हानि के न्यूनीकरण और बेहतर राजस्व सृजन के लिए ओएनजीसी हेतु हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता में एओजी और प्रस्थान में विलम्ब से बचने के लिए सख्त नियंत्रण/निगरानी/बकाया राशि की शीघ्रता से उगाही के लिए एक समर्पित दल आरंभिक रूप से उत्तर पूर्व के राज्यों हेतु गठित की गई।

इसी प्रकार की नई कारोबारी पहल 2012-13 में विगत वित्तीय वर्ष के ओएनजीसी की निविदाओं के पश्चात उठाई गई जिसके कारण 6 डॉफिन एन/एन 3 हेलीकॉप्टरों की तैनाती नहीं हो सकी थी व जिसे नए ग्राहकों यथा ब्रिटिश गैस, जीएआईएल, महाराष्ट्र सरकार, उड़ीसा सरकार आदि और 2011 के झटकों के पश्चात उत्तर पूर्व क्षेत्र में नई शुरूआतों, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और सिक्किम से अनुबंध के बाद अतिरिक्त तैनाती से उबर पाया गया।

वर्ष 2011-12 के ₹229.95 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी की आरक्षितियां और अधिशेष 238.91 करोड़ रहे। विगत वर्ष के ₹232.83 करोड़ की तुलना में यथास्थिति दिनांक 31.03.2013 दीर्घावधि का उधार ₹274.69 करोड़ रहा। कंपनी की रेटिंग स्टेबल इंडिया ए से सुधरकर स्टेबल इंडिया ए+ हो गई है। यह बेहतर परिचालन प्रदर्शन और संरक्षा पहलों के कारण संभव हुआ है।

कंपनी के कुल परिचालन राजस्व का लगभग 85% प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से प्राप्त अनुबंधों से आता है। हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता के लिए ओएनजीसी द्वारा अधिरोपित 5 वर्ष विंटेज की दशा कंपनी की चिंता का कारण है क्योंकि कंपनी को पुन: नए मध्यम हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता वर्ष 2015-16 व बाद में ओएनजीसी के भविष्य की निविदाओं के लिए होगी। इस मुद्दे पर कंपनी के निदेशक मंडल ने ध्यान किया कि आरंभ से ही ओएनजीसी पुराने और नए हेलीकॉप्टरों के बेड़े का उपयोग करता रहा है और अब हेलीकॉप्टरों के 5 वर्ष तक की विंटेज की खंड शर्त मुख्यत: उद्योग के नवागतों के अनुकूल है। नए हेलीकॉप्टरों पर ब्याज और ह्रास के बढ़े प्रभाव के कारण 5 वर्ष विंटेज की दशा का बड़ा प्रभाव कीमत निर्धारण पर पड़ेगा। भारत में तेल अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में प्रचलित निम्न हेलीकॉप्टर चार्टर दरों के कारण विदेशी प्रचालक अपतटीय निविदाओं के लिए बोली नहीं लगा रहे हैं। 5 वर्ष की विंटेज अत्यंत सख्त है और कहें कि इसे बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाना आवश्यक है। ओएनजीसी के अनुबंध से बाहर कर दिए गए विद्यमान डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों को वर्ष 2007 में ओएनजीसी के लिए पर्याप्त पूंजीगत लागत से संरक्षा उपस्करों के संस्थापन द्वारा पूर्णतया विमानन मानक-4 सक्षम बनाया गया और उनकी पूर्ण तैनाती कंपनी की चिंता का मुख्य कारण है। डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों की एयरवर्दीनेस डीजीसीए से अनुमोदित है और इस मामले को नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से ओएनजीसी/तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष रखा गया तथापि ओएनजीसी सहमत नहीं हुआ। डॉफिन एन हेलीकाप्टरों की 25 वर्ष से अधिक की विंटेज दशा के कारण ये हेलीकॉप्टर बाजार के वर्तमान/भविष्य के विभिन्न ग्राहकों के मध्य त्वरित स्वीकार्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार की समस्या का सामना 16 वर्ष पुराने तीन बेल 206 एल 4 हेलीकॉप्टरों के संबंध में किया जा रहा है।

विगत वर्ष की समान अवधि में 16,253 घंटों व ₹223.89 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 30.09.2013 को समाप्त वित्तीय

वर्ष 2013-14 के पूर्वार्ध में कुल उड़ान घंटे व परिचालन राजस्व क्रमशः 15,919 घंटे व ₹ 245.30 करोड़ थे। 3 नई परिचालन/सेवाएं आईआईटी कानपुर/पश्चिम बंगाल और अमरनाथ जी से क्रमशः दिनांक 30.05.2013, 16.06.2013 और 28.06.2013 को प्रारंभ हुए। उसी प्रकार विगत वर्ष के ₹16.34 करोड़ और ₹3.28 करोड़ के विरूद्ध समान अवधि में दिनांक 30.09.2013 को समाप्त अवधि के लिए परिचालन राजस्व और कर पश्चात शुद्ध लाभ क्रमशः ₹18.75 करोड़ और ₹4.25 करोड़ थे। हेलीकॉप्टरों के बेड़े पर दिनांक 01.08.2013 से दिनांक 31.07.2014 की अवधि के लिए विगत वर्ष में इंश्योरेंस प्रीमियम में पर्याप्त रूप से ₹5.81 करोड़ (अर्थात 20% इंश्योरेंस लागत में शुद्ध कटौती) की कमी आई है। इसके अतिरिक्त जून, 2013 में उत्तराखंड की बाढ़ में आपकी कंपनी ने पांच हेलीकॉप्टरों को राहत अभियानों के लिए उपलब्ध कराया और 141 घंटे परिचालित हुए 1046 यात्रियों को बचाया गया और 6990 किलोग्राम खाद्य/दवाएं वहन की गई।

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2012-17) के दौरान पवन हंस से संबधित योजना आयोग के अनुमोदित अनुमान हैं आईईबीआर के माध्यम से ₹725 करोड़ की कुल राशि से 10 हेलीकॉप्टरों और 02 सीप्लेन का अर्जन, उपकरणों का आयात, अनुरक्षण केंद्रों का सृजन/संयुक्त उपक्रम, भवन परियोजनाएं और अन्य। पीएचएल ने ₹1189 करोड़ की लागत से 22 हेलीकॉप्टरों और 02 सीप्लेनों के अर्जन द्वारा बेड़े को और बढ़ाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आंकलनों को परिवर्तित किया है। परिवर्तित योजना को नागर विमानन मंत्रालय को आगे योजना आयोग से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

नई कारोबारी पहलों के लिए कंपनी अंडमान व निकोबार तथा पश्चिम बंगाल में सी प्लेन परिचालनों को प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है। उत्तर पूर्व और पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार को देखते हुए कंपनी ने गुवाहटी मुख्यालय के साथ पूर्वी क्षेत्र का सृजन किया है।

कंपनी ने रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया है और रोहिणी में मूलभूत हेलीपैड सुविधाओं का सृजन किया जा चुका है। रोहिणी हेलीपोर्ट परियोजना के लिए डीडीए से आवश्यक अनापति प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कंपनी को पुणे के हडप्पसर में हेलीकॉप्टर पाइलट प्रशिक्षण संस्थान और हेलीपोर्ट के विकास का कार्य सौंपा गया है। हेलीपैडों और हैंगर के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और जनवरी, 2014 तक पूरा होने की संभावना है।

पवन हंस ने संरक्षा पहल के लिए आईसीए/डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालन व अनुरक्षण गतिविधियों में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) क्रियान्वित करके चार में से दो चरणों में एसएमएस क्रियान्वित किया है। एक नए संरक्षा पर्यवेक्षण विभाग का सृजन किया गया है और कंपनी में एक स्वैच्छिक प्रतिवेदन प्रणाली तथा जोखिम प्रतिवेदन प्रणाली प्रवर्तित की गई है। हेलीकॉप्टर प्रचालनों का विश्लेषण और अनुवीक्षण करने हेतु कंपनी ने एफओक्यूए (उड़ान प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) आरंभ किया है। संरक्षा को मुख्य क्रियाकलाप के रूप में सम्मिलित करने हेतु कंपनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित किया गया है।

कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन के दिशानिर्देशों को अंगीकार किया है और अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे तथा कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों से नियमित बैठकें हुई।

प्रबंधन में अपना विश्वास जताने के लिए मैं इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कम्पनी के प्रभावी प्रबंधन में मैं भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय और इसके विभिन्न अभिकरणों के समर्थन और मार्गदर्शन के

लिए कृतज्ञ हूँ। मैं गंभीरता पूर्वक ओएनजीसी, जीएआईएल, जीएसपीसी, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ब्रिटिस गैस, गृह मंत्रालय, बीएसएफ, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, ओड़ीसा, अंडमान व निकोबार द्वीप और लक्ष्यद्वीप की राज्य सरकारों को कंपनी के परिचालन में विश्वास जताने की सराहना करता हूँ और कंपनी की प्रगति में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की।

(अनिल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 18.12.2013

माननीय नगर विमानन मंत्री श्री अजित सिंह सचिव, नागर विमानन श्री अशोक लवासा की उपस्थिति में श्री अनिल श्रीवास्तव, अप्रनि, पवन हंस से लाभांश चेक ग्रहण करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट

अंशधारक,

सज्जनों,

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की, कम्पनी की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1. *परिचालन*

क) परिचालनात्मक परिणाम

कम्पनी सांस्थानिक ग्राहकों मुख्यत: तेल उद्योग तथा सरकारी क्षेत्र के साथ अच्छे दीर्घावधि अनुबन्ध सुदृढ़ रखने में सफल रही है।

हेलीकॉप्टरों का राजस्व घन्टे तथा औसत मासिक डिप्लॉयमेन्ट निम्नवत है:-

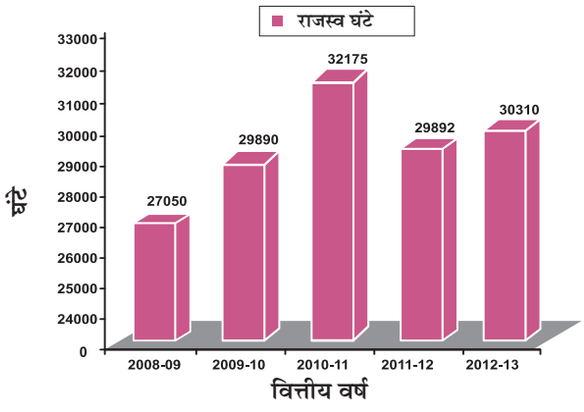

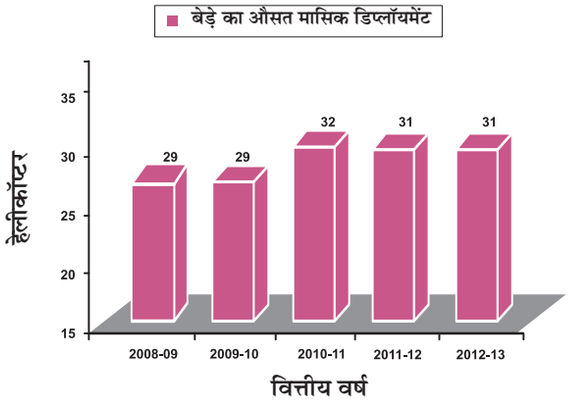

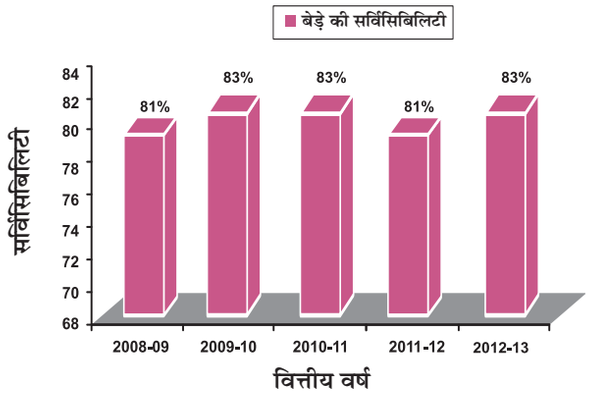

46 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में से 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान हेलीकॉप्टरों का औसतन मासिक डिप्लॉयमेंट 31 हेलीकॉप्टर था, (1 बेल 407 जो दिनांक 30.12.2012 को कटरा में दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ को छोड़कर)। गतवर्ष की बेड़े की सर्विसिबिलिटी औसत 81% की तुलना में इस वर्ष 83% था। विगत वर्ष के कुल उड़ान घंटों 31,240 की तुलना में कुल उड़ान घंटे 31, 683 थे।

ख) बेड़े का विवरण

31.03.2013 को कंपनी के प्रचालन बेड़े का विवरण निम्नवत है:-

हेलीकॉप्टर का प्रकार	**हेलीकॉप्टरों की संख्या**	**औसत आयु (वर्ष)**
डॉफिन एसए 365 एन	18	28
डॉफिन एएस 365 एन 3	17	8
बेल-407	3	8
बेल 206 एल 4	3	16
एएस 350 बी 3	2	2
एमआई -172	3	5
कुल	46	

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने सीमा सुरक्षा बल के स्वामित्व के 05 ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए

जुहू एयरोड्रम मुंबई में अपतटीय परिचालनों के लिए तैयार डॉफिन हेलीकॉप्टर का बेड़ा

मेसर्स एचएएल के साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण का संविदा किया। इन हेलीकॉप्टरों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है। कंपनी ने एक डॉफिन हेलीकॉप्टर को भी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराया है।

कंपनी को अगस्त 2012 के अंत में दो नए एमआई 172 हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए, जिससे कुल प्रचालन बेड़े में 46 हेलीकॉप्टर हैं।

ग) बेड़े का डिप्लॉयमेंट

पवन हंस ओएनजीसी के मुम्बई में स्थित अपतटीय प्लेटफार्मों के ड्रिलिंग रिंगों पर कर्मचारियों और आवश्यक सामग्री को पहुँचाने के लिए अहर्निश हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती आई है। पवन हंस मुम्बई से 130 नाटि. मील त्रिज्या के अन्दर ओएनजीसी के रिगों (मुख्य प्लेटफॉर्म तथा ड्रिलिंग रिगों) और उत्पादन प्लेटफॉर्मों (कुओं) में परिचालन करता है। ओएनजीसी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के तहत 5 वर्ष विंटेज वाले अदद 7 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों को उत्पादन कार्य अनुबंध हेतु उपलब्ध कराने की निविदा पवन हंस को प्रदान की गई और सभी अदद 7 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर ओएनजीसी को अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के मध्य ओएनजीसी के पास तैनात किए गए। दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 10 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर ओएनजीसी के पास उसके अपतटीय कार्य के लिए अनुबंधित हैं जिसमें से 02 डॉफिन हेलीकॉप्टर हर समय आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए नाईट एम्बुलेन्स के अतिरिक्त मुख्य प्लेटफार्म पर तैनात रहते हैं।

कंपनी अनेक राज्य सरकारों नामत: मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश गृह मंत्रालय, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्ष्यद्वीप द्वीप प्रशासन को हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी एनटीपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और जीएआईएल, जीएसपीसी, ब्रिटिश गैस आदि को भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है।

ब्रिटिश गैस, मेघालय सरकार और मिजोरम सरकार के साथ 3 नई हेलीकॉप्टर सेवाएं क्रमश: दिनांक 16.06.2012, 26.07.2012 और 14.08.2012 को प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त

अदद 1 डॉफिन एन को असम सरकार के पास अल्पावधि के लिए तैनात किया गया और अदद 2 नए एमआई-172 हेलीकॉप्टरों को दिनांक 03री जनवरी, 2013/18वीं जनवरी 2013 के प्रभाव से क्रमश: हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश सरकार के पास तैनात किया गया। दिनांक 28 नवंबर, 2012 को बेल 206 एल 4 हेलीकॉप्टर के द्वारा पवन हंस ने दिल्ली से वृंदावन तक यात्री सेवाओं की शुरूआत पालम विमानतल नई दिल्ली से वृंदावन के मध्य की है।

कंपनी को प्रतिस्पर्धी दशाओं में न्यूनतम बोलीदाता घोषित करने के पश्चात अप्रैल 2008 के बाद से माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड से कटरा से सांझीछत के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन सेवाओं के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है। कंपनी को उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धी वातावरण के अंतर्गत पुन: अगले 3 वर्षों के लिए अप्रैल 2011 से श्राइन बोर्ड से अनुबंध प्राप्त हुआ है।

पवन हंस प्रति वर्ष मई-जून एवं सितम्बर-अक्तूबर की नियतावधि के दौरान फाटा से श्री केदारनाथ के पवित्र धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं प्रचालन करती है। श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड द्वारा पवन हंस को वर्ष 2012 व 2013 के लिए श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भी पहलगाम पंजतरणी सेक्टर हेतु हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने का संविदा प्रदान किया गया है और पंवन हंस ने दिनांक 25 जून, 2012 से 2 बेल 407 हेलीकॉप्टर द्व ारा सेवा की शुरूआत की है।

घ) बेड़े का विस्तार :

635 करोड़ ₹ की अनुमानित परियोजना लागत से कंपनी ने 10 अदद नए डॉफिन एन 3, 3 अदद ए एस 350 बी 3 और 2 एम आई 172 हेलीकॉप्टर की खरीद की है। मार्च, 2011 तक 5 नए डॉफिन एन 3 और 3 ए एस 350 बी 3 हेलीकॉप्टरों को प्राप्त किया गया है और 5 नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की प्राप्ति मार्च, 2012 तक हुई है और 2 एम आई 172 हेलीकॉप्टर अगस्त 2012 के अंत में प्राप्त हुए।

ड.) नए बेड़े के अर्जन हेतु निधियन :

कम्पनी ने 275 करोड़ ₹ के मियादी ऋण हेतु ओएनजीसी के साथ दिनांक 13.08.2010 को एक करार किया है। प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए ऋण की वापसी ऋण लिए जाने की तिथि से 60 मासिक किस्तों में होनी है। उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत ओएनजीसी ने 7 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की लागत के 80% के रूप में 261 करोड़ ₹ का निधियन किया है। तत्पश्चात ओएनजीसी ने इस ऋण राशि के अंश को (95.85 करोड़ ₹) कंपनी में प्रदत्त पूंजी के रूप में परिवर्तित कराया है। 10 वर्षों की दीघावधि चार्टर लीज पर एक डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर हेतु एनटीपीसी ने 52 करोड़ ₹ का निधियन किया है। कंपनी ने 2 डॉफिन एन 3 के 80% लागत के वित्तीय हेतु 90.82 करोड़ ₹ मियादी ऋण एकजिम बैंक से लिया है और 2 एमआई 172 हेलीकॉप्टरों के लिए 80% लागत 95.18 (लगभग)करोड़ ₹ का मियादी ऋण विजया बैंक से लिया है, जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी। कंपनी का कार्यात्मक पूंजी की अपेक्षाओं के लिए विजया बैंक से 40 करोड़ ₹ की निधि आधारित सीमा की संस्वीकृति भी मिली है। कंपनी को इंडिया रेटिंग से मियादी ऋण पर इंड ए (स्थिर) श्रेणी मिला है जिसे हाल ही में समुन्नत कर इंड ए+(स्थिर) किया गया है।

च) दिल्ली तथा निकटवर्ती क्षेत्र में हेलीपोर्ट/हैलीपैड:

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जून 2009 को हेलीपोर्ट का निर्माण करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को रोहिणी के निकट 25 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। पवन हंस ने भूमि पर अधिकार ले लिया है और 64 करोड़ ₹ परियोजना लागत पर रोहिणी हेलीपोर्ट का विकास कार्य पवन हंस को सौंपा गया है, जिसमें सरकार भूमि लागत और विकास कार्य की लागत का 80% निधियन करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 31.08.2010 को अनुदान के रूप में भूमि की लागत हेतु 19.07 करोड़ ₹ का योगदान दिया है इसके अतिरिक्त रोहिणी हेलीपोर्ट की परियोजना लागत 64 करोड़ ₹ में से 36 करोड़ ₹ का इक्विटी कैपिटल अंशदान दिया है। कंपनी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए रोहिणी में बुनियादी हैलीपैड सुविधाओं का सर्जन किया है। इसके अतिरिक्त हेलीपोर्ट का अभिकल्पन, योजना एवं प्रचाल हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (एपीएमसी) को दिनांक 04.11.2011 को नियुक्त किया गया है तथा निर्माण एंजेसी की नियुक्ति हेतु निविदा जारी किया जा चुका है। बोलीदाताओं का तकनीकी

व वित्तीय मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। महायोजना (मास्टर प्लान) और भवन के नक्शे डीजीसीए, बीसीएएस और एएआई से अनुमोदित किए गए हैं। हेलीपोर्ट के साइट को स्थानांतरित करने से संबंधित डीडीए के पत्र के संबंध में दिनांक 27.11.2013 को डीडीए, एएआई और पीएचएल के साथ संयुक्त बैठक नागर विमानन मंत्रालय में संपन्न हुई और डीडीए ने सिद्धांतत: वर्तमान साइट के लिए सहमति दी। तदनुसार, डीडीए से निर्माण अभिकरण की नियुक्ति के लिए अनुबंध प्रदान करने के पूर्व इसके अनापत्ति की प्रार्थना की गई।

छ) हडस्पर, पुणे में प्रशिक्षण अकादमी तथा हेलीपोर्ट

पवन हंस को डीजीसीए के स्वामित्व के हडस्पर, पुणे स्थित वर्तमान ग्लाइडिंग सेन्टर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट विकास का कार्य सौंपा गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा परियोजना का अनुमोदन दे दिया गया है और डीजीसीए ने इस उद्देश्य हेतु जीबीएस के रूप में 10 करोड़ ₹ दिए हैं। पवन हंस ने डीजीसीए के साथ दिनांक 17 मई 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था तथा डीजीसीए की ओर से पवन हंस ग्लाईडिंग सेन्टर की भूमि तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग करेगी। पवन हंस ने निक्षेप कार्य आधार पर 10.40 करोड़ ₹ की लागत से एनबीसीसी से योजना, अभिकल्पना और निर्माण कार्य पूर्ण कराए हैं। परियोजना लागत 11.30 करोड़ तक परिशोधित किए गए हैं और एनबीसीसी से शेष कार्य पूर्ण करने का निवेदन किया गया है।

ज) इक्विटी पूंजी में वृद्धि:

दिनांक 03.12.2010 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 120 करोड़ ₹ से बढ़ाकर 250 करोड़ ₹ की गई। कंपनी की प्रदत्त पूंजी भी बढ़कर 245.616 करोड़ ₹ हुई, जिसमें 125.266 करोड़ ₹ भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम है (पूर्व में 89.266 करोड़ ₹) तथा 14.02.2011 के शेयर आबंटन के बाद 120.35 करोड़ ₹ ओएनजीसी लिमिटेड के नाम है (पूर्व में 24.50 करोड़ ₹)। तदनुसार कंपनी में भारत सरकार और ओएनजीसी का शेयर क्रमश: 78.46% तथा 21.54% से परिवर्तित होकर क्रमश: 51% तथा 49% हो गया है।

झ) वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात हुई प्रगति :

वित्त वर्ष 2012-13 के पश्चात निम्नांकित प्रगति हुई :-

(i) हाल ही में जून 2013 में उत्तराखण्ड के बाढ़ में पवन हंस ने पाँच हेलीकॉप्टरों को राहत अभियानों के लिए उपलब्ध कराया और 141 घंटे परिचालित हुए 1046 यात्रियों को बचाया गया और 6990 किलोग्राम खाद्य/दवाइयाँ वहन की गईं। हेलीकॉप्टर वीटी-पीएचजेड जिसे पवन हंस में दिसम्बर 2012 में शामिल किया गया था और जो ओएनजीसी के पास मुंबई में अपतटीय परिचालनों के लिए अनुबंधित था को राहत अभियानों के लिए तैनात किया गया। ओएनजीसी से निर्देशों के अंतर्गत मालती से हरसील तक के राहत अभियान के दौरान दिनांक 28.06.2012 को हेलीकॉप्टर ने एक हार्ड लैडिंग की और हेलीकॉप्टर का टेल बूम क्षतिग्रस्त हो गया और जुड़ी हुई क्षति के साथ मुख्य संरचना से अलग हो गया। कोई घायल/मृत नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर को सितंबर, 2012 के प्रथम सप्ताह में भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से पुन: प्राप्त किया गया और बीमा कंपनी को दावा दर्ज कराया गया। जाँच एएआईबी द्वारा कराई जा रही है।

(ii) एक बेल 407 हेलीकॉप्टर निबंधन सं. वीटी-पीएचटी में दिनांक 30.12.2012 को सांझीछत से कटरा के रास्ते में कटरा में हार्ड लैंडिंग के कारण बड़ी क्षति हुई जिसकी जाँच एएआईबी द्वारा की जा रही है। कोई हताहत नहीं हुआ। दावा बीमा कंपनी के पास दर्ज कराया गया है।

(iii) हेलीकॉप्टरों के बेड़े पर इंश्योरेंस प्रीमियम में पर्याप्त कमी 01.08.2013 से 31.07.2014 की अवधि के लिए लागत में कमी के रूप में वर्ष 2013-14 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। कुल बीमा कृत आश्वासित मूल्यमान का वार्षिक प्रीमियम ₹23.47 करोड़ बैठता है जिसके परिणामस्वरूप नकद बहिर्गमन में ₹5.81 करोड़ की गिरावट आई है। गत वर्ष की तुलना में इंश्योरेंस की लागत में समग्र शुद्ध कमी 19.84% या कहें कि 20% बैठता है। कंपनी के सुधरे हुए सुरक्षा मानकों ने बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती हेतु भी योगदान दिया है।

(iv) 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2012-17) के दौरान पवन हंस से संबंधित योजना आयोग के अनुमोदित अनुमान हैं आईईबीआर के माध्यम से ₹ 725 करोड़ की कुल राशि से 10 हेलीकॉप्टरों और 02 सीप्लेन का अर्जन, उपकरणों का आयात,

अनुरक्षण केंद्रों का सृजन/संयुक्त उपक्रम, भवन परियोजनाएं और अन्य। पीएचएल ने ₹1,189 करोड़ की लागत से 22 हेलीकॉप्टरों और 02 सीप्लेनों के अर्जन द्वारा बेड़े को और बढ़ाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आंकलनों को परिवर्तित किया है। परिवर्तित योजना को नागर विमानन मंत्रालय को आगे योजना आयोग से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(v) हाल ही में सितम्बर, 2013 माह में पवन हंस को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक और एमआई-172 हेलीकॉप्टर की तैनाती के लिए चुना गया है। नए अनुबंध को प्रतिस्पर्धी दशाओं के साथ सुधरे हुए सुरक्षा और प्रचालन दक्षता के अंतर्गत हासिल किया गया है।

(vi) कंपनी की रेटिंग स्टेबल इंडिया ए से सुधरकर स्टेबल इंडिया ए+ हो गई है। यह बेहतर परिचालन प्रदर्शन और संरक्षा पहलों के कारण संभव हुआ है।

II. वित्त

क) वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के वित्तीय निष्पादन का पूरा विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011-12	2012-13
I.	**प्रचालन राजस्व**		
	- प्रचालन से राजस्व	413.54	456.43
	- आकस्मिक राजस्व	15.32	8.82
	योग (I)	**428.86**	**465.25**
II.	**प्रचालन व्यय**		
	- प्रचालन व्यय	362.29	351.82
	- मूल्यह्रास	60.30	73.79
	योग (II)	**422.59**	**425.61**
III.	**शुद्ध प्रचालन लाभ (I-II)**	**6.27**	**39.64**
IV.	**ब्याज आय**	**9.29**	10.39
	उधारों पर प्रभारित ब्याज घटाकर		
V.	**पूर्वावधि/असाधारण**	**(14.46)**	(28.51)
	समायोजन	**21.34**	6.42
VI.	**कर पूर्व लाभ**	**22.44**	**27.94**
VII.	**कर/आस्थगित कर देयता**	**32.79**	16.24
VIII.	**कर के पश्चात शुद्ध लाभ (हानि)**	**(10.35)**	**11.70**

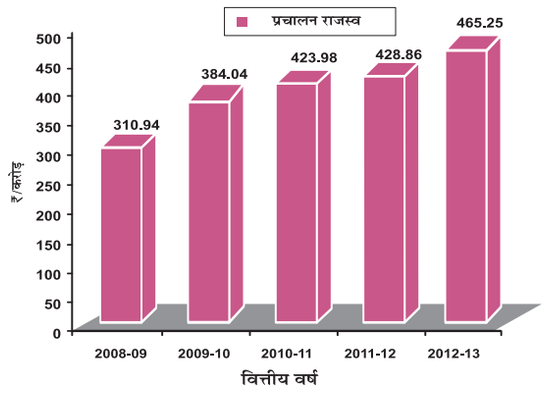

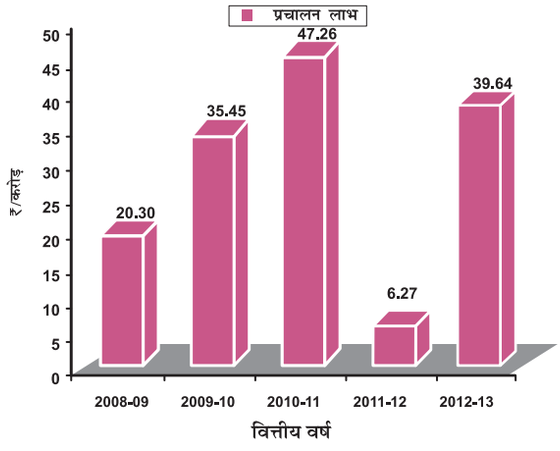

दूसरी तिमाही के आरंभ में मुख्यत: नए डॉफिन एन/एन3 हेलीकॉप्टरों के लिए ब्रिटिश गैस, मेघालय सरकार मिजोरम और असम राज्य सरकार से नए अनुबंधों के कारण वर्ष 2011-12 के ₹ 6.27 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में शुद्ध परिचालन लाभ में ₹ 39.64 करोड़ का उच्चतर स्तर हासिल किया गया और अदद 2 नए एमआई-172 हेलीकॉप्टरों को हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सरकार के पास क्रमश: दिनांक 3 जनवरी, 2013 और 18 जनवरी, 2013 को बढ़ी हुई चार्टर दरों पर तैनात किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ऊपरी व्यय पर सख्त निगरानी के कारण निम्नतर परिचालन लागत के परिणामस्वरूप उच्चतर परिचालन लाभ हुआ।

मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से नए अनुबंधों के साथ ग्राहकों को बेड़े की उपलब्धता की बेहतर निगरानी के माध्यम से कुल परिचालन व्यय में कटौती के द्वारा राजस्व में वृद्धि हुई है। हेलीकॉप्टरों की

ओनजीसी ऑफ-शोर रिग पर डॉफिन हेलीकॉप्टर

समय पर उपलब्धता और पाइलटों और इंजीनियरों की समय पर रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड (एओजी) और एलडी ₹2 करोड़ से कम हो गया है। समयोपरि पर कठोर नियंत्रण के परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त डॉफिन हेलीकॉप्टरों पर योग्य पाइलटों की आवश्यकता चिंता का एक विषय बना हुआ है और योग्य पाइलटों की उपलब्धता सुधारने के लिए कंपनी ने पाइलटों के बेहतर उपयोग के लिए उनके अंत: बेड़ा परिवर्तन का प्रयास किया है। अत: कंपनी पाइलटों के औसत उड़ान प्रदर्शन को सुधार कर 300 घंटे (लगभग) प्रतिवर्ष से 400 घंटे (लगभग) प्रतिवर्ष करने में सक्षम हुई है।

गतवर्ष की ब्याज आय ₹9.29 करोड़ के विपरीत वर्ष 2012-13 में ब्याज आय ₹10.39 करोड़ है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 में विगत वर्ष के ₹14.46 करोड़ की तुलना में उधारी पर प्रभारित ब्याज ₹28.51 करोड़ था। वर्ष 2012-13 के दौरान विगत वर्ष के ₹10.35 करोड़ की कर पश्चात शुद्ध हानि के विरूद्ध कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹11.70 करोड़ था। विगत वर्ष के ₹4.50 करोड़ की तुलना में कंपनी ने एमएटी (संपत्ति कर को सम्मिलित करते हुए) के रूप में वर्ष 2012-13 में कर के प्रावधान के लिए वर्ष 2012-13 में ₹6.50 करोड़ उपलब्ध कराया है और विगत वर्ष के लिए ₹28.90 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रारंभिक तौर पर नए बेड़े के अर्जन के लिए आस्थगित कर देयता के लिए ₹9.74 करोड़ का प्रावधान किया है। यथास्थिति दिनांक 31.03.2013 कंपनी की आरक्षितियां और अधिशेष ₹238.91 करोड़ (गतवर्ष ₹229.95 करोड़) थे और दीर्घावधि की उधारी ₹274.69 करोड़ (गतवर्ष ₹232.83 करोड़) थे।

कंपनी का लगभग 85% प्रचालन राजस्व प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से संविदाओं से अर्जित होता है और 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों के मांग अन्य तेल कंपनियों के साथ-साथ राज्य सरकारों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों से भी हो रहा है। इससे कीमतों पर बड़ा इम्पलिकेशन होगा चूँकि

नए हेलीकॉप्टरों ब्याज और मूल्यह्रास के प्रभाव के कारण चार्टर प्रभारों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और पुराने हेलीकॉप्टरों के लिए ग्राहकों का अभाव हो सकता है। भारत में तेल की खोज व तेल क्षेत्र में वर्तमान हेलीकॉप्टरों की चार्टर दरें कम होने के कारण विदेशी प्रचालक भी अपतटीय निविदाओं के लिए बोली नहीं लगा रहे हैं। बाजार में अपतटीय ए एस-4 अर्हता प्राप्त पायलटों की अनुपलब्धता भी एक मुख्य मजबूरी है और अत: पायलटों को डीजीसीए द्वारा निर्धारित एफडीटीएल/ एफटीएल की सीमाओं तक ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशी लीज प्रभारों पर कर रोकने के प्रभाव के कारण विदेशों से 5 वर्ष पुराने ए एस-4 युक्त हेलीकॉप्टरों को लीज पर लेने पर विदेशी मुद्रा में दरों के कारण चार्टर दरें अधिक होगीं तथा यह निविदाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी नहीं भी हो सकती हैं।

ख) लाभांश

निदेशकों ने कर पश्चात शुद्धलाभ (जो है 11.70 करोड़) के 20% की दर से अर्थात ₹ 2,33,96,400 करोड़ के लाभांश की अनुशंसा की है। लाभांश ₹ 245.616 करोड़ की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी पर देय है और लाभ और हानि की विवरणी के अनुसार चालू वर्ष के लाभ के विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ में से ₹ 39,76,218/- के लाभांश पर कारपोरेट कर के लिए प्रावधान किए गए हैं।

ग) भारत सरकार की देयताएँ

भारत सरकार के लम्बित दावे के मुद्दे के सम्बन्ध में नागर विमानन मंत्रालय ने दिसम्बर, 2007 में वित्त मंत्रालय को एक परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें वित्त मंत्रालय से सरकार द्वारा कम्पनी से दावाकृत कुल राशि ₹ 470.22 करोड़ (मूल राशि ₹ 130.91 करोड़ तथा 31.03.2001 तक का ब्याज ₹ 339.31 करोड़) का अधित्याग करने पर पुनर्विचार करने हेतु कहा गया है ताकि मौजूद निधि का बेड़े के वर्धन तथा अन्य पूंजीगत आउटले प्रोग्राम हेतु उपयोग किया जा सके, जो नागर विमानन क्षेत्र में भारत में विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में कम्पनी का अस्तित्व बनाए रखने हेतु अपरिहार्य है। वित्त मंत्रालय इस

बेल 206 एल 4 हेलीकॉप्टर

मुंबई में अनुरक्षणाधीन डॉफिन हेलीकॉप्टर

प्रस्ताव से सहमत नहीं है तथा कम्पनी को दावाकृत राशि को सरकारी कोष में जमा करने हेतु कहा गया है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.08.2008 को आयोजित 115वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि वित्त मंत्रालय के दावे का पूर्ण अधित्याग करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय पैरवी करे और एक वित्त सलाहकार नियुक्त किया जाए, जो अन्य मुद्दों सहित इसकी जांच करें। वित्त सलाहकार ने कम्पनी के मूल्यांकन में भारत सरकार के दावे के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा कुछ विकल्पों की संस्तुति की है। रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी के लिए वित्त मंत्रालय के दावे का भुगतान व्यवहार्य विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार कम्पनी ने नागर विमानन मंत्रालय के सचिवों की समिति को भारत सरकार द्वारा दावाकृत ₹ 470.22 करोड़ का अधित्याग करने हेतु जनवरी 2009 में ड्राफ्ट नोट प्रस्तुत किया है।

वित्त मंत्रालय के दावा के निपटान के संबंध में दिनांक 29.04.2012 को वित्त मंत्रालय के साथ हुई बैठक के परिणाम स्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि विद्यमान प्रतियोगी परिस्थितियों और निविदाओं के अंतर्गत ओएनजीसी का 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता और किस प्रकार वित्त मंत्रालय के 470.22 करोड़ ₹ का दावा कंपनी के सर्वांगीण विकास में अवरोध उत्पन्न करेगी को ध्यान में रखकर बारहवीं पंच वर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए कंपनी की कारोबारी योजना तैयार किया जाए। बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात एसबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2012 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को सौंपा गया है। मामले पर चर्चा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2013 को एक बैठक बुलाई गई। मामला सरकार के पास विचारधीन है। कंपनी ने संशोधित अनुसूची-VI के तहत भारत सरकार की देयता को गैर चालू देयता माना है।

कम्पनी द्वारा 31.03.2001 तक ₹ 339.31 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था तथा वर्ष 1999-2000, 2000-01

और 2002-03 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा दावाकृत ब्याज तथा अन्य प्रभारों को अग्रेनीत किया गया है।

घ) नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

लोक उपक्रम विभाग की बैठक में कार्य दल के साथ समझौता वार्ता के उपरांत पवन हंस प्रतिवर्ष नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। पवन हंस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2012-13 के लिए पवन हंस को ''उत्तम'' एमओयू रेटिंग प्रदान की गई है।

III. *अभियांत्रिकी/अनुरक्षण कार्यकलाप*

कंपनी ने अपने हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुरक्षण के लिए डीजीसीए के अनुमोदन से दिल्ली और मुम्बई में अत्याधुनिक अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की है। हेलीकॉप्टरों की गहन अनुरक्षण जाँच की जाती है तथा आन्तरिक सुविधाओं सहित व्यापक कार्यशाला जाँच की सुविधाएँ भी उपलब्ध है। डॉफिन हेलीकॉप्टरों के मेजर 'जी' निरीक्षण के लिए बिना विदेशी सहायता के पूर्ण स्वदेशी आन्तरिक सुविधाओं से अनुरक्षण क्षमता को उन्नत किया गया है, जिससे मरम्मत/निरीक्षण लागत में कमी आई है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुम्बई में अनुरक्षण सुविधाओं के अनुमोदन के अवसर पर डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों का 'जी' निरीक्षण करने हेतु विस्तार (6000 घन्टे एअरफ्रेम ओवरहॉल) किया गया है। कंपनी ने अपने संसाधनों से डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों के कुल 32 निरीक्षण - टी/2टी/5टी (600 घन्टे/1200 घन्टे/3000 घन्टे) तथा कंपनी की आंतरिक संसाधनों द्वारा डॉफिन हेलीकॉप्टर पर 2 'जी' निरीक्षण (5400 घन्टे) सम्पन्न किया गया।

वर्कशॉप सुविधाओं में संवर्धन एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संवर्द्धन कार्य एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य है। वर्ष के दौरान डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों के जी निरीक्षण सुविधाओं के संवर्धन के अलावा डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों के इंस्ट्रूमेंटों के बैंच चेक हेतु वर्कशॉप सुविधाओं में वृद्धि की गई है। वर्ष के दौरान बेसों में भी बेल हेलीकॉप्टरों का मेजर अनुरक्षण निरीक्षण तथा मेजर पूर्जों के बदलने का कार्य चलता रहा।

एमआई-172 हेलीकॉप्टर

एएस 350 बी 3 हेलीकॉप्टर

IV. सामग्री प्रबंधन

अचल इन्वेट्री के बेहतर नियंत्रण हेतु सामग्री प्रबंधन निर्देश जारी कर दिए गए थे। अभियांत्रिकी तथा सामग्री विभाग द्वारा संयुक्त समीक्षा के आधार पर इन्वेट्री खरीदने की मात्रा को निर्धारित किया गया तथा स्पेयर्स को पूर्व मांग के आधार पर इन्वेट्री खरीदने की मात्रा को निर्धारित किया गया तथा स्पेयर्स को पूर्व मांग के आधार पर ऑर्डर किया गया था। सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया को सुगठित कम्प्यूटरीकरण (इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटराइजेशन) के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है। मांग तथा आपूर्ति प्रोसेसिंग को प्रभावशाली बनाया गया है। आँकड़े पारदर्शी हो गए हैं तथा सभी क्षेत्रों और बेसों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। यथा समय सतर्कता संकेतों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान ई-प्रापण प्रणाली भी प्रारंभ की गई।

V. सूचना प्रणाली व प्रौद्योगिकी योजना :

परिचालन, अभियांत्रिकी, सामग्री एवं वित्त जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में सूचना प्रणाली व प्रोद्यौगिकी योजना के क्रियान्वयन हेतु मेसर्स टाटा कॅन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बनाए गए इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर से कुशलता, सामर्थ्य और ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि हुई है। नोएडा, सफदरजंग एयरपोर्ट तथा मुम्बई के कार्यालयों के लिए एलएएन/डब्ल्यूएएन एकीकृत संरचना को क्रियान्वित किया गया है। कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा डिटैचमेन्टों हेतु एकीकृत वॉयस कम्यूनिकेशन प्रणाली का कार्य क्रियान्वित किया गया है। कंपनी ने केदारनाथ जी और अमरनाथ जी के लिए यात्री सेवा प्रचालनों हेतु ई-टिकटिंग प्रणाली आरम्भ की है। कंपनी की नई वेबसाइट *http://pawanhans.co.in* नियमित आधार पर अद्यतित की गई।

VI. आईएसओ 14001 और 18001 प्रमाणीकरण

कंपनी अपने क्वालिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम आईएसओ 9001:2008 मानकों के साथ आईएसओ 14001 तथा 18001 के अधीन प्रमाणीकृत हुआ है, जिसे एकीकृत मैनेजमेन्ट सिस्टम के रूप में जाना जाएगा, जिसमें पर्यावरण तथा संरक्षा पहलू सम्मिलित हैं।

VII. मानव संसाधन विकास

क) श्रमशक्ति

31 मार्च, 2012 को नियमित तथा अनुबंधित कर्मचारियों

की संख्या 967 थी, जबकि 31 मार्च, 2013 को कर्मचारियों की संख्या 924 थी।

ख) औधोगिक संबंध

अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सदभावपूर्ण रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाए गए। दिनांक 01.01.2007 से देय नया वेतन समझौता गैर तकनीकी साथ ही तकनीकी कर्मचारियों के लिए कार्यान्वित किया गया। यद्यपि दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी नए वेतनमानों और भत्तों को भी समस्त अधिकारियों, अभियंताओं और पाइलटों के लिए कार्यान्वित किया गया तथापि अभियंताओं और पाइलटों ने लाइसेंस से संबंधित भत्तों की मांग उठाई और मुद्दे अभी उनके साथ चर्चा के अधीन हैं।

ग) प्रशिक्षण

समस्त कर्मचारियों यथा - अधिकारियों, पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और सहायक स्टॉफ के लिए प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रबंधकीय निपुणता के विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान आयोजित किए गए। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तथा इन-हाउस प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है। नियमित आधार पर पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों के लिए विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए एविएशन ट्रेनिंग स्कूल की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सितम्बर, 2009 में मुम्बई में डीजीसीए द्वारा अनुमोदित हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है, जहाँ एएमई लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से डीजीसीए द्वारा अनुमोदित बेसिक एयरक्राफ्ट अनुरक्षण इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रिपेरटरी कोर्स करवाया जाता है।

पवन हंस क्रू के प्रशिक्षण और आपातस्थितियों से निपटने के लिए पाइलटों को सक्षम बनानेवाली प्रशिक्षण कार्यप्रणाली पर विशेष बल दे रहा है। सभी क्रू को सिमुलेटर प्रशिक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है जिसमें सभी प्रकार की विकट आपातस्थिति सम्मिलित है ताकि पाइलट उड़ान के समय इन आपात स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बेहतर ढ़ंग से तैयार रहें। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में मेसर्स हैटसॉफ, बैंगलोर में 43 पायलटों का सिमुलेटर प्रशिक्षण करवाया गया है। अधिक संख्या में पायलटों तथा इंजीनियरों की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र को ध्यान में रखकर बढ़ते हुए बेड़े

अंडमान व निकोबार सेक्टर में डॉफिन हेलीकॉप्टर सेवाएं

माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए कटरा-साांझीछत सेक्टर में वेल 407 हेलीकॉप्टर

की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुभवी और युवा पायलटों को नियुक्त किए जाने और उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

पवन हंस में जानकारी बढ़ाने वाली बैठकों का आयोजन भी प्रारंभ किया गया है जहाँ पायलटों को इंजीनियर और तकनीशियनों के साथ पेशेवर विषयों पर कक्षा व्याख्यान और परस्पर संवादात्मक सत्रों के माध्यम से पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। इन गुणात्मक कदमों की शुरूआत पाइलट और अनुरक्षण कार्मिकों दोनों के पेशेवर और कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है और इससे उड़ान सुरक्षा अभियान में वृद्धि होगी।

VIII. संरक्षा उपाय

पवन हंस ने ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए परिचालन और अनुरक्षण प्रणाली को उन्नत करने संबंधी संरक्षा पहल की है। पवन हंस ने ईकाओ/डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) क्रियान्वित करके संरक्षा पहल आरम्भ किया है और चार में से दो चरणों में एस.एम.एस क्रियान्वित किया है। एक नया पर्यवेक्षण विभाग का सृजन किया है और कंपनी में एक स्वैच्छिक प्रतिवेदन प्रणाली तथा जोखिम प्रतिवेदन प्रणाली प्रवर्तित किया है। हेलीकॉप्टर प्रचालनों का विश्लेषण और अनुवीक्षण करने हेतु कंपनी ने एफओक्यूए (फ्लाइट प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) समाविष्ट/आरम्भ किया है। संरक्षा को केन्द्रीय/कोर क्रियाकलाप के रूप में सम्मिलित करने हेतु कंपनी ने संरक्षा नीति को भी संशोधित किया है। कंपनी ने देश में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा जागरुकता के लिए जून, 2010 में दिल्ली में विमानन सुरक्षा व सेवा संस्थान स्थापित किया है। संस्थान ने विमानन संरक्षा पाठ्यक्रम चलाना शुरू कर दिया है तथा अन्य नए ग्राहकों, नए प्रचालकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के साथ विभिन्न हेलीपैड/हेलीपोर्ट/अपतटीय संस्थापनों को परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

पीएचएल द्वारा उपक्रमित अनेक सुरक्षा पहलों का कार्यान्वयन पहले ही किया जा चुका है और पीएचएल के सभी परिचालन बेसों का व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षण पीएचएल टीम द्वारा किया जा रहा है। सभी डिटैचमेंटों पर आवधिक सुरक्षा बैठकें अयोजित की जाती हैं जिसमें सभी सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार

से तर्क वितर्क किया जाता है और जब कभी आवश्यक हो कार्रवाई की जाती है। पीएचएल ने सूचित किया है संगठन में सुरक्षा तैयारियों की भावना और सुरक्षा संस्कृति में काफी सुधार हुआ है यद्यपि यह प्रक्रिया निरंतर है और अब पीएचएल की कारोबारी नीति का हिस्सा है। सुरक्षा पहलों और निगरानी तंत्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एमओई में उल्लिखित सुरक्षा लेखा परीक्षणों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। संगठनात्मक प्रक्रियाओं का गुणवता लेखा परीक्षण, एयरक्राफ्ट्स का गुणवता लेखा परीक्षण और सी.ए.आर. 145-ए 30-सी के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। क्षेत्रों में सभी अभियांत्रिकी विभागों के प्रमुखों, गुणवता प्रबंधक, बेसों/डिटैचमेंटों में अनुरक्षण कार्मिकों को उपयुक्त सी.ए.आर. के आधार पर तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने का और आंतरिक लेखा परीक्षणों की रिपोर्टों पर ससमय समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिम्मेदार प्रबंधक को भी उसके अनुवर्ती उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है।

IX. निदेशक मंडल

वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल की पाँच बैठकें हुई। वर्तमान तथा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान मंडल में निम्नांकित सदस्य है:-

वर्तमान	
श्री अनिल श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (23.03.2012 से)
श्री एस. मछेन्द्रनाथन	विशेष सचिव व वित्तीय सलाहकार ना. वि. मं. (22.12.2011 से)
श्री जी. असोक कुमार	संयुक्त सचिव, ना.वि.मं. (12.01.2012 से)
श्री पी.के. बरठाकुर	निदेशक (ऑफशोर), ओ.एन.जी.सी. (05.11.2012 से)
श्री अरूण मिश्र	नागर विमानन महानिदेशक (20.07.2012 से)
एवीएम एसआरके नायर	एसीएएस (प्रचालन, टी व एच) वायु सेना (01.02.2013 से)
निवर्तमान निदेशक	
श्री ई. के. भारत भूषण	अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, ना. वि. मं. (18.02.2009 से 16.07.2012 तक
ए.वी.एम.पी.एन. प्रधान	एसीएएस (ऑप्स, टी एंड एच) वायु सेना (23.06.2011 से 31.01.2013 तक
श्री सुधीर वासुदेवा	निदेशक ऑफशोर, ओएनजीसी (01.02.2009 से 05.11.2012 तक

निदेशक मंडल श्री ई. के. भारत भूषण, एवीएम पी. एन. प्रधान और श्री सुधीर वासुदेवा द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता है।

वित्त वर्ष 2012-13 की बोर्ड बैठकों में तथा पिछली एजीएम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नांकित है:-

निदेशक के नाम	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड बैठकों की तिथि-उपस्थित निदेशक					वा.सा. बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति
	19.06.12	25.09.12	09.11.12	27.12.12	08.03.13	27.12.12
श्री अनिल श्रीवास्तव अप्रनि	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री एस. मछेन्द्रनाथन	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री जी. असोक कुमार	अवकाश	जी हाँ	जी हाँ	अवकाश	जी हाँ	-
श्री अरूण मिश्र	-	अवकाश	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री पी.के. बरठाकुर	-	-	अवकाश	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
एवीएम पी. एन. प्रधान	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	अवकाश	-	-
एवीएम एस.आर.के. नायर	-	-	-	-	अवकाश	-
श्री ई. के. भारत भूषण	जी हाँ	-	-	-	-	-

कंपनी के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 274 (1) (छ) के प्रावधान के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

X. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखे के संबंध में आपके निदेशकों ने :-

क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है तथा सामग्री के अपसरण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण समाविष्ट किया है।

ख) ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना है तथा उनका बराबर प्रयोग किया है तथा ऐसे विनिर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं जो उचित तथा युक्ति संगत हैं, जिससे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य मामले तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की सही तथा सत्य छवि प्रस्तुत हो सके।

ग) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों के रक्षार्थ पूर्वोपाय तथा जालसाजी और अन्य विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए समुचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया; और

घ) वार्षिक लेखों को प्रचलित आधार पर तैयार किया गया है।

XI. नैगमिक अभिशासन :

कंपनी ने नैगमिक अभिशासन के विषय में पहल किया है तथा इसके कार्यप्रणाली को विभिन्न स्टेक होल्डरों द्वारा स्वीकारा गया है।

कंपनी ने डीपीई द्वारा 06.07.2007 को जारी नैगमिक अभिशासन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाया है। डीपीई ने दिनांक 14.05.2010 के का. ज्ञा. के माध्यम से इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अनिवार्य किया है तथा पवन हंस ने डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सम्भाव्य अधिकतम रूप से अपनाया है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के अपेक्षित संख्या के, जो नागर विमानन मंत्रालय के विचाराधीन है । निदेशक मंडल द्वारा 110वी बैठक में आदर्श आचरण संहिता का अनुमोदन किया गया है तथा इस पर कार्यात्मक प्रमुखों तथा निदेशकों ने हस्ताक्षर किया है और कंपनी की वेबसाइट में दर्शाया गया है।

कार्यप्रणाली के अनुसार कंपनी ने नैगमिक अभिशासन के संबंध में, स्टेक होल्डर द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को कंपनी की कारपोरेट वेबसाइट www.pawanhans.co.in पर उपलब्ध कराया है।

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 292 (क) के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा 24.05.2001 को इसके अध्यक्ष तथा दो निदेशकों को शामिल करके एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है लेखापरीक्षा समिति के द्वारा, वित्तीय विवरण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सी एवं एजी के टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है। तथा वित्त वर्ष में अपेक्षित बैठकों का आयोजन किया जाता है वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा 19.06.2012, 25.09.2012 और 27.12.2012 को बैठकें की गई। वर्तमान लेखापरीक्षा समिति में श्री एस मछेन्द्रनाथन, विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय अध्यक्ष के रुप में, श्री जी. असोक कुमार, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, एवीएम एस. आर. के. नायर, एसीएएस (प्रचालन, टी व एच), वायुसेना मुख्यालय और श्री अरुण मिश्र, नागर विमानन महानिदेशक सदस्य के रुप में शामिल हैं।

नैगमिक अभिशासन पर डीपीई मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण :

गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण निम्नांकित है :-

वार्षिक सामान्य बैठक	वा. सा. बै. का समय	वा. सा. बै. का स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
25वीं वार्षिक सामान्य बैठक 03.12.2010 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	प्राधिकृत पूंजी 120 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 250 रुपए करोड़ करना तथा भारत के राष्ट्रपति के नाम 36 करोड़ रुपए और ओ एन जी सी के नाम से 95.85 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी करना।
26वीं वार्षिक सामान्य बैठक 29.12.2011 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	-
27वीं वार्षिक सामान्य बैठक 27.12.2012 को आयोजित की गई	04.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	कंपनी के नाम मे परिवर्तन "पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड" के स्थान पर "पवन हंस लिमिटेड"
28वीं वार्षिक सामान्य बैठक 18, दिसम्बर 2013 को आयोजित की गई	04.00 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	

राष्ट्रपति के निदेश

वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश जारी नहीं किया गया।

लोक शिकायत निवारण

कर्मचारियों के शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

सिटिजन चार्टर

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर सिटिजन चार्टर प्रकाशित किया है।

सत्यनिष्ठा समझौता

दिनांक 09.11.2011 को कंपनी ने ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर किया है।

वरिष्ठ प्रबंधन का संबंधित पार्टी लेन-देन

वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित कोई भी संबंधित पार्टी लेन-देन वर्ष के दौरान नहीं हुए जिसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित हो।

कारपोरेट गवर्नेंश दिशानिर्देश के अनुपालन से संबंधित अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरी का सर्टीफिकेट

कारपोरेट गवर्नेंश दिशानिर्देश के अनुपालन से संबंधित सर्टीफिकेट अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरी से प्राप्त हो गए हैं।

पारिश्रमिक समिति

स्वतंत्र निदेशकों के अधिष्ठापन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समीति गठित की जाएगी जो वर्तमान में प्रशासनिक मंत्रालय के विचाराधीन है।

वीसॅल ब्लोअर नीति

स्वैच्छिक पहल के रूप में एक वीसॅल ब्लोअर नीति का अनुपालन किया जा रहा है। यह नीति सुनिश्चित करेगी कि एक सच्चे वीसॅल ब्लोअर को किसी भी प्रकार के अत्याचार से उपयुक्त सुरक्षा मिले। यह नीति कंपनी के समस्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी तथा कंपनी के इन्ट्रानेट में लोड होगी। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति में पहुँच से वंचित नहीं रखा गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीएसआर मार्गदर्शो सिद्धान्तों के अनुसार और वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 और 2013-14 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सौंपे गए निगमित सामाजिक दायित्व की भूमिका का पालन कर रही है। कंपनी ने डीपीई द्वारा बनाए गए मागदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर सितम्बर 2010 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अवलम्बनीय नीति बनाई है। वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 1.07 करोड़ और 2011-12 के लिए ₹ 0.56 करोड़ का नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व बजट अनुमोदित किया गया था। पवन हंस, पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निपुणता के विकास हेतु और पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन अस्पताल को दो एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया है।

XII. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक लेखे हेतु दी गई टिप्पणियों को उनके उत्तर सहित अनुलग्नक 'क' में संलग्न किया गया है। (कृपया पृष्ठ 77 देखिए)।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है (कृपया पृष्ठ 92 देखिए)।

XIII. कर्मचारियों का विवरण

निगमित मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 के अधिसूचना सं. जीएसआर 289 (ई) द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (ए) के अनुसार सरकारी कंपनी 1975 के प्रावधानों में संशोधन के अनुसार सरकारी कंपनी में प्रतिवर्ष ₹ 60 लाख या इससे अधिक वेतन पाने वाले या पूरे वित्त वर्ष में नियुक्त या प्रतिमाह ₹ 5 लाख

पाने वाले, यदि नियुक्त या वित्त वर्ष में आंशिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों का विवरण शामिल करना आवश्यक नहीं है।

XIV. राजभाषा नीति

समीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी ने सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन, हिन्दी कार्याशालाओं का आयोजन, वित्तीय प्रोत्साहन, विज्ञापनों का द्विभाषी रूप से जारीकरण तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

XV. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

कम्पनी विकलांग व्यक्तियों के लिए बने अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) का पालन करती है।

XVI. सतर्कता

कम्पनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है, जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। सीवीसी के मार्गदर्शन के अनुसार ई-टेंडर, ई-टिकट, ई-पेमेन्ट और फाइल ट्रेकिंग क्रियान्वित किया गया है। अधिप्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नवम्बर, 2011 में ट्रांसपरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सीवीसी के अनुमोदन से एक स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक (आईईएम) की भी नियुक्ति की गई है। कंपनी की वीसॅल ब्लोवर नीति का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा किया जा चुका है।

सतर्कता दृष्टिकोण को आकर्षित करने वाले मामलों पर सतर्कता मामले पहल किया जा चुका है और कुछ अधिकारियों/वरिष्ठ कार्यपालकों को बड़ी शास्ति के लिए आरोप पत्र दिया गया है। सतर्कता विभाग का विवेकशील क्रियाशीलता से संगठन की कार्यक्षमता और छवि और साथ ही जवाबदेही कोड में संवर्धन हुआ है। सतर्कता विभाग ने द्वितीय अनुदेश पुस्तिका जारी की है जो कर्मचारियों को निविदा प्रापण और प्रापण तथा निविदा से संबंधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।

सतर्कता विभाग विभिन्न मामलों का अध्ययन भी कर रहा है ताकि संगठन में मौजूदा प्रचलित पद्धति और कार्यप्रणाली में सुधार तथा सरलीकरण किया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां प्रणाली में सुधार की अपेक्षा है, जिससे कार्यकुशलता, खर्चे घटाने और पारदर्शिता प्रदान करने में संवर्धन हो। अध्ययन का मुख्य क्षेत्र विलम्ब परिस्थिति, विलम्ब के कारण और सम्भव उपाय हैं, ताकि अनुकूल कौशल पद्धति द्वारा विलम्ब में कमी और भ्रष्टाचार के अवसर को कम किया जा सके। इन अध्ययनों में किस प्रकार वार्षिक सम्पत्ति विवरण, सतर्कता, जागरूकता प्रशिक्षण, स्पेयर्स की खरीद और यान्त्रिक सुविधा की समीक्षा करके पारदर्शिता और सतर्कता व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके भी केन्द्रित है।

XVII. उभरता परिवेश

उभरते हुए नए परिवेश, में कम्पनी के सामने प्रतियोगी बनने के लिए अवसर और चुनौतियां हैं, जिसके लिए इसे गुणवत्ता सुधारनी होगी और लागत भी कम करनी पड़ेगी। पवन हंस भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है तथा इसके परिचालन और अनुरक्षण उच्च मानकों वाले हैं। कम्पनी संरक्षा निष्पादन में समग्र विकास के लिए उत्कृष्टता हासिल करने हेतु अथक प्रयास करती रही है। यही समय है कि कम्पनी को अपनी शक्ति बटोरनी होगी और अपना कौशल बढ़ाना होगा ताकि हेलीकॉप्टर परिचालन में एशिया में सबसे अग्रणी बने तथा साथ ही

विमानन उत्पादों की मरम्मत व ओवरहॉल में विश्वस्तरीय बन सके।

XVIII. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशक से प्राप्त सतत सहयोग व सहायता के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल ओएनजीसी लिमिटेड एवं विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य ग्राहकों को हार्दिक धन्यवाद देता है, जिन्होंने कम्पनी के परिचालन में योगदान दिया है।

निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके कर्तव्य-निष्ठ कार्यों की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के लिए
और उनकी ओर से

(अनिल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2013
स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

हेलीकॉप्टर प्रचालन का परिदृश्य

उद्योग संरचना तथा विकास

भारत में हेलीकॉप्टरों का भविष्य उज्वल है। हेलीकॉप्टरों का विभिन्न वातावरणों में उड़ान भरने की क्षमता और साथ ही फिक्स्ड विंग एअरक्राफ्टों हेतु अवसंरचना का केवल इन्क्रिमेन्टल विस्तार हो सकने के कारण अभूतपूर्व गति से हेलीकॉप्टरों का विकास होना स्वाभाविक है। वर्तमान भारत में लगभग 262 सिविल हेलीकॉप्टरों का प्रचालन हो रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय आँकड़ा 35,750 की तुलना में अत्यन्त कम हैं। पहली बार हेलीकॉप्टर उद्योग में नकारात्मक वृद्धि आई क्योंकि विगत एक वर्ष के दौरान सिविल हेलकॉप्टरों की संख्या घटकर 300 से 262 हो गई।

यद्यपि हमारे पास देश में 1.15 अरब की आबादी के साथ लगभग 262 सिविल रजिस्टर्ड हेलीकॉप्टर हैं हमारे पास प्रति 46 लाख व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर है जो हमें दुनिया के अनेक विकासशील देशों से भी पीछे खड़ा करता है।

फिक्स विंग एयरक्राफ्ट साथ ही साथ रोटरी विंग एविएशन दोनों की विमानन में वृद्धि के लिए संवर्धन हेतु देश की आर्थिक वृद्धि उत्प्रेरक का कार्य करती है। सरकार द्वारा निरूपित उपयुक्त नीतियों ने भी वृद्धि में सहायता की है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सिविल हेलीकॉप्टरों में उर्ध्व वृद्धि रूक गई और प्रवृति उत्क्रमित हुई। चूंकि अनेकों हेलीकॉप्टर और उनके पुर्जे विदेशी हैं अनेक घटकों के कारण जिसमें अमेरिकी डॉलर/यूरो के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतें सम्मिलित हैं की वजह से परिचालन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डों के शुल्कों, एटीएफ की लागत और ग्राउंड हैंडलिंग प्रभारों के बढ़ जाने से परिचालन लागत धनात्मक हुई। इन कारकों ने अनेक परिचालकों जो अपने हेलीकॉप्टरों का विदेशों से निपटारा करते थे के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन को अलाभकारी बना दिया। यद्यपि अर्थव्यवस्था में बदलाव की स्थिति और रुपये में स्थिरता के साथ परिचालन की लागत के किफायती होने की संभावना है और सिविल हेलीकॉप्टरों का बेड़ा भविष्य में वृद्धि की अवस्था में वापस लौटेगा चूंकि सरकारी क्षेत्र में भारत में सिविल हेलीकॉप्टरों की मांग बढ़ रही है।

नागर विमान मंत्रालय की वर्ष 2010-15 के लिए रणनीतिक योजना के अनुसार सरकार हेलीकॉप्टर प्रचालनों में शीघ्र विकास की आकांक्षा कर रहा है और 300 हेलीकॉप्टर समावेश करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अगले 5 वर्षों के दौरान हेलीकॉप्टर प्रचालनों में वृद्धि करने हेतु सरकार की नीति योजना निम्नांकित हैं:-

क) हेलीकॉप्टर प्रचालनों में शीघ्र वृद्धि हेतु उचित अवसंरचना की स्थापना। प्रथम चरण में देश के चार क्षेत्र में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा-उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुम्बई, पूर्व में कोलकाता और दक्षिण में चैन्ने/बंगलुरू। जम्मू व कश्मीर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात आदि दूरवर्ती क्षेत्रों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए हेलीपोर्टों का निर्माण। सामाजिक-अर्थिक प्रतिबद्धता स्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ने हेतु विशेष अपेक्षाएं हैं।

ख) इन हेलीपोर्टों का सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त सैक्टर में निर्माण किया जाएगा। हेलीपोर्टों के निर्माण का प्राथमिक उत्तरदायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का होगा। तथापि, यह महत्वपूर्ण कार्य पवन हंस लिमिटेड और निजी सैक्टर द्वारा भी किया जा सकता है।

(ग) हेलीकॉप्टर प्रचालनों की आवश्यकताओं को अनुकूल बनाने हेतु ग्रीन फील्ड एअरपोर्ट नीति को उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) पर्यटन विभाग के अवसंरचना विकास स्कीम जैसी स्कीमों के माध्यम से हेलीपैडों और हेलीपोर्टों के निर्माण हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ड) सरकार समय-समय पर हेलीकॉप्टर कारिडरों की आवश्यकता का पुनरीक्षण करेगी तथा उद्योग के बदलाव की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अद्यतन करेगा। एअरस्पैस प्रबंधन इस प्रकार से की जाएगी ताकि फिक्स्ड विंग के साथ-साथ हेलीकॉप्टरों का इष्टतम विकास किया जा सके।

(च) आने वाले वर्षों में भारत में पर्यटन और चिकित्सा निष्क्रमण कार्य हेलीकॉप्टरों के विकास का प्रमुख प्रेरक बनेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी तथा एनएचएआई के माध्यम से सरकार चिकित्सा निष्क्रमण को बढ़ावा देगी।

(छ) चूँकि, आम लोगों के लिए चिकित्सा निष्क्रमण अभी भी एक महंगा सौदा है, चिकित्सा बीमा कंपनियों को ऐसे निष्क्रमण की लागत को भी शमिल करने हेतु उचित पैकेज तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस ऐसी सुविधाएँ प्रदत्त करेगी।

(ज) संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रमुख और प्रतिष्ठित सरकारी तथा निजी अस्पतालों हेतु हेलीपेडों के निर्माण हेतु समन्वय किया जाएगा।

(झ) भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालनों की वृद्धि हेतु डीजीसीए तथा एएआई द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए अलग विंग बनाई जाएगी। हेलीकॉप्टरों के विनियामक प्रणाली को निरन्तर उन्नत किया जाएगा ताकि इस सैक्टर में विकास हो सके।

विषय वस्तु	कार्यनीति पहल
हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से हवाई सम्पकर्ता	हेलीकॉप्टर प्रचालनों में शीघ्र वृद्धि
अवसंरचनात्मक निर्माण	1. देश में हेलीकॉप्टरों और हेलीपैडों का सृजन 2. हेलीकॉप्टरों के लिए विश्वस्तरीय एमआरओ का विकास 3. मानव संसाधन क्षमता विकास हेतु हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।

2001-02 से 2012-13 के दौरान भारत में पंजीकृत सिविल हेलीकॉप्टरों का वृद्धि चार्ट निम्नानुसार है

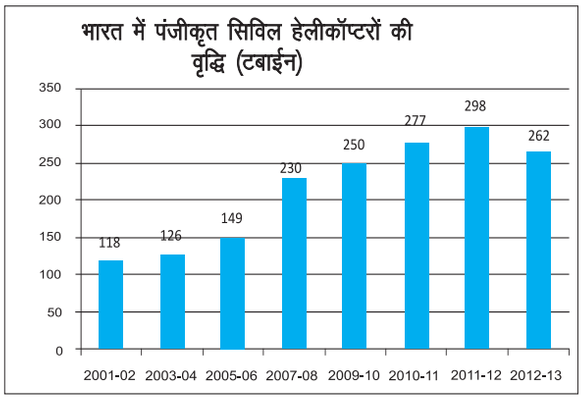

वर्ष 2012-13 में भारत में पंजीकृत कुल 262 सिविल हेलीकॉप्टरों में से 205 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में 66 एनएसओपी प्रचालक थे, 29 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में 17 सरकारी प्रचालक और 28 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में 19 निजी प्रचालक थे। 262 हेलीकॉप्टरों में से 140 दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर हैं जो 56% है तथा 122 एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर हैं जो देश की कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या के 44% हैं। सिविल उपयोग के कुल 262 हेलीकॉप्टरों में से भारत में 43 हेलीकॉप्टरों को (15.53%) इ एवं पी कम्पनियों को लॉजिस्टिक सहायता हेतु, 212 हेलीकॉप्टरों (76.53%) को हेलीचार्टर हेतु और 22 (7.94%) को

हेली तीर्थाटन/ हेली पर्यटन हेतु सिविल क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। (स्रोत: हेलीपावर इंडिया के लिए आर. डब्ल्यू.एस.आई. की रिपोर्ट)।

वर्तमान में पवन हंस के स्वामित्व में 46 हेलीकॉप्टर हैं और यह अन्य एजेंसियों के स्वामित्व के 6 हेलीकॉप्टरों का प्रचालन तथा अनुरक्षण करता है। भारत में 5 प्रचालक हैं, जिनके पास छ: या अधिक हेलीकॉप्टर हैं। पवन हंस बृहततम प्रचालक है और दीर्घावधि आधार पर वाणिज्यिक हेलीकॉप्टरों के प्रचालन में बाजार का प्रमुख शेयर धारक है। 26 हेलीकॉप्टरों के साथ ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लि. दूसरा विशालतम हेलीकॉप्टर परिचालक है और डेक्कन चार्टर लि. 7 हेलीकॉप्टरों के साथ तीसरा बड़ा हेलीकॉप्टर परिचालक है तथा हेलीगो चार्टरर्स और हिमालयन हेली सर्विसेज प्रत्येक के पास 6 हेलीकॉप्टर है। मेस्को एयरलाइन्स, ओएसएस एयर तथा यूनाइटेड हेलीचार्टर्स प्रत्येक के पास 5 हेलीकॉप्टर हैं।

भविष्य में कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित (अवसर) तथा महत्वपूर्ण जोखिम हेतु कंपनी के दृष्टिकोण हेतु प्रबंधन का मूल्यांकन

अग्रणी बने रहने हेतु पवन हंस का अगले 5 वर्षों के दौरान निम्नांकित मुख्य पहल करने का विचार है :-

- हेलीकॉप्टर प्रचालन
  - वर्तमान बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ करना।
  - नए बेड़े का अर्जन
  - नए क्षेत्रों में कारोबार आरंभ
  - अन्य के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर के परिचालन व अनुरक्षण का अनुबंध
- एमआरओ सुविधाओं की स्थापना
- प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना
- हेलीपोर्ट स्थापित करना
- सीप्लेन परिचालन
- फिक्स्ड विंग परिचालन
- ग्राहक सन्तुष्टि में सुधार

वर्तमान बाजारों में अपने प्रतिस्पर्धी स्थान का सुदृढ़ीकरण

- बाजार लाभ के लिए मौजूदा अनुबंधों का नवीकरण।
- संरक्षा तथा विश्वसनीयता के उच्च मानकों को कायम रखना।
- नए मीडियम श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के अर्जन द्वारा अपतटीय प्रचालनों में कोर योग्यता/सक्षमता में वृद्धि।
- जब भी अवसर उत्पन्न हो चुनिन्दा अंतरराष्ट्रीय प्रचालन करना।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं पर फोकस में सुधार करके अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति का सुदृढ़ीकरण ।
- ग्राहकों और अन्य कारोबार सहयोगियों के साथ सम्बधों में सुदृढ़ीकरण।

नए बेड़े का अर्जन

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2012-17) के दौरान पवन हंस से संबंधित योजना आयोग के अनुमोदित अनुमान हैं आईईबीआर के माध्यम से ₹ 725 करोड़ की कुल राशि से 10 हेलीकॉप्टरों और 02 सीप्लेनों का अर्जन, उपकरणों का आयात, अनुरक्षण केंद्रों का सृजन/संयुक्त उपक्रम, भवन परियोजनाएं और अन्य।

ओएनजीसी के साथ मौजूदा संविदा में उत्पादन के अलावा कर्मीदल परिवर्तन हेतु 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों को उपलब्ध कराए जाने का खण्ड अनुबद्ध है। कर्मीदल परिवर्तन हेतु 3 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर और उत्पादन कार्य हेतु 07 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की मौजूदा संविदाएं क्रमश: अगस्त 2015 और मार्च 2017 में समाप्त हो जाएगी। इन संविदाओं के नवीकरण के समय ओएनजीसी द्वारा वर्तमान में तय किया हुआ पुराने मानदंड की शर्तों को नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों द्वारा पूरा किया जाना प्रत्याशित नहीं है इसके अतिरिक्त यह पाया गया है कि ओएनजीसी के पास अगले 5 वर्षों की अवधि में और 25 अपतटीय प्लेटफार्म होने की संभावना है और तदनुसार ओएनजीसी के अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु पवन हंस को और अधिक मीडियम/इन्टरमीडिएट श्रेणी के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश गैस, जीएसपीसी, केरिन एनर्जी, पेट्रो गैस आदि अन्य अपतटीय कंपनियों को भी 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता हो सकती है और अत: पवन हंस को अपने पुनरीक्षित प्रक्षेपणों में इन आवश्यकताओं पर भी विचार करना अपेक्षित है।

मौजूदा 18 अदद डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों के बेडे को वित्त वर्ष 1986-87 और 1987-88 में अर्जित किया गया था, जिसकी उपयोगी आर्थिक जीवनकाल 30 वर्ष है। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोगी आर्थिक जीवनकाल वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पूरा होने की सम्भावना है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक पुराने बेड़े के 9 अदद हेलीकॉप्टरों को और वित्त वर्ष 2022 के अंत तक शेष 9 अदद हेलीकॉप्टरों को माइनर रिफरविशमेन्ट के साथ, यदि अपेक्षित हो, निपटाने की योजना है।

उपर्युक्त बाज़ार परिदृश्य को ध्यान में रखकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हेलीकॉप्टरों का अर्जन/निपटान प्रक्षेपणों की अब समीक्षा और पुनरीक्षण किया गया है। तद्नुसार, पूर्व में अनुमानित लागत ₹ 559.35 करोड़ से अदद 10 हेलीकॉप्टरों के पूर्व प्रक्षेपण के स्थान पर वर्तमान में ₹1189.50 करोड़ रुपए पर 22 अदद हेलीकॉप्टरों का प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें 2 अदद लाइट एकल इंजन हेलीकॉप्टर, 2 अदद लाइट दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर, 17 मीडियम हेलीकॉप्टर और 01 अदद एम आई-172 हेलीकॉप्टरों का प्रक्षेपण किए गए हैं। परिवर्तित योजना को नागर विमानन मंत्रालय को आगे योजना आयोग से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

नए क्षेत्रों में कारोबार का अनुशीलन

- चिकित्सा निकास, कानून प्रवर्तन, खबर जुटाने, अंत: परिवहन, मुख्य शहरों के केन्द्रों को एयरपोर्ट से जोड़ना, कारपोरेट यातायात, पावर इंसुलेटरों का हॉटलाइन वाशिंग आदि।
- देश के पर्यटन/तीर्थाटन क्षेत्रों में जबर्दस्त संभावना है जिसका सावधानीपूर्वक दोहन करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए जिन नए क्षेत्रों का पता लगा सकते है, वे राज्य हैं हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत, गोआ और उत्तर-पूर्व के राज्य।

आपदा प्रबंधन-समर्पित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं/ एसएआर परिचालन।

- देश के प्रथम मेडीवैक हेलीकॉप्टर को पवन हंस द्वारा ओएनजीसी को उपलब्ध कराया गया।
- एनडीएमए के सहयोग से पवन हंस मेडिवेक/एसएआर सैक्टर में उद्यम की सम्भावना की खोज करेगी।
- आपात मेडिकल सेवाएँ/एसएआर की भूमिका तथा बेहतर अभिशासन और जिला स्तर पर हेलीपैडों / हेलीपोर्टों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से जीबीएस के माध्यम से वित्तीय सहायता।

हेलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएँ

डॉफिन श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों के लिए पवन हंस मेसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस का प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र है। पवन हंस ने प्रारंभिक तौर पर डॉफिन बेड़ा रखने वाले अन्य प्रचालको को मरम्मत तथा ओवरहॉल सुविधाएँ प्रदान करने हेतु योजना बनाई है। इस उद्देश्य से एक नया अत्याधुनिक अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केन्द्र

डीजीसीए ने पवन हंस को हडस्पर, पुणे के ग्लाडिंग सेंटर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केन्द्र तथा हेलीपोर्ट निर्माण करने का कार्य सौंपा है।

हेलीपोर्ट

नागर विमानन मंत्रालय ने रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य सौंपा है, जो देश का प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट होगा, जिसमें हेलीकॉप्टरों का प्रचालन तथा पार्किंग, अनुरक्षण सुविधाएँ, छोटे वाणिज्यिक केन्द्र आदि की व्यवस्था होगी।

ग्राहक संतुष्टि में सुधार

पवन हंस समय-समय पर यात्रियों तथा ग्राहक संगठनों से प्रतिपुष्टि संग्रह करता आया है तथा एक बाहरी एजेंसी को प्रपत्र पुनर्विकास करने तथा संग्रह करने हेतु लगाया गया है।

सामर्थ्य तथा असमर्थता : – संस्थानिक ग्राहकों (जैसे–ओएनजीसी, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम) को दीर्घावधि आधार पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, अत्याधुनिक अनुरक्षण सुविधाएँ, बेड़े में भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों के होने से ग्राहकों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रतिस्पर्धी सुविधा, बृहत आकार का निपुण श्रमशक्ति (अनुभवी पायलटों, इजीनियरों तथा तकनीशियनों) और सरकारी सहायता पवन हंस का कुछ सामर्थ्य हैं। तथापि, विशिष्ट प्रतिस्पर्धी वातावरण के फलस्वरूप हेलीकॉप्टर सेवा के कम चार्टर दरें तथा बढ़ती निवेश लागत के मददेनजर अनुवर्ती अवधि में लाभ में कमी होने की सम्भावना है।

जोखिम तथा चिन्ता

सार्वजनिक उपक्रम जैसे – ओएनजीसी तथा जीएसपीसी ने 5 वर्ष पुरानी अवस्था की हेलीकॉप्टरों के लिए टेंडरों को जारी किया है। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे – अरूणाचल प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष पुरानी हेवी हेलीकॉप्टरों के लिए टेंडर जारी किया है। अत: यदि इस प्रवणता को कुछ अन्य ग्राहको द्वारा अनुसरण किया जाए तो पुरानी हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए नया कारोबार खोजना जोखिम हो सकता हैं। विशेषकर कुछ राज्यों सरकारों से वसूली अवधि लम्बी होने के फलस्वरूप बृहत राशि का बकाया देय हैं। यह नए हेलीकॉप्टरों के बेड़े का अर्जन करने हेतु ली गई टर्म लोन को ध्यान में रखते हुए कंपनी के केशफ्लो को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि, ग्राहकों के साथ प्राय: सभी अनुबंधों में विदेशी मुद्रा तथा ऐविएशन टर्बाइन फ्यूल दरों में घट–बढ़ के संबंध में हानि से बचने का प्रबंध का प्रावधान बनाया हुआ है। ऐसे घट–बढ़ अनुबंधों को प्रभावित करता है, जिससे हेलीकॉप्टर सेवा के चार्टर दरें निश्चित और सुदृढ़ हो सकता था, लेकिन इससे निवेश लागत में वृद्धि तथा लाभ में कमी होती है। एयर और ग्राउंड के संरक्षा ही विमानन कारोबार को विशेषता प्रदान करता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ ग्राहक के विश्वास को प्रभावित करता है और कंपनी के कारोबार को प्रभावित करता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इनकी पर्याप्तता

क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रक्रियाओं को संस्थात्मक बनाने के लिए समय–समय पर मानक पद्धतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जारी किया जाता है। पवन हंस में आंतरिक नियंत्रण हेतु एक पर्याप्त प्रणाली है, ताकि क्रियाकलापों का अनुवीक्षण तथा परिसम्पत्तियों की किसी भी प्रकार की अप्राधिकृत उपयोग के विरुद्ध नियंत्रण किया जा सके तथा जो संव्यवहार प्राधिकृत है उसका रिकार्ड और रिपोर्ट किया जा सके। कंपनी सभी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुवर्तन सुनिश्चित करता है और साथ ही उपयुक्त सुधारात्मक उपाएँ, यदि कोई है, सहित विनियामक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करता है। निदेशक मंडल के आडिट समिति आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का निरीक्षण करता है। समय–समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रचालन तथा संरक्षा पहलूओं का आडिट किया जाता हैं।

वित्त तथा प्रचालनों का विश्लेषण

प्रत्येक तिमाही में अनुपात विश्लेषण सहित वास्तविक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादनों को अंतिम रूप दिया जाता है और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी को वेबसाइट में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है और साथ ही कार्यालयीन समाचार को नियमित तथा तुरंत कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाता है।

कंपनी के अंशकालिक निदेशकों के धन संबंधी लेन–देन

वर्ष के दौरान किसी भी अंशकालिक निदेशकों से कंपनी का किसी भी प्रकार का लेन–देन नहीं हुआ हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधनों, औद्योगिक संबंध और प्रतिभा प्रबंधन मुद्दा

31 मार्च 2012 की श्रमशक्ति 967 के विपरीत 31 मार्च 2013 को 924 था। श्रमशक्ति में 150 फ्लाइंग क्रू, 102 इंजीनियर, 8 फ्लाइट इंजीनियर, 49 अधिकारी, 283 तकनीकी स्टाफ तथा 332 सहायक स्टाफ हैं। वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध सदभावपूर्ण था। कंपनी पायलटों तथा अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए भेजता है और नियमित आधार पर कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों का विकास कर रहा है। कर्मचारियों के साथ औधोगिक संबंध सामान्य तौर पर सद्भावपूर्ण रहे।

पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा आर एवं डी मुद्दा

कंपनी ने हमेशा ऊर्जा का बचत और प्रौद्योगिकी समावेशन को एक महत्वपूर्ण उददेश्य माना है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। कंपनी को आईएसओ – 14001 तथा 18001 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, जिसे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है तथा इसमें पर्यावरण और संरक्षा पहलू शामिल हैं। कंपनी को हाल ही में रोहिणी में हेलीपोर्ट निर्माण करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। कंपनी ने नवोन्मेष के रूप में पुर्जों का स्वदेशीकरण के संबंधी अध्ययन किया है और एचएमयू के (डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर) विश्वसनीयता में वृद्धि की है।

मुख्य वित्तीय अंश

(2012-13 के लिए)

आय के श्रोत

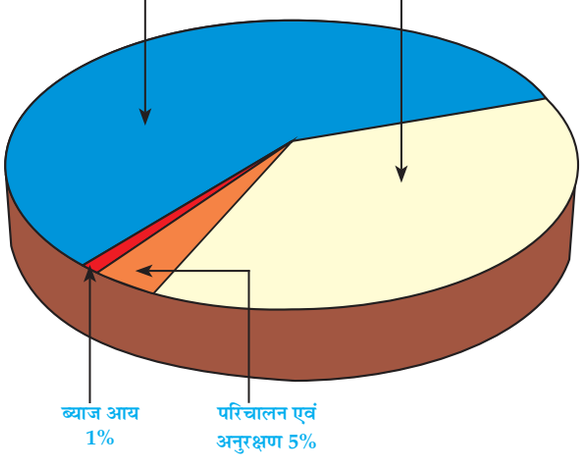

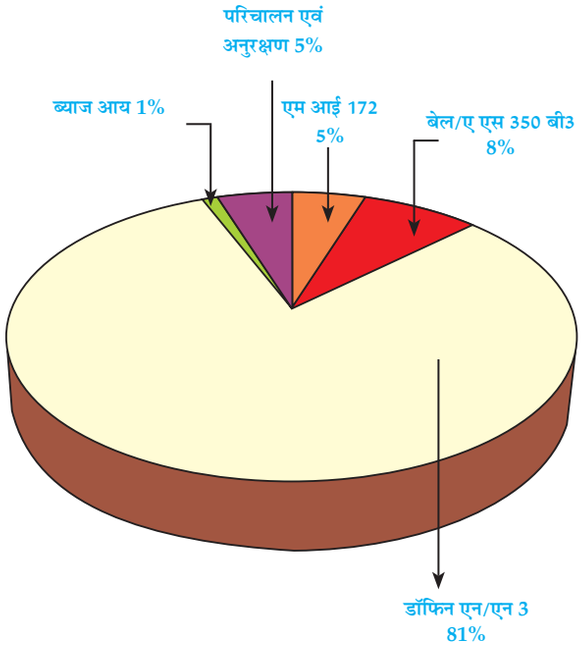

लागत संरचना

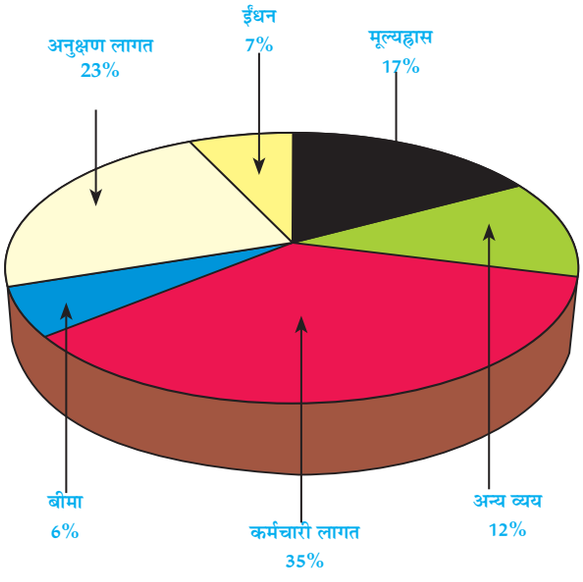

जनशक्ति विवरण

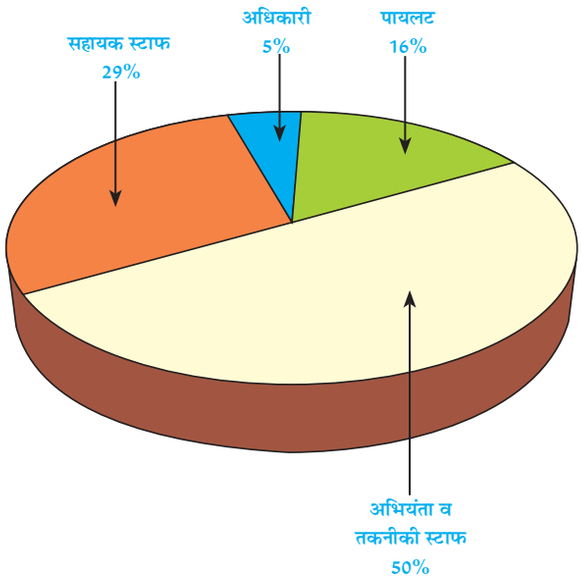

परिचालन से राजस्व और परिचालन लाभ

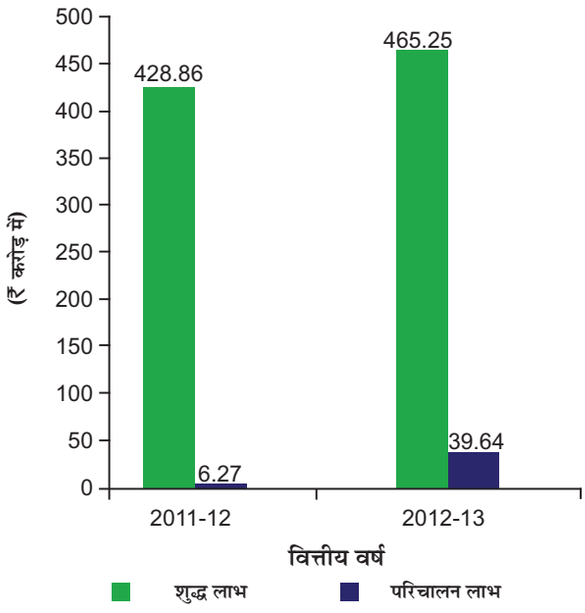

उड़ान घंटे

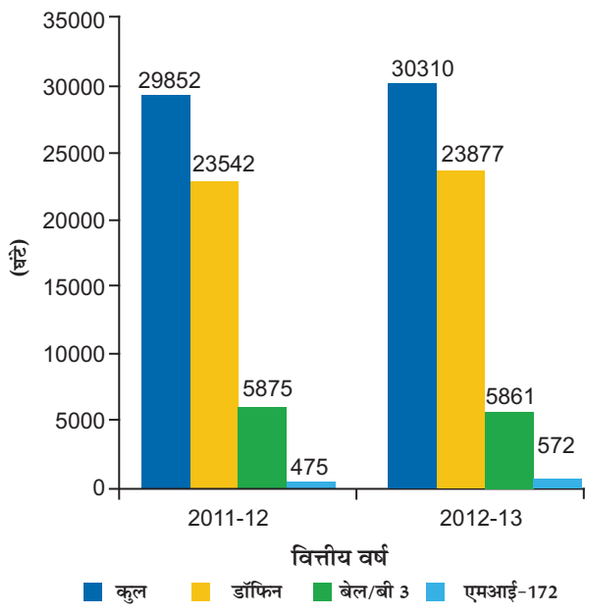

राजस्व

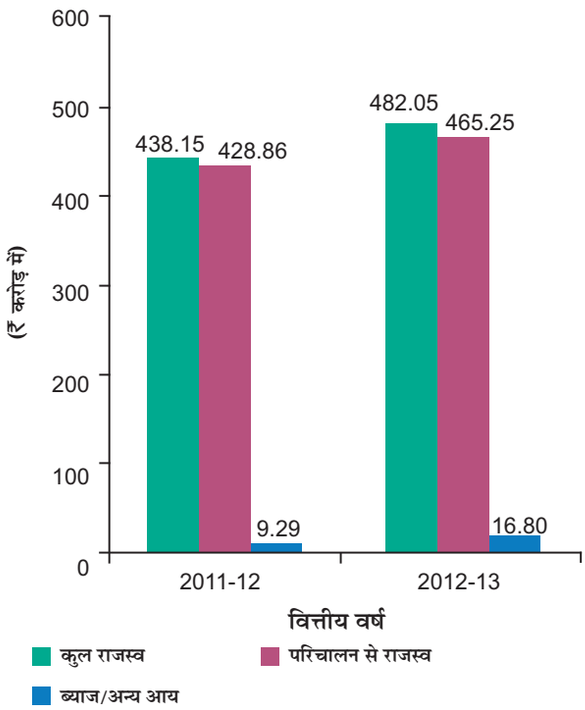

स्थाई परिसम्पतियां

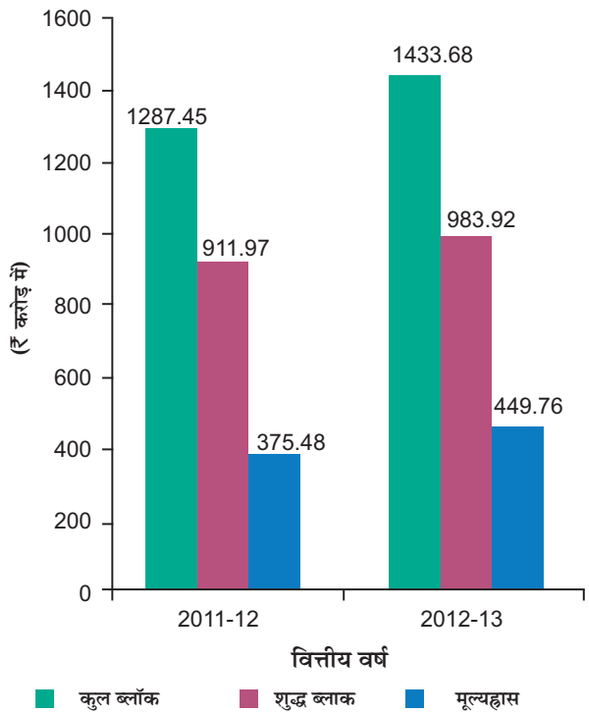

2010-11, 2011-12 और 2012-13 के संक्षिप्त लेखे

(₹करोड़ में)

विवरण	अनुपात	2012-13	2011-12	2010-11
संसाधन				
शुद्ध मूल्य		487.26	475.57	485.38
गैर-चालू देयताएं				
. ऋण-निधियाँ-प्रतिभूत ऋण		274.69	232.83	64.10
. अन्य दीर्घावधि देयता		471.40	471.51	470.69
. दीर्घावधि प्रावधान		39.33	34.56	19.62
. आस्थगित कर देयता		136.27	126.53	97.63
योग		**1408.95**	**1341.00**	**1137.42**
संसाधनों का उपयोग				
अचल परिसम्पतियाँ (कैपिटल डब्ल्यूआईपी सहित)		1433.69	1287.45	1015.33
घटा : मूल्यह्रास		449.77	375.48	324.48
शुद्ध अचल परिसम्पतियाँ		983.92	911.97	690.85
पूंजीगत क्रार्य प्रगति पर		18.07	23.03	29.36
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम		81.48	90.69	132.61
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		3.57	3.93	4.08
निवेश		2.89	2.89	2.89
शुद्ध कार्यशील पूंजी		319.02	308.50	277.63
		1408.96	1341.00	1137.42
नियोजित पूंजी		**1321.01**	**1243.49**	**997.84**
आय				
परिचालय से राजस्व		465.25	428.86	423.98
ब्याज /अन्य आय		10.38	9.29	6.49
योग		**475.63**	**438.15**	**430.47**
व्यय				
हेलीकॉप्टर परिचालन व अनुरक्षण व्यय		155.12	167.63	155.34
कर्मचारी हित व्यय		149.06	135.93	121.47
वित्तीय लागत		28.51	14.46	6.17
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		73.79	60.30	46.53
अन्य व्यय		47.63	58.73	53.38
योग		**454.11**	**437.05**	**382.89**
असाधारण पूर्व वर्ष के लिए लाभ		21.52	1.10	47.58
पूर्वावधि असाधारण समायोजन		6.42	21.34	1.85
कर पूर्व लाभ		27.94	22.44	49.43
कर के लिए प्रावधान		6.50	4.50	9.97
गत वर्षो हेतु कर प्रावधान			-0.61	0.54
आस्थगित कर देयता		9.74	28.90	20.42
कर के बाद शुद्ध लाभ		**11.70**	**(10.35)**	**18.50**
विशिष्ट अनुपात				
क) शुद्ध लाभ का अनुपात	शुद्ध लाभ/ (हानि) / कुल राजस्व	2.5%	(2.4%)	4.3%
ख) निवेश से आय	शुद्ध लाभ/ (हानि) / नियोजित पूंजी	2.1%	1.8%	5.0%
ग) शुद्ध मूल्य पर आय	शुद्ध लाभ/ (हानि) / शुद्ध मूल्य	2.4%	(2.2%)	3.8%
घ) ऋण उगाही अवधि (माह में)	परिचालन देनदार / औसत मासिक परिचालन राजस्व	5.4	4.7	5.2
ड़) मालसूची खपत (माह में)	वर्ष एवं मालसूची / औसत मासिक परिचालन राजस्व	1.7	2.2	2.0
च) चालू अनुपात	चालू परिसम्पत्तियाँ : चालू देयताएं	3.5	3.3	3.2

लेखे

28. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

I. अचल परिसम्पत्तियां/मूल्यह्रास

क) मूल्यह्रास का प्रावधान अचल परिसम्पत्तियों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के बिना वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है।

ख) हेलीकॉप्टर बेड़े का मीडलाइफ अॅपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की लागत/मेजर रिट्रोफिट को पूंजीकृत किया गया है।

ग) मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी (संशोधन), अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अंतर्गत विहित दरों पर सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है। पुराने हेलीकॉप्टरों तथा विमान इंजनों को खरीदने के मामले में मूल्यह्रास को एक दर से उपलब्ध कराया जाता है इस मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य के 95% की सीमा तक उपलब्ध कराया जाता है। जिससे कि शेष निश्चित अवधि में ऐसी आस्तियों की लागत को 95% बट्टे खाते में डाला जा सके। एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में, इनकी जीवन सीमा पर विचार करके, जो कि (7000 घंटे अथवा 15 वर्ष वित्तीय वर्ष 2008-09 तक, के स्थान पर) 12,000 घंटे अथवा 25 वर्ष, जो भी पहले हो प्रत्येक वर्ष 480 घंटे की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 5.60% वार्षिक, न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त घंटों की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 480 घंटे से अधिक की गई वास्तविक उड़ान घंटे को प्रतिघंटा दर से गुणा करके, प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए मूल लागत के 95% को 12,000 घंटे से भाग करके गणना की जाती है।

घ) एयरफ्रेम तथा एयरोइंजिन उपस्कर-रोटेबल्स तथा हेलीकॉप्टर के मीड लाइफ अॅपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप सर्टिफिकेशन लागत सहित)की लागत/मेजर रिट्रोफिट पर मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा आधार पर इस तरह से की जाती है, जिससे कि प्रमुख परिसम्पत्ति (टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स) के शेष उपयोगी जीवन में उसकी 95% राशि को बट्टे खाते डाला जा सके, बशर्ते इसे स्चैटूट दरों पर न्यूनतम प्रभार से लगाया गया हो। एम आई 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में एयरफ्रेम तथा एयरो इंजिन रोटेबल्स को बेड़े की वार्षिक औसतन अनुरक्षण उड़ान घन्टे तथा वित्त वर्ष के आरम्भ में न्यूनतम परिचालित हेलीकॉप्टरों के शेष उपयोगी जीवनावधि की उड़ान घन्टे के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की गई है। इस उद्देश्यार्थ, हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डॉफिन एन हेलीकॉप्टर, जिनकी हेलीकॉप्टर बेड़े में महत्वपूर्ण संख्या है) अथवा हेलीकॉप्टर (अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए) के शेष उपयोगी जीवन को माना जाएगा। वित्त वर्ष 2006-07 से तकनीकी प्राक्कलनों तथा कम्पनी की परिव्यय नीति के अनुसार हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 30 वर्ष अथवा 25000 घंटे, जो भी बाद में होगा (एम आई 172 हेलीकॉप्टर के सिवाय, जिनकी जीवन सीमा उपर्युक्त बताए गए अनुसार सीमित है) माना गया है। अब से पहले हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष अथवा 16000 घन्टे, जो भी बाद में होगा माना जाता था। इन शीर्षों के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफ आई एफ ओ आधार पर रीटेन ऑफ किया गया है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेड़े के रोटेबल्स "इन्वेन्ट्री" के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि इनका पूरा बही मूल्य प्रदान किया गया है।

ङ) पट्टाधारी भूमि की लागत, पट्टे की अवधि के बीतने पर अमॉरटाइज की गई। इसी तरह संयुक्त विकास करार के अधीन ए.ए.आई. के साथ निर्माण किए गए आवासीय फ्लैटों को करार की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति पर कब्जा लेने के अधिकार की अवधि में अमॉरटाइज किया गया है।

च) अचल परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा में देयताओं से संबंधित परिवर्तन अंतरों को परिसम्पत्ति की मूल लागत में समायोजित किया गया है और परिवर्तन की तारीख तक संचयी मूल्यह्रास को पुन: संगठित किया गया है। इस नीति का अनुसरण 31.3.2007 तक किया गया।

छ) सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए धारित सामग्री मूल्य की परिसम्पत्तियों को उनके निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य (जहां लागू हो) से कम पर दर्शाया गया है और लेखों में अलग से दिखाया गया है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्त वर्ष 1995-96 से प्रभावी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) का मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

ज) हेलीकॉप्टरों/स्पेयर्स की वृद्धियों या विलोपों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना समानुपातिक आधार पर की जाती है जो अर्जन/ बिक्री के दिनांक से प्रभावी है। समस्त अन्य अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर लगाया जाता है। ऐसी अर्जित परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्रभावी तारीख, मद की खरीद के माह के आगामी माह के प्रथम दिन से मानी गई है। इसी प्रकार विलोपों के संबंध में परिसम्पत्ति के विलोप पूर्व माह के अंतिम दिन को समानुपातिक मूल्यह्रास के प्रावधान के लिए माना गया है। परिसम्पत्तियों के समापन या निपटान से हुए लाभों और हानियों के लाभ एवं हानि लेखों में क्रेडिट/प्रभारित किया गया है।

झ) ₹ 5000 या उससे कम यूनिट मूल्य की परिसम्पत्तियों को 100% रूप में खरीद के वर्ष में मूल्यह्रासित किया गया।

ञ) असमर्थता:

किसी असमर्थता का संकेत न हो इसके लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्तियों के अग्रेनित राशि की समीक्षा की जाती है। यदि कोई संकेत विद्यमान हो, आस्तियों के वसूली योग्य राशि का प्राकल्लन किया जाता है। जहाँ कहीं आस्तियों की अग्रेनित राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है असमर्थता हानि की पहचान की जाती है।

II. निवेश

निवेश को लागत में से प्राप्त अंतरिम भुगतान, यदि कोई है, घटाकर कहा गया है। तथा, उन निवेशों के संबंध में जिनका पुनर्भाजन मूल्य अर्जन लागत से भिन्न है, ऐसे मामलों में अर्जन लागत तथा निवेशों के पुनर्भाजन दिनांक तक ऑन टाइम आधार पर लेखांकित किया गया है। वर्ष की इस रकम को लाभ व हानि खाते में ब्याज आय के रूप में समायोजित किया गया है और तदनुसार ऐसे निवेशों की लागत का समायोजन किया गया है।

III. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

क) कम्पनी के प्रधान बैंकर द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार अचल परिसम्पत्ति, माल तथा सेवाओं को खरीदने से संबंधित विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है। उसी तरह कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शॅन को ट्रांजैक्शॅन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है जिसे इस मामले में संबंधित माह की अंतिम तिथि माना गया है।

ख) वर्षान्त में वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में लागू मुद्रा विनियम दर पर बदला जाता है जबकि गैर वित्तीय मदों पर इसे ऐतिहासिक दरों पर लिया जाता है।

ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के पुनर्लेखन अथवा विदेशी मुद्रा लेन-देन के कारण होने वाले मुद्रा विनयम उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि अथवा लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में अन्तरित किया जाता है।

IV. मालसूची

क) स्पेयर्स और खपत योग्य सामान इत्यादि सहित हेलीकॉप्टर की सूची को मूविंग वेटेड औसत विधि का प्रयोग करके लागत पर दर्शाया गया है। शॉप फ्लोर पर पड़े ऐसे स्पेयर्स एवं स्टॉक को वर्ष में अन्तिम इन्वेन्ट्री माना जाता है।

ख) खुले/परीक्षण औजारों का मूल्यांकन अप्रचलन आरक्षिति वित्तीय बट्टों को घटाकर लागत पर किया जाता है। खुले औजारों/परीक्षण औजारों को खरीद के वर्ष सहित तीन वर्षों की अवधि में समान रूप से विलय किया जाता है। इन शीर्षों के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफ.आई.एफ.ओ. आधार पर बट्टे खाते डाला जाता है।

ग) लैण्डेड यूनिट मूल्य ₹ 1000 से कम स्टोर्स तथा स्पेयर्स तथा उपभोज्य, तेल, ग्रीज, स्नेहक आदि मदों को खरीद के वर्ष में खर्च किया गया था।

घ) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कस्टम के पास पड़ी तथा अप्राप्त वस्तुओं की गणना मार्गस्थ माल के रूप में गई है। यद्यपि जिनकी मरम्मत के बाद वापस किया गया उनके ओरवहॉल प्रभार की तत्समान रकम को अनुरक्षण के लिए प्रावधान में उसी वर्ष के लाभ व हानि खाता के अनुरक्षण व्यय में डेबिट किया जाता है।

ङ) लेखों में अचल मदों के लिए मूविंग वेटेड औसत लागत के आधार पर स्टोर्स, स्पेयर्स तथा उपभोज्य के लिए प्रावधान बनाया गया है (रिपेयरेबल्स एवं रोटेबल्स, ग्राउंड सहायता एवं टैस्ट उपस्करों, बीमाकृत स्पेयर्स तथा अनुरक्षण औजारों के अलावा) जिसे अंतिम कार्य संपादन/अंतिम सौदे की तिथि से लगातार तीन वर्षों तक वास्तविक उपयोग के लिए जारी नहीं किया गया है।

V. देयताएं

क) तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान सभी ज्ञात देयताओं के लिए लेखे में प्रावधान किया गया है। अज्ञात देयताओं या उन देयताओं के लिए जिनकी राशि की गणना शुद्धता की तर्कसंगत मात्रा तक नहीं की जा सकती, प्रावधान नहीं किया गया है। माल की खरीद या मरम्मत/ओवरहॉल प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान लेखों में विनिर्माता की सूचनाओं/इंजीनियरी अनुमानों के आधार पर मदों की प्राप्ति के प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च को किया गया है।

ख) सप्लायरों/बाहरी पार्टियों पर दावों की गणना उनकी स्वीकृति पर की जाती है। आपूर्तिकर्ताओं/बाहरी पार्टियों/ ग्राहकों के दावों को निपटान आधार पर लेखांकित किया जाता है।

ग) उपचित व्ययों/ देयताओं के लिए यदि अलग-अलग लेन-देन ₹ 5000 से कम है तो लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

VI. पूर्व प्रदत्त व्यय

₹ 5000 तक के पूर्व प्रदत्त व्ययों के मामले में एकाकी लेन-देनों को लेखांकित नहीं किया गया।

VII. हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण व्यय

वित्त वर्ष 2006-07 से प्रभावी रूप में हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण व्यय को किए खर्च आधार पर लेखांकित किया जाता है।

VIII. राजस्व मान्यता

क) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार हेलीकॉप्टर परिचालन से राजस्व को प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) अभियांत्रिकी तथा अन्य सेवाओं से आय को तब स्वीकार किया जाता है जब संगत कार्य को पूरा कर लिया जाता है।

ग) रद्दी परिसम्पत्ति/स्टोर्स की बिक्री से प्राप्त/राजस्व वास्तविक वसूली पर अभिज्ञान किया जाता है।

IX. निवेशों से प्राप्त ब्याज/आय

बैंकों/अन्य संस्थाओं आदि में किए गए जमा/निवेश पर उपचित ब्याज/आय को लागू ब्याज/ संसूचक आय दरों पर वित्त वर्ष के अंत तक आनुपतिक आधार पर लेखांकित किया गया है।

X. ईंधन

वित्त वर्ष 2011-12 से प्रभावी, वित्त वर्ष के अंत में एयर क्राफ्ट, बैरलों और वाउजरों के एटीफ के क्लोजिंग स्टॉक का लेखांकन किया गया है और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिसूचित मार्च माह को एटीएफ की कीमत सूची पर मूल्यांकित किया गया है, सिवाय उनके जहाँ ग्राहकों द्वारा उनके प्रचालन हेतु हमारे एयरक्राफ्टों में एटीएफ उपलब्ध कराया गया है। अब तक एटीएफ खरीद करने पर उसे खपत किया गया माना जाता रहा है।

XI. बीमा/बीमा दावे

क) कंपनी ने तकनीकी कार्मिकों के संबंध में स्व बीमा की पृथक योजना का विकल्प चुना है। योजना के अन्तर्गत देय किसी प्रकार का मुआवजा वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय पर प्रभारित होगा।

ख) हेलीकॉप्टरों तथा अन्य मालसूची से भिन्न मदों के बीमा दावों को नकद आधार पर लेखांकित किया गया है और किसी तीसरी पार्टी के देय दावे को छोड़कर उसे आय के रूप में माना गया है।

ग) कुल हानि से भिन्न सभी हेलीकॉप्टर तथा माल सूची संबंधी दावों को बीमा कम्पनी द्वारा दावों को स्वीकृति वर्ष के उनके अनुमानित/अंतिम रूप से निर्धारित मूल्यों पर लेखांकित किया गया है। मरम्मत पर हुए वास्तविक व्यय को और वसूल किए गए कुल बीमा दावे को अनुरक्षण लागत के प्रावधान में समायोजित किया जाता है तथा परिसम्पत्तियों के उनके बही मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

घ) हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के वर्ष में अचल परिसम्पत्तियों से हेलीकॉप्टर का रिटेन डाउन मूल्य कम करके समायोजित किया जाता है तथा उसे 'बीमा दावा प्राप्य योग्य लेखा' में दर्शाया जाता है और 'परिसम्पत्ति के नाश पर लाभ/ हानि दावा' में समुचित समायोजन किया जाता है, जब दावाकृत मूल्य का बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार/निपटारा किया जाता है।

XII. ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी की गणना एक्चूरियल मूल्यांकन आधार पर की जाती है और वर्ष में देय रकम को अलग मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी निधि में अंतरित किया जाता है।

XIII. अमूर्त परिसम्पत्तियां

क) नए भर्ती किए गए पायलटों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण व्यय, जो लेखांकन मानक-26 के अनुसार अमूर्त परिसम्पत्ति हेतु योग्य है, को ऐसे अमूर्त परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के रूप में ऑमरटाईज किया गया है। अन्य प्रशिक्षण व्यय को जिस वर्ष में खर्च किया गया है उसी में, राजस्व लेखा में चार्ज ऑफ किया गया है।

ख) ₹ 5 लाख से अधिक लागत से खरीदे गए/आन्तरिक संसाधनों से विकसित सॉफ्टवेयरों को सफलतापूर्वक चालू करने की तिथि से सरल रेखा आधार पर 60 माह से अधिक अवधि के लिए ऑमरटाइज किया गया, बशर्ते प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी समीक्षा की जाए। ₹ 5 लाख तक की प्रत्येक सॉफ्टवेयर लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया गया है।

XIV. कर्मचारी लाभ

अवकाश वेतन/असबाब भत्ता/उत्तर सेवा-निवृत्ति चिकित्सा लाभ तथा छुट्टी यात्रा रियायत लाभ को एक्चूरियल मूल्यांकन आधार पर लगाया जाता है।

XV. पूर्वावधि समायोजन

आय अथवा व्यय से संबंधित लेखे जो कि चालू अवधि में उद्भूत हुए हैं उन्हें पूर्व के वर्षों में यथोचित रूप से प्राक्कलित किया जा सकता था लेकिन त्रुटियों अथवा चूकों के कारण लेखांकित नहीं किया गया और उन्हें इस अवधि से पूर्व की मदों के रूप में दर्शाया गया है।

XVI. फुटकर देनदार/ प्राप्य लेखे

क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य ऋण जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया है, उसे संदिग्ध ज्ञात किया गया है और उसे दर्शाया गया है सिवाय जिसे विशेष रूप से इस अवधि से पूर्व संदिग्ध ज्ञात किया गया है। यद्यपि केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के लिए वसूली योग्य ऋण और सात वर्षों से अधिक के बकाए को संदिग्ध समझा गया है बशर्ते इस अवधि के पूर्व विशेष रूप से संदिग्ध होना ज्ञात हो।

ख) बाहरी पार्टियों से संबंधित असमायोजित/दावा नहीं की गई जमा राशि जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया है, उसे रिटेन बैक किया गया है तथा आय के रूप में माना गया है।

XVII. उधार लागत

क) अर्जन, निर्माण या अर्हकारी परिसम्पत्ति के उत्पादन से सबंधित उधार लागत को अभिप्रेत उपयोग के लिए

परिसम्पत्तियों के तैयार होने तक पूंजीकृत किया जाता है।

ख) उपर्युक्त बताए गए के अलावा अन्य उधार लागत को पीरियड लागत माना जाता है और लाभ और हानि खाते में परिवर्तित किया जाता है।

XVIII) आय पर कर

वर्तमान कर, वर्ष की कर योग्य आय पर देय कर की रकम के रूप में अभिनिश्चित किया गया है। निर्धारण में मांगे गए अतिरिक्त आयकर को निर्धारण अंतिमता के वर्ष में उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार, आयकर वापसी पर ब्याज निर्धारण अंतिमता के वर्ष में अथवा वास्तविक प्राप्ति जो भी बाद में हुआ हो, माना गया है। बही लाभ और कर लाभों के बीच समयान्तर के कारण आस्थगित कर प्रभार या देय क्रेडिट की पहचान तत्समय लागू या तुलन-पत्र की तिथि पर लागू दरों एवं कानूनों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उसी सीमा तक माना जाता है जहां तक भविष्य में उनकी वसूली का तर्कसंगत निश्चय किया जा सके। अनामेलित मूल्यह्रास अथवा अग्रेनीत हानियों के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को केवल तभी माना जाता है, जब कि ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली का निश्चय किसी वास्तविक साक्ष्य के आधार पर किया गया हो।

XIX) कैश फ्लो विवरण

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारीकृत 'कैश फ्लो विवरण पर लेखा मानक-3' के अधीन निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया है।

तुलन पत्र

31 मार्च, 2013

(₹ लाख में)

	नोट सं.	31 मार्च 2013		31 मार्च 2012	
I. इक्विटी व देयता					
(1) अंशधारकों की निधि					
(क) शेयर पूंजी	1	24,561.60		24,561.60	
(ख) आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	23,891.12		22,995.02	
			48,452.72		47,556.62
(2) गैर चालू देयता					
(क) दीर्घावधि उधार	3	27,469.39		23,283.07	
(ख) आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	4	13,626.81		12,652.92	
(ग) अन्य दीर्घावधि देयता	5	47,140.47		47,151.13	
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	6	3,932.96		3,455.98	
			92,169.63		86,543.10
(3) चालू देयताएं					
(क) कारोबार देय	7	1,622.49		3,525.09	
(ख) अन्य चालू देयता	8	8,417.24		7,425.18	
(ग) अल्पावधि प्रावधान	9	2,933.21		2,713.90	
			12,972.94		13,664.17
योग			**1,53,595.29**		**1,47,763.89**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10				
- क्रियाशील परिसंपत्तियां		98,206.50		91,127.80	
- सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा निर्वतनाधीन अक्षम परिसंपत्तियां		956.13		953.53	
निवर्तन/असमर्थता के लिए घटाया प्रावधान		(956.13)		(953.53)	
		98,206.50		91,127.80	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	11	185.74		68.98	
(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति पर-मूर्त परिसंपत्तियां	12	1,807.46		2,303.04	
		1,00,199.70		93,499.82	
(ख) गैर चालू निवेश	13	289.34		289.34	
(ग) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	14	8,148.48		9,066.99	
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	15	356.81		392.88	
			1,08,994.33		1,03,249.03
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) इन्वेन्ट्रीज	16	6,727.53		7,947.67	
(ख) कारोबार प्राप्य	17	21,020.67		16,847.27	
(ग) नकद और नकद तुल्य राशि	18	12,567.49		13,993.19	
(घ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	19	1,904.60		2,311.76	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	20	2,380.67		3,414.97	
			44,600.96		44,514.86
योग			**1,53,595.29**		**1,47,763.89**
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	27				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	28				

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

कृते खन्ना एवं आनंदम
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. न. 1297 एन

आशीष अहलूवालिया
पार्टनर
(एम.सं.-088514)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अक्टूबर, 2013

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

सुबीर दास
महाप्रबंधक (वि.व.ले.)

लाभ एवं हानि की विवरणी

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	नोट सं.	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
राजस्व:			
प्रचालन से राजस्व	**21**	45,642.98	41,499.82
अन्य आय	**22**	2,562.41	2,314.88
कुल राजस्व		**48,205.39**	**43,814.70**
व्यय:			
हेलीकॉप्टर प्रचालनरत एवं अनुरक्षण व्यय	**23**	15,511.99	16,763.44
कर्मचारी लाभ व्यय	**24**	14,906.20	13,593.13
वित्तीय लागत–ब्याज व्यय		2,851.16	1,445.73
मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय		7,378.70	6,030.48
अन्य व्यय	**25**	4,763.63	5,872.71
कुल व्यय		**45,411.68**	**43,705.49**
असाधारण मदों पूर्व लाभ एवं कर		2,793.71	109.21
असाधारण मदें	**26**	-	2,133.92
कर पूर्व आय		**2,793.71**	**2,243.13**
कर व्यय :			
चालू कर (एम ए टी)		650.00	450.00
पूर्व वर्षों का कर		-	(61.32)
आस्थगित कर		973.89	2,889.57
वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)		**1,169.82**	**(1,035.12)**
		(मूल्य ₹ में)	(मूल्य ₹ में)
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹. 10,000/-)			
(1) मूल		476.00	(421.00)
(2) डायलूटेड		476.00	(421.00)
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	**27**		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	**28**		

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

कृते खन्ना एवं आनंदम
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. न. 1297 एन

आशीष अहलूवालिया
पार्टनर
(एम.सं.-088514)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अक्टूबर, 2013

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

सुबीर दास
महाप्रबंधक (वि.व.ले.)

नोट सं. 1
अंशधारकों की निधियाँ

(₹ लाख में)

			31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012
अंशधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी					
(क)	प्राधिकृत पूंजी				
	2,50,000 इक्विटी शेयर		25,000.00		25,000.00
	₹ 10,000/- प्रत्येक				
(ख)	जारी पूंजी, अभिदत्त पूर्ण प्रदत्त				
	2,45,616 इक्विटी शेयर		24,561.60		24,561.60
	₹ 10,000/- प्रत्येक				
(ग)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ व अंत का बकाया शेयरों का समाधान	प्रारंभिक	2,45,616		2,45,616
		जोड़ा: आबंटित शेयर	-		-
		अंतिम	2,45,616		2,45,616
(घ)	कम्पनी के प्रत्येक साधारण शेयर के लिए संलग्न अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध का सममूल्य ₹ 10,000 प्रति शेयर है और शेयरों के रेंक क्लास में सम्मिलित है मतदान के अधिकार सहित सभी मामलों में, समरूप वितरण पर प्रतिबंध और लाभांश के लिए पात्रता और पूंजी का पुर्नभुगतान				
(ङ)	धारित शेयरों का विशेष विवरण के साथ कंपनी में 5 प्रतिशत शेयरों से अधिक शेयरों को धारित करने वाले प्रत्येक शेयर धारक।	**शेयर धारक के नाम**	धारित शेयरों की संख्या		
		भारत के राष्ट्रपति	125,266		125,266
		ओ.एन.जी.जी.सी. लिमिटेड	120,350		120,350
	योग			24,561.60		24,561.60

नोट सं. 2
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष

(₹ लाख में)

		31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
(क)	आरक्षितियाँ				
(i)	सामान्य आरक्षिति				
	पिछले खाते के अनुसार		2,050.00		2,050.00
(ii)	लाभ व हानि की विवरणी-अधिशेष				
	पिछले खाते के अनुसार	20,945.02		21,980.14	
जोड़िए	वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	1,169.82		(1,035.12)	
घटाइए	इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित डिविडेंट	(233.96)		-	
घटाइए	प्रस्तावित डिविडेंट पर कर	(39.76)	21,841.12		20,945.02
योग			**23,891.12**		**22,995.02**

नोट: निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ के 20% इक्विटी शेयरों (गत वर्ष शून्य) पर डिविडेंट की अनुशंसा की है जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के विषयाधीन है।

नोट सं. 3
दीर्घावधि उधार

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
सुरक्षित मियादी ऋण		
- ओएनजीसी लिमिटेड	7,453.33	10,566.71
- एनटीपीसी लिमिटेड	4,499.84	4,875.53
- एक्जिम बैंक	7,055.78	7,840.83
- विजया बैंक	8,460.44	-
योग	27,469.39	23,283.07
उधारों की पूर्णता का सार निम्नवत है:		
	31.03.2013	**31.03.2012**
- एक वर्ष से अधिक देर तक नहीं (नोट सं. 8)	5,526.87	3,323.51
दीर्घावधि ऋण की चालू पूर्णता	**5,526.87**	**3,323.51**
- एक वर्ष से अधिक देर और पांच वर्ष से अधिक देर नहीं	17,402.80	15,184.14
- पांच वर्ष से अधिक देर	10,066.59	8,098.93
	27,469.39	**23,283.07**

वित्तीय विवरणों के अतिक्ति नोट (नोट सं. 27) के नोट सं. (XIV) का संदर्भ लें

नोट सं. 4
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)				
1. **आस्थगित कर देयता**				
– बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास का अंतर	20,080.42		16,499.69	
		20,080.42		16,499.69
सकल आस्थगित कर देयता		**20,080.42**		**16,499.69**
2. **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ**				
सर्जित प्रावधान				
– कर्मचारी लाभ	2,059.37		1,935.85	
– अचल इंवेन्ट्री	538.41		452.91	
– लीज किराया	-		39.75	
– निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व/सतत विकास निधि	53.80		45.03	
– आगे ले जाया गया अनवशोषित मूल्यह्रास	3,617.27		1,207.68	
– संदेहास्पद ऋण / अग्रिम	184.76		165.55	
		6,453.61		3,846.77
सकल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		**6,453.61**		**3,846.77**
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		**13,626.81**		**12,652.92**

नोट सं. 5
अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
क) प्रतिभूति जमा		118.25		128.91
ख) केन्द्र सरकार द्वारा दावाकृत राशि				
– मूलधन राशि	13,091.03		13,091.03	
– ब्याज/अन्य प्रभार	33,931.19		33,931.19	
		47,022.22		47,022.22
योग		**47,140.47**		**47,151.13**

नोट सं. 6
दीर्घावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
– सेवा निवृति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना	395.12		290.95	
– अर्जित अवकाश	1,200.91		1,178.76	
– बीमारी अवकाश (एच पी एल)	505.78		478.15	
– पेंशन	1,818.71		1,415.31	
– अन्य	12.44		92.81	
		3,932.96		3,455.98
योग		**3,932.96**		**3,455.98**

कर्मचारी हितलाभ–एएस–15 के अनुसार अपेक्षित प्रकटन नोट क्रमांक 27 (XVI) में दिया गया है।

नोट सं. 7
कारोबार शोध्य

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
कारोबार शोध्य	1,622.49	3,525.09
योग	**1,622.49**	**3,525.09**

नोट सं. 8
अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
दीर्घावधि ऋण का चालू पूर्णताएँ		5,526.87		3,323.51
उपचित ब्याज लेकिन उधारों पर देय नहीं		116.77		130.32
अन्य शोध्य:				
- ग्राहकों से अग्रिम		315.58		334.60
- परियोजनाओं के लिए डीजीसीए से अग्रिम (ब्याज सहित)	1,179.86		1,135.62	
घटा : परियोजना पर व्यय की गई राशि	971.99		218.47	
		207.87		917.15
-प्रतिभूति/बयाना जमा	119.53		79.51	
-सांविधिक देयताएं	299.16		273.26	
-नियत आस्तियों के क्रय पर देय	554.47		970.04	
-पूंजीगत व्ययों के लिए देय	19.87		20.43	
-कर्मचारियों को देय	138.58		184.64	
-अस्थायी खाता अधिविकर्ष	699.01		432.26	
-अन्य देयताएं	419.53		759.46	
		2,250.15		2,719.60
योग		**8,417.24**		**7,425.18**

नोट सं. 9
अल्पावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
-सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना	14.50		18.97	
-अर्जित अवकाश	152.38		73.37	
-बीमारी अवकाश (एचपीएल)	50.73		21.80	
-अन्य	2,196.69		2,396.48	
		2,414.30		2,510.62
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान		138.78		138.78
सतत विकास निधि के लिए प्रावधान		27.05		-
अन्य प्रावधान (नोट संख्या 27(VI)(सी) का संदर्भ लें)		76.36		61.50
कर हेतु प्रावधान:				
-संपत्ति कर		3.00		3.00
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित डिविडेंट		233.96		-
प्रस्तावित डिविडेंट पर प्रस्तावित कर		39.76		-
योग		**2,933.21**		**2,713.90**

कर्मचारी हितलाभ -एएस-15 के अनुसार अपेक्षित प्रकटन नोट क्रमांक 27 (XVI) में दिया गया है।

नोट सं. 10

स्थायी परिसम्पतियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक 1 अप्रैल 2012 को	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2013 तक
मूर्त परिसंपत्तियां				
I. क्रियाशील परिसंपत्तियां				
भूमि पट्टे पर	58.91	-	-	58.91
भवन	4,348.75	59.25	-	4,408.00
संयत्र एवं उपस्कर				
– हेलीकॉप्टर एवं एयरो इंजन	95,388.02	12,469.19	207.77	108,064.98
– एयरफ्रेम एवं इंजन उपस्कर रोटेबल्स	23,300.73	1,644.88	(277.22)	24,668.39
– कार्यशालाएं व ग्राउंड सहायता उपस्कर	3,129.70	355.26	(47.03)	3,437.93
– प्रशिक्षण सहायता उपस्कर	22.91	-	-	22.91
– वातानुकूलन	204.08	9.36	-	213.44
– विद्युत संस्थापनाएं	312.13	0.27	(0.43)	311.97
फर्नीचर व जुड़नार	593.01	32.46	(0.08)	625.39
वाहन	209.25	-	-	209.25
कार्यालय उपस्कर	216.96	5.39	(1.31)	221.04
अन्य				
– कम्प्यूटर व अन्य संबंधित उपस्कर	699.04	30.55	(21.84)	707.75
– संचार उपस्कर	20.98	-	-	20.98
योग (I)	**128,504.47**	**14,606.61**	**(140.14)**	**142,970.94**
गत वर्ष (I)	**100,260.35**	**30,478.93**	**(2,234.81)**	**128,504.47**
II. सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा असमर्थ परिसंपत्तियां				
संयत्र व उपस्कर				
– हेलीकॉप्टर व एयरो इंजन	5,778.08	-	-	5,778.08
– एयर फ्रेम व इंजन उपस्कर रोटेबल्स	35.38	-	(25.47)	9.91
– कार्यशाला एवं ग्राउंड सहायता उपस्कार	312.54	-	-	312.54
– प्रशिक्षण सहायता उपस्कर	41.25	-	-	41.25
– विद्युत संस्थापनाएं	6.68	-	-	6.68
– फर्नीचर व जुड़नार	34.06	-	-	34.06
– कार्यालय उपस्कर	29.92	-	(0.19)	29.73
योग (II)	**6,237.91**	**-**	**(25.66)**	**6,212.25**
गत वर्ष (II)	**6,248.46**	**-**	**(10.54)**	**6,237.91**
III. अक्रियाशील परिसंपत्तियां				
संयत्र व उपस्कार				
– हेलीकॉप्टर व एयरो इंजन	-	-	-	-
योग (III)	**-**	**-**	**-**	**-**
गत वर्ष (III)	**1,767.96**	**-**	**(1,767.96)**	**-**
सर्व योग (I + II + III) (क)	**134,742.38**	**14,606.61**	**(165.80)**	**149,183.69**
सर्व योग (गत वर्ष) (I + II + III)	**108,276.77**	**30,478.93**	**(4,013.32)**	**134,742.38**

नोट सं. 11

अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

पूंजीकृत साफ्टवेयर	240.46	-	-	240.46
प्रशिक्षण लागत	-	157.06		157.06
योग (ख)	**240.46**	**157.06**	**-**	**397.52**
गत वर्ष	**193.27**	**47.19**	**-**	**240.46**

संचयी मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	(₹ लाख में)
31 मार्च 2012 तक	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	निपटान पश्चात समायोजन	31 मार्च 2013 तक	31 मार्च 2013 को शेष	31 मार्च 2012 को शेष
14.37	0.65	-	15.02	43.89	44.54
1,496.63	143.83	-	1,640.46	2,767.54	2,852.12
24,057.15	5,469.37	205.85	29,732.37	78,332.61	71,330.87
9,952.94	1,411.46	(135.87)	11,228.53	13,439.86	13,347.79
1,032.41	141.68	(17.26)	1,156.83	2,281.10	2,097.29
18.16	0.98	-	19.14	3.77	4.75
46.78	9.68	0.02	56.48	156.96	157.30
89.89	12.13	(0.25)	101.77	210.20	222.24
190.99	34.57	1.93	227.49	397.90	402.03
87.16	16.82	-	103.98	105.27	122.09
82.21	9.57	(0.81)	90.97	130.07	134.75
297.81	86.66	(4.25)	380.22	327.53	401.23
10.18	1.00	-	11.18	9.80	10.80
37,376.68	**7,338.40**	**49.36**	**44,764.44**	**98,206.50**	**91,127.80**
32,303.01	**6,006.53**	**(932.86)**	**37,376.68**	**91,127.80**	**67,956.34**
5,050.46	-	-	5,050.46	727.62	727.62
28.22	-	(28.22)	-	9.91	7.16
131.94	-	-	131.94	180.60	180.60
18.91	-	-	18.91	22.34	22.34
5.73	-	-	5.73	0.95	0.95
31.44	-	-	31.44	2.62	2.62
17.68	-	(0.04)	17.64	12.09	12.24
5,284.38	**-**	**(28.26)**	**5,256.12**	**956.13**	**953.53**
5,294.40	**-**	**(10.02)**	**5,284.38**	**953.53**	**954.06**
-		-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
688.92	**-**	**688.92**	**-**	**-**	**1,079.05**
42,661.06	**7,338.40**	**21.10**	**50,020.56**	**99,162.63**	**92,081.33**
38,286.32	**6,006.53**	**(253.96)**	**42,661.06**	**92,081.33**	**69,989.45**
171.48	21.98	-	193.46	47.00	68.98
-	18.32		18.32	138.74	-
171.48	**40.30**	**-**	**211.78**	**185.74**	**68.98**
144.82	**23.95**	**(2.71)**	**171.48**	**68.98**	**48.45**

नोट सं. 12
पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	अथ यथास्थिति दिनांक 31.03.2012	अतिरिक्त	विलोप/ समायोजन	अंत यथास्थिति दिनांक 31.03.2013
पूंजीगत कार्य प्रगति पर				
(क) लाभप्रदत्ता अनुरक्षण केन्द्र योजना, मुम्बई	36.36	-	16.94	19.42
(ख) जुहु एयरोड्रम मुंबई तल उत्थापन	36.35		36.35	-
(ग) हेलीकॉप्टरों के उन्नयन हेतु उपकरण समूह	1,157.10	-	-	1,157.10
(घ) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के मरम्मत के लिए लंबित प्रेषण रक्षित रोटेबल्स	-	434.60	100.88	333.72
(ड़) हेलीपोर्ट परियोजना, रोहिणी, नई दिल्ली	248.09	54.63	-	302.72
(च) हेलीकॉप्टर क्रय के लिए वित्तीय व्यय	44.64	175.53	220.17	0.00
(छ) पारगमन/निरीक्षण/अधिष्ठान में रोटेबल्स/भूतल रक्षा उपस्कर	780.50	10.81	777.39	13.92
योग	**2,303.04**	**675.57**	**1,151.73**	**1,826.88**
घटाएं: संदिग्ध पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए प्रावधान	-	-	-	19.42
शुद्ध पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**2,303.04**	**675.57**	**1,151.73**	**1,807.46**
गत वर्ष	**2,935.46**	**495.88**	**1,128.30**	**2,303.04**

नोट सं. 13
गैर चालू निवेश

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
गैर कारोबार (लागत पर अनउद्धृत)		
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रा.लि.	289.34	289.34
(प्रत्येक ₹ 10/- के गैर सूचीबद्ध 28,93,353 इक्विटी शेयर)		
योग	**289.34**	**289.34**

नोट सं. 14
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
(अप्रत्याभूत सिवाय इसके कि बताया गया हो)				
क) सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण, सन्देहास्पद समझे गए	725.00		725.00	
घटा : सन्देहास्पद ऋण का प्रावधान	725.00	-	725.00	-
ख) पूंजी अग्रिम		21.21		1,201.27
ग) अग्रिम आय कर (प्रावधान का शुद्ध)		7,402.68		7,249.19
घ) प्रतिभूति जमा				
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	323.46		249.42	
अप्रत्याभूत, संन्देहास्पद समझे गए	1.91		-	
	325.37		249.42	
घटा: संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	1.91		-	
		323.46		249.42
ड़) वसूली योग्य आयकर		5.88		5.88
च) कर्मचारी को ऋण				
प्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	225.54		211.76	
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	17.56		28.97	
अप्रत्याभूत, संन्देहास्पद समझे गए	12.08		3.08	
	255.18		243.81	
घटा: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	12.08		3.08	
छ) अन्य को अग्रिम		243.10		240.73
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	152.15		120.50	
अप्रत्याभूत, संन्देहास्पद समझे गए	108.81		119.73	
	260.96		240.23	
घटा: संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	108.81		119.73	
		152.15		120.50
योग		**8,148.48**		**9,066.99**

नोट सं. 15
अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
(अप्रत्याभूत अच्छे समझे गये सिवाय इसके कि बताया गया हो)				
क) प्रतिभूति जमा		1.60		1.60
ख) प्रोदभूत ब्याज				
- सावधि जमा	-		0.13	
- कर्मचारी ऋण	296.70		310.69	
	296.70		310.82	
घटा: कर्मचारी ऋण पर उद्भूत संदेहास्पद ऋण	23.57		-	
		273.13		310.82
ग) अन्य प्राप्य	138.62		111.91	
घटा: संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	56.54		31.45	
		82.08		80.46
योग		**356.81**		**392.88**

नोट सं. 16
इंवेन्ट्री

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित तथा मूल्यांकित)				
क) भंडार एवं पुर्जे (प्रावधान घटा लागत पर)	8,744.05		9,619.84	
घटा: (i) अचल भंडार व स्पेयर्स हेतु प्रावधान	1,619.87		1,388.37	
			-	
(ii) इंवेन्ट्री के अभाव हेतु प्रावधान	39.60		7.57	
(iii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	453.14		453.14	
		6,631.44		7,770.76
ख) लागत पर घटा अप्रचल/हानि				
रिपेयरेबल्स तथा रोटेबल्स पुर्जे	1,575.57		1,575.57	
घटा : (i) अप्रचलन आरक्षिति	1,436.27		1,436.27	
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	139.30		139.30	
		-		-
जेम मोड्यूल	501.37		501.37	
घटा : (i) अप्रचलन आरक्षिति	447.21		447.21	
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	54.16		54.16	
		-		-
ग) लागत पर घटा राइट ऑफ				
परीक्षण औजार उपस्कर	437.57		394.48	
घटा: राइट ऑफ	378.32		344.78	
		59.25		49.70
प्रशिक्षण सामग्री	27.17		27.17	
घटा: राइट ऑफ	27.17		27.17	
		-		-
घ) मार्गस्थ माल (लागत पर)		24.84		113.39
ड़) एविएशन टरबाइन फ्यूल (लागत पर)		12.00		13.82
योग		**6,727.53**		**7,947.67**

नोट सं. 17
कारोबार प्राप्य राशियाँ (आरक्षित)

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
-भुगतान की देय तारीख से छ: माह से अधिक के बकाए ऋण				
क) अच्छे समझे गए*	6,072.56		5,759.00	
इ) संदेहास्पद समझे गए	343.22		340.40	
-अन्य ऋण, अच्छे समझे गए	14,948.11		11,088.27	
	21,363.89		17,187.67	
घटा: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	343.22		340.40	
		21,020.67		16,847.27
योग		**21,020.67**		**16,847.27**

ओ एन जी सी लिमिटेड से प्राप्य ₹ 3,240.43 लाख (गत वर्ष ₹ 4,478.08 लाख) सम्मिलित

नोट सं. 18
नकद और नकद तुल्य मूल्य

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
क) बैंको में शेष				
- चालू खाता	773.08		516.07	
- निर्यात उपार्जन विदेशी मुद्रा खाता	484.59		815.23	
- फ्लेक्सी जमा खाता	2,155.50		1,857.34	
- सावधि जमा खाता	7,254.41		5,028.84	
- मार्जिन राशि (सावधि जमा)	1,878.89		5,759.12	
		12,546.47		13,976.60
ख) हाथ नकदी		21.02		16.59
योग		12,567.49		13,993.19

नोट: 1) सावधि जमा में रोहिणी परियोजना के लिए निश्चित किए गए ₹ 3,297.29 लाख (गत वर्ष ₹ 3,351.91 लाख) सम्मिलित है। संदर्भ नोट 27 (XX)
2)मार्जिन राशि बैंक गारंटी और साख पत्र के जारीकरण हेतु बैंक के पास धारणाधिकार सावधि जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट सं. 19
अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
(अच्छे समझे गए सिवाय इसके कि बताया गया हो)				
क) कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम				
प्रत्याभूत: अच्छे समझे गए	80.16		74.81	
अप्रत्याभूत: अच्छे समझे गए	431.46		390.90	
अप्रत्याभूत: संदेहास्पद समझे गए	3.90		3.90	
	515.52		469.61	
घटा: संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3.90		3.90	
		511.62		465.71
ख) अन्य को अग्रिम				
अप्रत्याभूत: अच्छे समझे गए	376.80		871.15	
अप्रत्याभूत: संदेहास्पद समझे गए	58.95		11.68	
	435.75		882.83	
घटा: संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	58.95		11.68	
		376.80		871.15
ग) सांविधिक प्राधिकारियों के पास शेष		-		7.43
घ) पूर्वदत्त व्यय		942.06		927.32
ड़) प्रतिभूति और बयाना राशि जमा		74.12		40.15
योग		1,904.60		2,311.76

नोट सं. 20
अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
(अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए)				
क) प्रोद्भूत ब्याज				
सावधि जमाएँ	364.33		422.00	
कर्मचारियों के ऋण	23.66		25.93	
		387.99		447.93
ख) प्राप्य बीमा दावा		1,770.84		2,029.20
ग) बैंकों के पास सावधि जमा खाते/चालू खाता		207.87		917.15
(परियोजना के लिए डी जी सी ए से प्राप्त राशि के विरूद्ध, प्रोदभूत ब्याज सम्मिलित करते हुए)				
घ) अन्य		13.97		20.69
योग		2,380.67		3,414.97

नोट सं. 21
प्रचालनों से राजस्व

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
क) सेवाओं की बिक्री				
हेलीकॉप्टर भाड़ा प्रभार	43,229.21		39,180.68	
घटा: हेलीकॉप्टरों के गैर प्रावधान (ए ओ जी) हेतु कटौती	81.49		362.03	
		43,147.72		38,818.65
ख) अन्य प्रचालन राजस्व:				
प्रचालनों व अनुरक्षण संविदाओं से आय	2,228.41		2,575.37	
प्रशिक्षण शुल्क और अन्य वसूलियाँ	105.14		105.80	
छूट प्राप्त	161.71		-	
		2,495.26		2,681.17
योग		**45,642.98**		**41,499.82**

नोट सं. 22
अन्य आय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
ब्याज आय				
क) बैंकों में जमा से ब्याज आय	1,013.43		896.41	
ख) कर्मचारियों को दिए ऋण पर ब्याज	25.77		28.36	
ग) अन्य ब्याज आय	-		3.32	
		1,039.20		928.09
बीमा दावों के निपटारे पर अतिरिक्त		9.63		-
पूर्वावधि आय (शुद्ध) (देखें नोट 25 ए)		631.73		-
इंवेंट्री मदों की बिक्री से लाभ		-		10.45
विनिमय घट बढ़ (शुद्ध)		429.79		376.76
अनापेक्षित प्रावधान		116.97		358.27
परिनिर्धारित नुकसानी		3.02		243.16
प्रकीर्ण आय		332.07		398.15
योग		**2,562.41**		**2,314.88**

नोट सं. 23
हेलीकॉप्टर प्रचालन व अनुरक्षण व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	9,067.13	10,856.67
ईधन व्यय	2,899.91	2,118.44
बीमा व्यय	2,362.95	1,810.13
लैंडिग पार्किंग एवं अन्य व्यय	157.23	112.61
परिनिर्धारित नुकसानी	224.53	413.45
उपस्कर/विशेषज्ञ पारिश्रमिक प्रभार/लीज प्रभार	-	605.09
श्राइन बोर्ड को रॉयल्टी/कमीशन	218.08	244.83
नॉन-मूविंग इंवेन्ट्री/जीवनावधि समाप्त मदों के लिए प्रावधान	231.50	135.03
बट्टे खाते डाले गए रोटेबल्स, स्टोर एवं स्पेयर्स	151.03	180.95
भंडारण, संभलाई प्रभार सह विलम्ब शुल्क	84.60	138.82
भाड़ा, परिवहन तथा ढुलाई	100.61	96.67
अन्य प्रचालन व्यय	14.42	50.75
योग	**15,511.99**	**16,763.44**

नोट सं. 24
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
वेतन, मजदूरी तथा अन्य लाभ	13,293.90	12,188.77
कर्मचारी कल्याण	54.75	97.38
भविष्य निधि एवं उपादान निधि	716.68	601.67
अन्य कर्मचारी	840.87	705.31
योग	**14,906.20**	**13,593.13**

नोट सं. 25
अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
मरम्मत और अनुरक्षण				
भवन	62.10		164.16	
उपस्कर	56.44		52.07	
अन्य	141.51		158.80	
		260.05		375.03
किराया		546.34		444.21
यात्रा तथा वाहन		1,816.18		1,839.07
क्रू एवं अन्य स्टाफ प्रशिक्षण		588.20		821.90
बैंक प्रभार		55.37		63.80
विद्युत तथा जल व्यय		158.49		141.26
टेलीफोन, टेलीफैक्स व डाक		96.88		125.04
विज्ञापन व प्रचार		110.72		282.20
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		77.55		102.80
वाहन चालन व अनुरक्षण		25.11		29.92
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
- सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	5.74		5.74	
- व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.34		0.68	
		6.08		6.42
दरें, शुल्क तथा कर		130.84		61.09
पूर्वावधि व्यय (शुद्ध) (नोट) (25 ए देखें)		-		456.10
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		1.38		0.75
संदेहास्पद ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान		176.57		162.75
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान		-		159.77
विगत वर्ष के सतत विकास निधि के लिए प्रावधान		27.05		-
संपत्ति कर का प्रावधान		3.00		3.00
जुहू आवासीय परिसर (शुद्ध वसूली)		154.35		108.44
बीमा व्यय		45.14		35.79
अन्य व्यय		484.33		653.37
योग		**4,763.63**		**5,872.71**

नोट: हेलीकॉप्टर से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण नोट सं. 23 में प्रदर्शित किए गए हैं

नोट सं. 25 क
पुर्वावधि मदें प्रतिनिधित्व करती हैं

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
क. जमा				
उपदान	429.14		-	
मूल्यह्रास	-		3.75	
पूर्व वर्षों की बिलिंग	524.14		-	
एल टी सी प्रावधान रीटेन बैक	115.41		-	
अन्य मदें	34.88		150.38	
योग (क)		1,103.57		154.13
ख. नामे				
मूल्यह्रास	30.91		11.24	
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	147.08		-	
विनिमय घट बढ़ (शुद्ध)	117.77			
पूर्व वर्षों की बिलिंग उत्क्रमित	-		208.68	
अन्य मदें	176.08		390.31	
योग (ख)		471.84		610.23
ग. शुद्ध नामे/ (जमा) (क-ख)		**(631.73)**		**456.10**

नोट सं. 26
असाधारण मदें

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013		31 मार्च, 2012	
क. जमा				
बीमा दावे के निपटान पर अधिशेष	-		2,133.92	
		-		2,133.92
ब. नामे		-		-
ग. शुद्ध जमा/ (नामे) (क-ख)		**-**		**2,133.92**

नोट सं. 27
वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

(31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों के साथ संलग्न और उनका एक अंग)

(I) देयताएं

पूंजीगत लेखों निवेशों में निष्पादन के लिए शेष तथा अप्रवधानित संविदाओं की अनुमानित राशि (निबल अग्रिम भुगतान)

	₹/लाख
31.03.2013	**31.03.2012**
5,981.24	15,864.41

(II) आकस्मिक देयताएं

			₹/लाख
विवरण		**31.03.2013**	**31.03.2012**
क.	बैंक को दी गई प्रति गारंटी	2,671.24	8,487.00
ख.	साख पत्र	490.50	10,950.33

ग) ऋण के रूप में न स्वीकार किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे

1.

	₹/लाख
विवरण	**31.3.2013**	**31.3.2012**
आई टी ए टी/सी आई टी (अपील) में आयकर की मांग का कंपनी द्वारा विरोध	5,383.91	6,870.00

आयकर विभाग ने मांग/अनेक वर्षों के लिए कंपनी को देय के विरूद्ध उपयुक्त राशि का समायोजन किया है जिसके समुचित समायोजन के लिए आवश्यक विवरण तैयार किया जा रहा है।

कई मामलों में प्रारंभिक आंकलन के समय निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर की मांग अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा माफ कर दी गई है। कर मांगों में से अधिकांश भारत सरकार के ऋण पर देय ब्याज से संबंधित है जो आईटीएटी के समक्ष लंबित है। इस संबन्ध में नोट संख्या 5 पर संदर्भ आमंत्रित है।

2.

			₹/लाख
विवरण		31.03.2013	31.03.2012
क.	न्यायालय मुकदमे/मध्यस्थ अधीन मुकदमे	3,392.90	3,227.71
ख.	अन्य मामले	128.23	647.81

3.

	₹/लाख
विवरण	**31.03.2013**	**31.03.2012**
वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए जुर्माने को सम्मिलित करते हुए वैट के भुगतान के लिए मांग नोटिस	31,927.12	31,927.12

अंश वर्ष 2006-07 से 2009-10 में कुछ ग्राहकों द्वारा हेलीकॉप्टर के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण से संबंधित बिक्री कर विभाग दिल्ली की मांग।

कंपनी को निर्देश दिया गया है कि चुंकि यह ऐसे लेन-देनों के लिए सेवाकर का भुगतान करती है मूल्यवर्धित कर के भुगतान की मांग का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए मांग नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं।

4.

	₹/लाख
विवरण	**31.03.2013**	**31.03.2012**
31.03.2001 के उपरांत भारत के दावे पर ब्याज (संदर्भ नोट सं. III अधोलिखित	28,276.63	25,920.24

कारोबार की सामान्य कार्यप्रणाली में कंपनी विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में एक पक्ष है और इन कार्यवाहियों के नतीजों से परिचालनों और नकदी प्रवाह के परिणाम पर किसी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव की प्रत्याशा नहीं करती है

(III) भारत सरकार की देयताएं

वर्ष 1986 में कंपनी ने 21 डॉफिन और 21 वेस्टलैंड हैलीकोप्टरों

के बेड़े का अर्जन ₹25,090.00 लाख की परियोजना लागत जिसका निधियन भारत सरकार द्वारा कंपनी में इक्सिटी योगदान के रूप में किया जाता था से किया था। यद्यपि कंपनी को सिर्फ ₹11, 376.00 लाख के राशि की इक्विटी उपलब्ध कराई गई थी जिसमें ओएनजीसी से ₹2,450.00 लाख का इक्विटी योगदान सम्मिलित था। कंपनी ने आंतरिक संसाधनों से ₹622.97 लाख के साथ इन पूजीगत योगदान का उपयोग किया। ₹13,091.01 लाख की शेष राशि को छोड़कर कंपनी ने ऐसे पूंजीगत योगदान का उपयोग परियोजना लागत के लिए किया। ₹13,091.03 लाख के शेष प्रतिफल का भुगतान हेलिकॉप्टर के आपूतिकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा किया गया भारत सरकार को देय राशि के रूप में समझा गया। कंपनी को दिनांक 31.03.2001 तक उक्त देय राशियों/देयताओं पर ब्याज के मद में ₹3,393.19 लाख का जिम्मेदार बताया गया है और दिनांक 31.03.2001 के पश्चात ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसकी राशि दिनांक 31.03.2013 तक ₹28,276.63 लाख होती है (विगत वर्ष ₹25,920.24 लाख) चूंकि वित्त मंत्रालय ने दिनांक 31.03.2013 तक कंपनी से उगाही किए जाने योग्य कुल बकाया ₹47,022.22 लाख की पुष्टी की है जिसमें ₹13,091.03 लाख मूलधन और ₹33,931.19 लाख ब्याज को दर्शाते हैं। कंपनी ने इस आधार पर कि 42 हेलीकॉप्टरों के आयात की परियोजना के लिए सकल राशि का निधियन इक्विटी योगदान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाना था, नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को उक्त देयताओं और प्रोद्भूत ब्याज के अधित्याग के लिए समय समय पर अभ्यावेदन दिया है।

वित्त मंत्रालय के दावे से संबंधित दिनांक 29.04.2012 को वित्त मंत्रालय के साथ संपन्न बैठक के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि कंपनी के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए प्रचलित प्रतिस्पर्धी परिस्थतियों व ओएनजीसी की निविदा के अंतर्गत 5 वर्ष विंटेज वाले हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता और ₹ 470.22 करोड़ का वित्त मंत्रालय का दावा कंपनी की समग्र वृद्धि में किस प्रकार अवरोधक है, को ध्यान में रखते हुए एक कारोबारी योजना तैयार की जाए। संशोधित कारोबारी योजना के आधार पर एसबीआई कैपिटल सर्विसेज लि. को वित्तीय परामर्शी रिपोर्ट व अपनी संस्वीकृतियाँ करने का कार्य सौंपा गया बोर्ड की 133 वीं बैठक में इस रिपोर्ट के अनुमोदन के उपरांत वित्त मंत्रालय में आगे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.07.2012 को नागर विमानन मंत्रालय में भेजा गया।

मामला वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है। नागर विमानन मंत्रालय प्रसादरत है कि ₹47,022.22 लाख की राशि का भारत सरकार द्वारा अधित्याग किया जाए। कंपनी और भारत सरकार के मध्य जब इस मामले पर अंतिम विचार किया जाएगा तो आवश्यक समायोजन किया जाएगा। कंपनी ने भारत सरकार के दावे को तुलन पत्र में अन्य दीर्घावधि देयताऐ के रूप में वर्गीकृत किया है।

(IV) वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री

क) वेस्टलैण्ड बेड़े के भूमिगत होने के पश्चात 18 जनवरी, 1993 को सरकार ने निर्णय लिया कि वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर बेड़े को इसकी इन्वेट्री के साथ एक ग्लोबल टेंडर द्वारा बेच दिया जाए। इससे होने वाली आय को भारत सरकार तथा यू.के. की परस्पर सहमति से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाया जाए। तथापि इस ग्लोबल टेंडर पर प्रतिकूल अनुक्रिया के कारण सरकार ने 12 मई, 1994 को इन्हें इच्छुक पार्टियों को ही परस्पर मोलभाव करके बेच देने हेतु कम्पनी को अनुमति दी। सरकार ने वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का निरीक्षण करने के लिए एक स्टियरिंग समिति का भी गठन किया था।

ख) वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर सहित) तथा संबंधित इन्वेन्ट्री की बिक्री न होने तक, इन आस्तियों को उनके बही मूल्य पर लिखा गया है, जो कुल ₹2,239.00 लाख है। कम्पनी ने बतौर सावधानी बही मूल्य समान 100% का प्रावधान किया था। वर्ष 1999-2000 में ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में बही मूल्य ₹723.00 लाख का समायोजन करने के बाद, शेष प्रावधान ₹1,516.00 लाख को अग्रेनीत किया गया है।

ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्पनी ने सरकार के अनुमोदन से वेस्टलैण्ड आस्तियों को पाउंड स्टर्लिंग 9,00,000 में बेचने हेतु यू.के. की एक फर्म के साथ अनुबंध किया था। इन आस्तियों को अधिक से अधिक दो शिपमेंट में भेजे जाने वाले पारेषण के अनुमानित मूल्य के बराबर भुगतान पर भेजे जाने की सहमति हुई थी। पहला शिपमेंट दिसम्बर, 1999 में भेजा गया तथा कम्पनी को जनवरी, 2000 में पांउड 4,50,000 (₹3.22 करोड़) की वसूली हुई, जिसे कम्पनी ने तत्काल प्रशासन मंत्रालय के निदेशानुसार भारत सरकार के पास जमा कर दिया था। शिपमेंट में वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर के कुछ आवश्यक पूर्जे कम्पनी की अभिरक्षा में है। द्वितीय शिपमेंट खरीददार द्वारा उठाए गए विवाद के कारण नहीं भेजा जा सका है। कम्पनी द्वारा खरीददार के खिलाफ करार की शर्तों के अनुसार विशिष्ट कार्यों तथा ठेके संबंधी विभिन्न निबन्धनों के उल्लंघनों से हुई हानि की वसूली के लिए माध्यस्थ कार्यवाही प्रारंभ की गई है। यद्यपि क्रेता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालन ने दिनांक 13 अगस्त को याचिका का निपटारा मध्यस्थता के लिए कर दिया।

घ) प्रथम शिपमेंट के अधीन किए गए लेन-देन को संपूर्ण बिक्री मानते हुए वर्ष के दौरान वेस्टलैण्ड आस्तियों की (लागत ₹51.46 करोड़, डब्ल्यू. डी.वी. ₹7.23 करोड़) बिक्री के संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन वर्ष 1999-2000 की लेखा बहियों में किया गया है। बेची गई इन्वेन्ट्री मदों के परिमाणों का तथा मुंबई के माल गोदाम में रखी हुए इन्वेन्ट्री मदों के परिमाणों का ब्यौरा अनुपलब्ध होने के कारण आकड़ों को अंतिम आधार पर लिया गया है (नीचे अनुच्छेद 4.5 का सन्दर्भ लें) बशर्ते आगे समाधान किया जाए। बिक्रीकृत इन्वेन्ट्री मदों को एफ.आई.एफ.ओ. आधार पर अभिकलित किया गया है। चूंकि वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का ठेका इकमुश्त आधार पर किया गया है, मदवार बिक्री दाम की अनुपलब्धता में, प्रतिफल पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (₹3.22 करोड़) से 9 हेलीकॉप्टर, टेस्ट बेड तथा इन्वेन्ट्री मदों के कुल रिटेन डाउन मूल्य को घटाकर निर्धारण किया गया है तथा इसे वित्त वर्ष 1999-2000 में लेखांकित किया गया है।

ङ) पीएचएल के पश्चिमी क्षेत्र परिसर में पड़े वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के भाग और इंवेंट्री मदों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान दिल्ली कार्यलय से मुम्बई कार्यलय स्थानांतरण के समय क्रेता द्वारा नियुक्त परिवहन द्वारा क्रेता के अनुदेशों से पथांतरित किया गया और मुंबई में माल गोदाम में पड़ी रही। वेस्टलैंड इंवेंट्री के प्रारंभिक अर्जन लागत तथा माल गोदाम में रखे हुए पूंजीगत मदों का मूल्य ₹3,250.00 लाख (ह्रासित मूल्य ₹450.00 लाख)। माल गोदाम कंपनी और क्रेट फॉरवार्डरों द्वारा दायर एसएलपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इंवेंट्री मदों के सागर माल गोदाम निगम से कंपनी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरण का कार्य पूरा हो चुका है। तदनुसार आवश्यक अनुमोदन के उपरांत शेष वेस्टलैंड अस्तियों के निस्तारण के लिए कदम उठाए गए हैं अन्य इंवेंट्री मदों के साथ ऐसे हेलिकॉप्टर कंपनी में पड़े हैं (जिन्हें बक्सों में रखा गया हैं परन्तु वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया) मिलकर दूसरे लादान का भाग बनाते है जिन्हें ₹647.00 लाख के बही मूल्य के अनुसार अग्रेनित किया गया है यद्यपि उपयुक्त अनुच्छेद IV ख के अनुसार पूर्णयता उपलब्ध कराया गया है। नागर विमानन मंत्रालय से संचालन समिति के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने शेष वेस्टलैंड अस्तियों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट का निर्देश दिया है और एक मूल्यांकन नियुक्त किया जा रहा है। कंपनी द्वारा निपटान के लिए प्रस्तावित वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर आस्तियों के निरीक्षण के लिए दिनांक 19.07.2013 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है।

V) आवासीय फ्लैट/क्वाटर्स

क) कम्पनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 25 वर्षों के लिए लीज पर दी गई भूमि पर 2002-03 के दौरान ₹2270.68 लाख की लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण किया है तथा इसका उपयोग कर रहा है। कम्पनी ने 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैटों को संयुक्त विकास करार के अधीन लीज भूमि की किराए के बदले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किया है तथा परियोजना वास्तुविद द्वारा इन 50 फ्लैटों की निर्माण लागत ₹595.00 लाख प्राक्कलित की गई है।

ख) मई, 1998 में कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए एमएचएडीए, मुंबई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे

थे। हालांकि कब्जा आवंटन-पत्र के आधार पर लिया गया है, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अनन्तिम आधार पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार उपलब्ध कराया है और इस शर्त पर कि अंतिम भुगतान सोसाइटी के पक्ष में उचित कन्वेअन्स डीड का निष्पादन होने के पश्चात किया जाएगा। कुछ सोसाईटियों ने विभेदक कीमत निर्धारण के मुद्दे को लेकर एमएचएडीए, के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है तथा, इस स्थिति में राशि का निर्धारण कर पाना सम्भव नहीं है।

ग) कम्पनी द्वारा लोखंडवाला कांस्ट्रक्शन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से वर्ष 1991-1992 में कर्मचारियों के लिए 42 आवासीय फ्लैट खरीदे गए थे। निदेशक मंडल ने इन फ्लैटों का सार्वजनिक उपक्रमों को किराए पर देने का अनुमोदन दिया है तथा तदनुसार, 29 फ्लैटों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 31 मार्च 2013 का किराए पर दी गई है।

(VI) स्थायी परिसंपत्तियाँ

क) यथास्थिति दिनांक 31.03.2013 ₹4239.94 लाख के सकल लागत से रोटेबल्स और रिपेरेबल्स और ₹2863.15 लाख की डब्लूडीवी अनुरक्षण के लिए विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़ी है। इनमें से ₹1629.86 लाख कर सफल लागत से रोटेबल्स और ₹1166.97 लाख की डब्लूडीवी दिनांक 3 मार्च, 2013 के उपरांत वापस प्राप्त हो चुके हैं। शेष रोटेबल्स अब तक संबंधित पार्टियों के पास पड़े है इसकी पुष्टि प्राप्त की जानी है। मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) से प्रयास किए जा रहे है कि विधिवत मरम्मत किए अनुरक्षित मदों को वापस भेजा जाए।

ख) संविदाकार और कंपनी में मध्यस्थता प्रक्रिया के लंबित निर्णय जो अब तक लंबित है के मध्य दिनांक 15.04.2010 से अयोग किए जा रहे नोएडा कार्यालय भवन को वर्ष 2010-11 में औपबंधिक रूप से ₹675.00 लाख पर पूंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता के पास लंबित समापक भुगतान भवन के फनर्रचर और जुड़नार को ₹310.55 लाख (विगत वर्ष ₹296.00 लाख) पर औपचारिक रूप से पूंजीकृत किया गया है।

ग) स्थायी परिसंपतियों का भौतिक स्तयापन किया गया है और स्थायी परिसंपति रजिस्टर से मिलान की प्रक्रिया प्रगति पर है। बही और भौतिक शेष यदि कोई हो के मध्य अंतर के लिए समायोजन मिलान प्रक्रिया के पूर्ण होते के उपरांत किया जाएगा।

घ) वर्ष के दौरान उधार लागत ₹61.37 लाख (विगत वर्ष ₹61.57 लाख) की लागत से पूंजीकृत किया गया।

VII) 1) कंपनी के द्वारा अनुपालित लेखा व्यवहार के अनुसार हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए गैर वापसी योग्य अग्रिमों को हेलीकाप्टरों की प्राप्ति की तिथि की दर पर रूपांतरित किया गया है और विनयमय शेषों को लाभ और हानि की विवरणी के नामे/जमा के अनुरूप आपूर्तिकर्ता के खाते में अग्रिम से समायोजित किया गया है। कंपनी का मत है कि लेखांकन उपचार लेखांकन मानक ए एस-II विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव के समरेखीय है और कंपनी द्वारा लगातार अनुपालन किया जा रहा है। वर्ष के दौरान ऐसे अग्रिमों पर आपूर्तिकर्ता के खाते में अग्रिम के लिए नामे के द्वारा लाभा और हानि की विवरणी में ₹176.57 लाख (गत वर्ष रु. शून्य) का विनियम लाभ जमा किया गया है।

2) वर्ष के दौरान पंजीकृत दो एम.आई.-172 हेलीकॉप्टरों की खरीदी के लिए पूर्व वर्षों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के मामले में कंपनी ने असावधानी से वर्षात पर दिनांक 31.03.2011 और 31.03.2012 को विनिमय दरों पर अग्रिमों को रूपांतरित किया और इन वर्षों के लिए ₹117.77 लाख के विनिमय लाभ के लिए लेखा-जोखा दिया है। इसे वर्ष के दौरान पूर्वाविधि मदों को नाम करने और आपूर्तिकर्ताओं के खाते में जमा करने के द्वारा उत्क्रमित किया गया है।

VIII) हेलीकॉप्टरों के अर्जन से संबंधित एयर और क्रू के प्रशिक्षण पर उठाई गई लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और लेखांकन नीति के अनुसार परिशोधित किया गया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान पूंजीकृत इस प्रकार की लागत राशि ₹157.06 लाख (गत वर्ष ₹ शून्य) है। कंपनी का विचार है कि प्रशिक्षण लागत का निपटारा लेखांकन मानक एएस-26 अमूर्त आस्तियां के समरेखीय है।

IX) कंपनी का विचार है कि चूंकि कंपनी के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों की उड़नयोग्यता के लिए डीजीसीए द्वारा आवधिक/वार्षिक आधार पर सत्यापन किया जाता है

और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्त किया गया है एतदर्थ हेलीकॉप्टरों के मूल्य में हानि के लिए किसी पृथक अभ्यास पर विचार नहीं गया है।

X) इंवेंट्री

1) वर्ष के दौरान इंवेंट्री के भौतिक सत्यापन के पशचात निम्नलिखित कमियाँ/अधिकता पश्चिमी क्षेत्र में पायी गई

₹लाख में

वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
कमी	अधिकता	कमी	अधिकता
38.37	8.04	5.00	36.42

प्रत्यक्ष शेष और बही रिकॉर्ड का मिलान प्रगति पर है। मिलान किए जाने के उपरांत उचित समायोजन किया जाएगा।

2) कंपनी अपने डिटैचमेंटों में इंवेंट्री के रिकोर्ड की अभिरक्षा को सुदृढ करने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान डिटैचमेंट में ₹700.20 लाख (गतवर्ष ₹852.70 लाख) की इंवेंट्री की खपत और ₹492.03 लाख (गत वर्ष ₹286.02 लाख) का कलोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया गया है।

(XI) 1) पश्चिमी क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ₹130.00 लाग का कारनेट जमा है जिसमें से ₹107.53 लाख की राशि का बिल (गत वर्ष ₹107.53 लाख) प्राप्त हुआ है और दिनांक 31.03.2008 तक खाते में बुक किया गया है। ₹22.46 लाख (गत वर्ष ₹22.46 लाख की राशि के शुद्ध शेष का आईओसी से मिलान प्रक्रियाधीन है और जिन्हें दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध ₹22.46 लाख (गतवर्ष शून्य) का प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया है।

2) उत्तरी क्षेत्र के मामले में आईओसी को देय सुरक्षा जमा आईओसी से प्राप्त खाते की विवरणी में दिखाई दे रहे ₹214.30 लाख के विरुद्ध ₹189.30 लाख का नामे शेष दिखा रहा है आईओसी का ट्रेड पेयेबल खाता भी आईओसी से प्राप्त खाते की विवरणी के तुलना में ₹19.91 लाख का अतिरिक्त जमा दिखा रहा है। आईओसी से मिलान प्रक्रियाधीन है।

(XII) 1) उत्तरी क्षेत्र में प्राप्तियों के मामले में यह पाया गया है कि ₹963.99 लाख की राशि के तीन वर्षों से अधिक के बिल मुख्यत: विभिन्न राज्य सरकारों के हैं। ₹44.01 लाख का प्रावधान संभव संदिग्ध प्राप्तियों के लिए बही में किया गया है। बकाए बिल के लिए तगादा किया जा रहा है और प्रबंधन का दृष्टिकोण है कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार संघशासित क्षेत्रों से अधिकांश पुराने बकाए की वसूली तय समय में की जाएगी।

2) अब तक तीन वर्षों से अधिक से बकाया रहे ऋण के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया था यद्यपि वर्ष के दौरान इस नीति में बदलाव किया गया है और संदिग्ध ऋण के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार और संघशासित क्षेत्रों के संबंध में सात वर्षों से अधिक के बनाए रहे ऋण के लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है। इस कारण से कि प्रक्रियागत औपचारिकताओं और केन्द्र सरकार ऐसे राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए आर्थिक सहायता जारी किए जाने की धीमी गति के कारण ऋण संग्रहण मंद है तदनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्रों के संबंध में ₹919.98 लाख के बनाए ऋण के लिए वर्ष के दौरान खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3) पश्चिमी क्षेत्र के लक्ष्यद्वीप डिटैचमेंट के मामले में ₹18.24 लाख के व्यय के लिए अग्रिम और अग्रिम के विरुद्ध ₹17-63 लााख के व्यय के संवितरण से संबंधित कागजातों की वापसी के लिए कदम उठाए गए है।

XIII) विगत वर्ष में, उत्तरी क्षेत्र ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (श्राइन बोर्ड) के खाते में ₹206.00 लाख के जमा की प्रविष्टि पास की थी और नो शो कस्टमर्स से संबंधित टिकटों की रकम के खाते से बिक्री नामें की थी। यथास्थिति दिनांक 31.03.2013 उत्तरी क्षेत्र ने ₹175.26 लाख की श्राइन बोर्ड के खाते से डेबिट और पूर्वाविधि मद में क्रेडिट की प्रविष्टि की है। रु 106.21 लाख की डेबिट के खाता शेष के विरुद्ध श्राइन बोर्ड ने अपने खाते के अनुसार कंपनी को

देय ₹129.68 लाख का शेष सुनिश्चित किया है। श्राइन बोर्ड के साथ ₹23.57 के अंतर का मिलान प्रक्रियाधीन है और मिलान पूर्ण होने के उपरांत समुचित प्रविष्टि की जाएगी। श्राइन बोर्ड से लंबित आवश्यक सूचना के ₹71.72 लाख नो शो ग्रहकों के खाते के अग्रिम जमा कर दिए गए हैं। यद्यपि, श्राईन बोर्ड ने ₹60.00 लाख जुलाई, 2013 में और ₹19.00 लाख अक्तूबर, 2013 में भुगतान किया है।

क्र.सं.	ऋणदाता	सीमा/संस्वीकृत तिथि (₹/लाख)	31.03.2013 तक आहरण द्वारा गिरावट (₹/लाख)	31.03.2013 तक पुनर्भुगतान (₹/लाख)	ब्याज दर (मासिक अंतराल)	भुगतान अनुसूची	प्रतिभूत
1.	ओएनजीसी	27,500.00 12/08/2010	16,516.00 (9,585.00 शुद्ध इक्विटी में परिवर्तित)	5,954.27	एसबीआई आधार दर धन 1.5%	60 समान मासिक किस्त	अदद 7 नए डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर्स का दृष्टिबंधकीकरण
नोट: यूरोकॉप्टर फ्रांस से अर्जित 7 नए डॉफिन हेलीकॉप्टरों की लागत के 80: वित्त पोषण के लिए अगस्त, 2010 में ऋण का बेचान किया गया।							
2.	विजया बैंक और एक्जिम बैंक संघीय ऋण						
(अ)	विजया बैंक/रूपी मियादी ऋण	9,518.00 10/01/2012	9,518.00	शून्य	एसबीआई आधार दर +1.25% प्रति वर्ष +0.25% प्रति वर्ष टीपी	36 तिमाही किस्तें	अदद 2 नए एमआई-172 हेलीकॉप्टर्स का दृष्टिबंधकीकरण
(ब)	एक्जिम बैंक/रूपी मियादी ऋण	9,082.00 10/01/2012	8,466.94	470.39	एसबीआई आधार दर+1.50% प्र.व.	36 तिमाही किस्तें	अदद् 2 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर का दृष्टिबंधकीकरण
नोट: हेलीकॉप्टर की लागत के 80: की सीमा तक बाहरी उधारी के माध्यम से वित्त पोषण के रूप में इन ऋणों को बैंकों द्वारा संस्वीकृत किया गया। यद्यपि पुनर्भुगतान के लिए कंपनी की देयता रुपए के शर्ताधीन है और अत: विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव से तटस्थ है।							
3.	एनटीपीसी लि.	5,430.00 29/04/2010	5,283.63	363.63	6% प्रति वर्ष	120 समान मासिक किस्त	अदद 1 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर का दृष्टिबंधकीकरण
नोट: वित्त पोषण समझौता एनटीपीसी को एक वर्ष के लिए डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के वेट लीज और इसके पश्चात नए डॉफिन एन 3के लिए दस वर्षों के वेट लीज के विरूद्ध है।							

(XIV) सुरक्षित ऋण

XV) यथास्थिति दिनांक 31 मार्च 2013 शेष की पुष्टि के लिए विविध ऋणियों और ऋण और अग्रिमों/जमाओं को परिचालित किया गया था परन्तु सीमित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। यद्यपि अधिकांश मामलों में ऋण की उगाही तब से की जा चुकी है।

(XVI) कर्मचारियों के परिश्रमिक और अन्य हितलाभ

क) गैर कार्यपालका गैर तकनीकी कर्मचारियों के साथ 16.08.2011, गैर कार्यपालक तकनीकी कर्मचारी के साथ दिनांक 16.07.2012 को और कार्यपालकों के साथ दिनांक 11.12.2012 को वेतन पुनरीक्षण समझौते के अनुवर्ती कंपनी ने ₹2745.22 लाख (गत वर्ष ₹2361.88 लाख) का प्रावधान दिनांक 31.03.2013 तक किया है। विगत वर्ष और चालू वर्ष में संवितरण किया जा चुका है जिससे ₹697.11 लाख का शेष (गत वर्ष ₹2361.88 लाख)बचता है जिन्हें अगले वर्ष में समुचित समायोजनों के लिए अग्रेनित किया गया है।

ख) ₹1415.31 लाख की रकम का प्रावधान पेंशन के लिए विगत वर्ष में किए जाने और ₹403.40 लाख का चालू वर्ष में किए जाने के संबंध में कंपनी इस देयता के निधियन के लिए किसी योजना के अंतर्गत संभावना की तलाश कर रही है जिसे अभी अंतिम रुप किया जाना है। पेंशन योजना एक निरुपित अंशदान योजना है जहाँ कंपनी की देयता वेतन के 10% के बराबर तक

प्रतिवर्ष है जिस पर भविष्य निधि योगदान किया जाता है।

ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने प्राक्कलित आधार पर पाइलटों और इंजीनियरों के लिए लाइसेंस से संबंधित भत्तों, अनुबंधित कर्मचारियों और ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों के लिए ₹1500.00 लाख उपलब्ध कराया है जिसमें से अनुबंधित कर्मचारीयों के मामले में ₹203.86 लाख सम्मिलित है।

घ) सेवानिवृति लाभ योजना

(1) भविष्य निधि के लिए अंशदान

कंपनी पात्र कर्मचारियों के लिए सीमांकित अंशदान सेवानिवृति लाभ योजना में भविष्य निधि अंशदात देती है। योजना के अंतर्गत कंपनी को मूल वेतन के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत का अंशदान निधि लाभ के लिए करना अपेक्षित होता है। विधि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अंशदान का भुगतान कंपनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि न्यास को किया जाता है। कंपनी मासिक अंशदान और भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरौ पर आधारित निधि आस्तियों में किसी कमी के लिए उतरदायी है। ऐसे अंशदान और कमी यदि कोई हो का व्यय भुगतान वर्ष में किया जाता है।

(2) उपदान

कंपनी में एक सुनिर्धारित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पाँच वर्ष की या उससे अधिक की अनवरत सेवा प्रदान की हो सेवानिवृति व्यागपत्र, सेवासमाप्ति, नि:शक्तत: या मृत्यु पर अधिकतम ₹10 लाख के विषयाधीन उपदान का पात्र है। कंपनी द्वारा उपदान योजना का निधियन किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा प्रबंध किया जाता है। इसका दायित्व एक्च्यूरियल मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(3) सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)

कंपनी में सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना है जिसके अंतर्गत किसी सेवानिवृत कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को इंपैनल्ड हॉस्पिटल में कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतर सीमा के विषायाधीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(4) अवकाश (अर्जित अवकाश/अर्द्ध वेतन अवकाश)

कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी अर्जित अवकाश लाभ (कंपेंसेटेड एबसेन्स को सम्मिलित करते हुए) और अर्द्ध वेतन अवकाश उपलब्ध कराती है जो वर्ष में क्रमश: 30 दिन और 20 दिन। अर्द्ध वेतन अवकाश 50 वर्ष की आयु के पश्चात छोड़ते समय अधिकतम 240 दिनों के लिए इन्कैशेबल है। और अर्द्ध वेतन अवकाश के कम्यूटेशन की अनुमति नहीं है।

(5) सेवानिवृति के समय बैगेज भत्ता

बैगेज भत्ता इंगित करता है सेवानिवृति पश्चात कर्मचारी, परिवार के सदस्य के लिए यात्रा और भारत में किसी स्थान पर समान के स्थांतरण के लिए जहाँ कर्मचारी सेवानिवृति उपरांत बसना चाहता है। एक्च्यूरियल वैल्यूएशन के आधार पर इसके देयता की पहचान की जाती है।

(6) निम्नलिखित सारणी वित्तीय विवरणों में मान्य सेवानिवृति लाभ-योजना की स्थिति निरूपित करता है

	2012-13			2011-12		
विवरण	**आरंभिक देयता (₹/लाख)**	**वर्ष के दौरान सृजित समायोजित (₹/लाख)**	**अंत देयता (₹/लाख)**	**आरंभिक देयता (₹/लाख)**	**वर्ष के दौरान सृजित समायोजित (₹/लाख)**	**अंत देयता (₹/लाख)**
अर्जित अवकाश	1252.12	101.17	1353.29	1109.52	142.60	1252.12
अर्ह वेतन अवकाश	499.95	56.56	556.51	607.06	(107.11)	499.95
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना	309.89	99.74	409.63	272.86	37.03	309.89
सेवा निवृत्ति के समय बैगेज भत्ता	12.00	1.57	13.57	11.19	0.81	12.00
योग	**2073.96**	**259.04**	**2333.00**	**2000.63**	**73.33**	**2073.96**

(7) यथास्थिति दिनांक 31 मार्च, 2013 एक्टयूरियल वैल्यूएशन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्य सीमांकित लाभ योजना नीचे वर्णित है:-

(आंकड़े ₹/लाख में)

		2012-13			2011-12		
	विवरण	**अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अवेछु) (अनिधिबद्ध)**	**बैगेज भत्ता/ पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)**	**उपदान (निधिबद्ध)**	**अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अवेछु) (अनिधिबद्ध)**	**बैगेज भत्ता/ पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)**	**उपदान (निधिबद्ध)**
क)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**						
i	अवधि के प्रारंभ में	1752.08	321.88	2615.75	1716.58	284.05	2442.08
ii	ब्याज लागत	140.18	25.76	209.26	137.32	22.72	195.37
iii	पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
iv	चालू सेवा लागत	130.99	12.90	164.30	131.74	10.60	155.21
v	उपहास/निपटान लागत	-	-	-		-	
vi	भुगतान किया गया लाभ	(258.63)	(18.73)	(151.54)	(176.71)	(17.72)	(115.13)
vii	दायित्व/बाध्यता पर ऐक्चूरियल (अभिलाभ/हानि) (संतुलित अंक)	145.20	81.39	126.29	(56.86)	22.24	(61.78)
viii	अवधि के समाप्ति पर दायित्व/ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1909.80	423.20	2964.06	1752.08	321.89	2615.75
ख)	**प्लेन परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**						
i	अवधि के प्रारम्भ में प्लेन परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-	3044.89	-	-	2748.11
ii	नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-	251.81	-	-	214.63
iii	अंशदान	-	-	-	-	-	-
iv	भुगतान किया गया लाभ	-	-	(151.54)	-	-	(115.13)
v	दायित्व/बाध्यता पर ऐक्चूरियल अभिलाभ/(हानि)	-	-	0.55	-	-	23.61
vi	अवधि के समाप्ति पर नियोजित परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-	3145.71	-	-	2871.22
ग)	**तुलन-पत्र में अभिज्ञान हेतु राशि**						
i	अवधि के प्रारंभ में में दायित्व/ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1909.80	423.20	2964.06	1752.08	321.89	2615.75
ii	अवधि के समाप्ति पर नियोजित परसम्पत्तियों की उचित मूल्य	-	-	3145.71	-	-	2871.22
iii	तुलन-पत्र में अभिज्ञान किए गए शुद्ध परिसम्पत्तियां/दायित्व	(1909.80)	(423.20)	181.65	(1752.08)	(321.89)	255.47
घ)	**लाभ एवं हानि लेखा विवरण में अभिज्ञात किया गया व्यय**						
i	वर्तमान सेवा लागत	130.99	12.90	164.30	131.74	10.60	155.21
ii	पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-		-
iii	ब्याज लागत	140.18	25.76	209.26	137.32	22.72	195.37
iv	नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-	(251.81)	-	-	(214.63)
v	अपह्रास/निपटान लागत	-	-	-	-	-	-

(आंकड़े ₹/लाख में)

		2012-13			2011-12		
	विवरण	**अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अवेछु) (अनिधिबद्ध)**	**बैगेज भत्ता/ पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)**	**उपदान (निधिबद्ध)**	**अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अवेछु) (अनिधिबद्ध)**	**बैगेज भत्ता/ पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)**	**उपदान (निधिबद्ध)**
vi	अवधि में अभिज्ञात शुद्ध ऐक्चूरियल अभिलाभ/(हानि)	145.20	81.39	125.75	(56.86)	22.24	(85.39)
vii	भुगतान किया गया लाभ सहित लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	416.37	120.04	247.49	212.20	55.56	50.56

कर्मचारी लाभों का निर्धारण करने में उपयोग की गई मूल धारणा निम्नवत है :-

विवरण	**समस्त कर्मचारियों के लिए अ.छु. एवं अ.वे.छु (अनिधिबद्ध)**	**समस्त कर्मचारियों के लिए बैगेज भत्ता/ पीआरएमबीएस(अनिधिबद्ध)**	**उपदान (निधिबद्ध)**
छूट दर	8.00%	8.00%	8.00%
नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित दर	-	-	8.27%
भविष्य में लागत वृद्धि वेतन एस्केलेशन दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 years	60 years	60 years
एट्रिशन दर			
आयु (वर्ष)			
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%
44 वर्ष तक	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%	1.00%

उपर्युक्त सूचना एकच्यूअरी द्वारा यथा सत्यापित और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत है

8) उपदान न्यास के मामले में कुल योजना आस्तियां निम्नलिखित प्रकार से निवेशित है:

क्र.सं.	**योजना आस्तियों की मुख्य कोटियां**	**31 मार्च, 2013 तक**	**31 मार्च, 2013 तक**
		कुल योजना आस्तियों का %	
1	सरकारी प्रतिभूतियां/भारिबैं के साथ विशेष जमा	62.80	63.96
2	उच्च गुणवत्ता के कारपोरेट बांड	28.28	30.99
3	बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य
4	म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य
5	नकद एवं नकद समतुल्य बैंक शेष	0.75	0.50
6	मियादी जमा	7.55	3.26
7	इक्विटी	0.62	1.29

9) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों के मूल्य के साथ उपदान के समाशोधन हेतु पूर्व वर्षों में किए गए प्रावधान में यह पाया गया था कि दिनांक 31.03.2012 तक ₹429.14 लाख का अधिशेष उपदान के लिए प्रावधान हेतु किया गया था। वर्ष के दौरान इस राशि को पूर्वाविधि मदों में जमा किया गया है। यथास्थिति दिनांक 31.03.2013 योजना आस्तियों पर आधारित ₹247.49 लाख की राशि का चालू वर्ष का प्रावधान चालू वर्ष के लाभ व हानि की विवरणी में नामे लिखा गया है।

10) पेंशन

पेंशन अंशदानों के लिए नोट सं. XVI (ख) में उल्लेख होना चाहिए।

11) उपदान व्ययों को भविष्य निधि तथा उपदान निधियों में मान्यता दी गई है और पेंशन व छुट्टी के नकदीकरण को वेतन तथा मजदूरी के अंतर्गत नोट 24 में।

(XVII) इंश्योरेंस दावा

क) डॉफिन हेलीकॉप्टर, वीटी एसओ के जो दिनांक 16.12.2010 में चंडीगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था के इंश्योरेंस दावे का निपटान न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा मई, 2013 में कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस (सीटीएल) के अंतर्गत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 में आभासी निश्चितता के आधार पर इस दावे को लेखाबद्ध किया गया। आवश्यक कटौतियों के पश्चात इंश्योरेंस कंपनी से शुद्ध मूल्य रु 1392.21 लाख है।

इसके अतिरिक्त ₹245.27 लाख के हेलीकॉप्टर के अवशिष्ट मूल्य में सम्मिलित है अदद 2 एरिवल 26 इंजन, रोटेबल्स और मेटालिक/गैर मेटालिक स्क्रैप। एरियल 2C इंजन और रोटेबल्स सेवाप्रयोज्यता के पूर्व बेंच जाँच मरम्मत और अनुरक्षण के विषयाधीन है इसलिए इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ख) दिनांक 28 जून 2013 को डोफिन एन 3 हेलीकॉप्टर निबंधन संख्या वीटी-पीएचजेड दुर्घटनाग्रस्त हो गया जबकि हेलिकॉप्टर उत्तराखंड में मातेली से हरसील तक राहत अभियान पर था। एयरक्रॉफ्ट के पिछले हिस्से में क्षति की रिपोर्ट की गई। घटना की सूचना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. को दी गई है जिनके पास हेलीकॉप्टर बीमित है। क्षति के कारण आंकलित मरम्मन लागत का निश्चय जाँच/निरीक्षण के उपरांत और बीमा सर्वेक्षक के अनुमान के बाद सही समय पर किया जाएगा अत: समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत कोई समायोजन करने की आवश्यक्ता नहीं है।

ग) ₹875.00 लाख के लिए बीमित एक बेल हेलीकॉप्टर (वीटीपीएचएच) ने कटरा, जम्मू व कश्मीर में दिनांक 30 दिसंबर, 2012 को एक हार्ड लैंडिंग विना किसी अपघात के की। कंपनी ने इश्योरेंस कंपनी के साथ दावों को प्राथमिकता दी है। चूंकि बीमा सर्वेक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और आंकलित मूल्य ज्ञान नहीं है दावा बही में लेखाबद्ध नहीं किया गया है और हेलीकॉप्टर को रु 83.71 लाख के बही मूल्य पर आगे ले जाया जा रहा है।

(XVIII) कराधान

क) दिनांक 31.03.2007 से दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्षों के लिए करयोग्य हानि को देखते हुए कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 115 जे बी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के लिए देय है। कंपनी ने ₹3957.50 लाख की रकम के एमएटी का भुगतान इन वर्षों के लिए किया है (जिसमें ₹650 लाख चालू वर्ष के लिए सम्मिलित है)। यद्यपि कंपनी द्वारा भुगतान किए एमएटी भविष्य में दस वर्षों में सामान्य आयकर दायित्वों के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है।

आयकर विभाग से वापस की गई उगाही की जानेवाली/समायोजित की जाने वाली ₹7402.68 लाख की राशि ''दीर्घविधि ऋणों और अग्रिमों'' के अंतर्गत दर्शाए गए है निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण निर्धारण से संबंधित है और निर्धारण अब तक पूर्ण किए जाने से संबंधित ₹881.42 लाख हैं। पूर्ण निर्धारण से संबद्ध ₹6521.26 लाख के मामले की राशि की वापसी की जानी है या अतिरिक्त कर देयता यदि कोई हो की इस स्तर पर मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

ख) कंपनी ने आयकर अपील न्यायाधिकरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा किए प्रतिबंध के विरूध अपील दर्ज कराई है और सीआईटे (अपील) द्वारा पुष्टि की गई है। ये अपीलें मुख्यत: कंपनी के केन्द्र सरकार/वित्तीय वर्ष 31.03.1997 से 31.03.2002 के लिए कर मुक्त बांड पर ब्याज के लिए देय ब्याज के दावे से संबंधित हैं। भारत सरकार की राशियों पर ब्याज की छूट के लिए (नोट सं. 27 (iii) देखें)कंपनी के अनुरोध पर भारत सरकार का निर्णय लंबित है, ये अपीले वर्तमान में आईटीएटी के समक्ष लंबित हैं। अतिरिक्त कर देयता की राशि या वापसी यदि कोई हो जो कंपनी पर बकाया हो सकती है इस स्तर पर गणना योग्य नहीं है।

ग) लेखा मानक (एएस 22) आय पर करों के लिए लेखा के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए संचयी कर योग्य हानियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। पूर्व की लाभप्रदता की जाँच के आधार पर भविष्य के लिए लाभ प्रक्षेपण का आंकलन और परिणामी वर्षों में आस्थगित कर देयता का व्युत्क्रमण और बुद्धिमतापूर्ण विषय के रूप में ₹11148.93 लाख (गत वर्ष ₹3722.23 लाख की सीमा तक संचयी अनावशोषित मूल्यह्रास को चालू वर्ष में आस्थगित कर आस्तियों के लिए ऋण लेने के रूप में मान्यता दी गई है। कर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 250/143 (3) के अंतर्गत आंकलन वर्ष 2010-11 तक अनावशोषित मूल्यह्रास को सम्मिलित करते हुए कर योग्य हानि को आंकलन किया गया है।

तदनुसार एएस22 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के ₹3887.59 लाख की राशि के शेष अनावशोषित मूल्यह्रास पर आस्थगित कर आस्तियां और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹5894.12 लाख की समीक्षा परिणामी अवधि में की जाएगी।

घ) प्रधान कार्यलय में इनपुट सेवाओं पर सेवा कर के दावे के मामले में परीक्षण किया जा रहा है और राशि के परिमाण का निर्धारण करने के लिए और आउटपुट सेवाओं के विरुद्ध दावे के क्रेडिट के लिए समुचित कदम उठाए जाने है।

(XIX) लागत पर इक्विटी शेयर (गैर सूचीबद्ध) में निवेश

कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान ₹289.34 लाख का निवेश इक्विटी अंशदान (गैर सूचीबद्ध) के द्वारा राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्रा.लि. गोंदिया, महाराष्ट्र में किया था। निवेशित कंपनी ने यथास्थिति दिनांक 31.03.2012 तक ₹6468.52 लाख की प्रदत्त शेयर पूंजी के विरूद्ध ₹1789.44 लाख की हानि आंकलित की है। यद्यपि संस्थान में दीर्घावधि के हित चर-विचार करते हुए इस निवेश के लिए क्षति पर प्रावधान नहीं किया गया है।

(XX) हेलीपोर्ट परियोजना

₹6400.00 लाख की प्राकल्लित राशि से नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) की ओर से सरकार ने कंपनी द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है जिसका निधियन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) भूमि की लागत के पक्ष में सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में ₹1900.00 लाख

(ii) संसाधनों के विकास की लागत के 80% के पक्ष में सरकारी इक्विटी का कुल योग ₹3600.00

(iii) परियोजना लागत के 80% के रूप में ₹900.00 लाख का कंपनी योगदान।

हेलीपोर्ट परियोजना लागत के पक्ष में भारत सरकार के इक्विटी योगदान के रूप में कंपनी ने मार्च, 2013 तक ₹3600.00 लाख प्राप्त किए।

दिनांक 31.03.2013 तक परियोजना पर किए गए व्यय नीचे संक्षेप में हैं:-

	(आंकड़े ₹/लाख में)	
विवरण	**31.3.2013**	**31.3.2012**
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित-भूमि की लागत	1900.00	1900.00
भारत सरकार द्वारा गैर वित्त पोषित-भूमि की लागत	7.01	7.01
अभिकल्पन और परियोजना की आयोजना के लिए परामर्शदाताओं को भुगतान	44.18	-
सीडब्ल्यूआईपी चाहरदीवारी आदि पर व्यय सहित	251.53	241.08
योग	**2202.72**	**2148.09**
भारत सरकार से प्राप्त राशि	5500.00	5500.00
परियोजना के लिए निश्चित की गई निधि के रूप में बैंक के पास निवेश की गई सावधि जमा राशि	3297.29	3351.91

(XXI) हडस्पर, पुणे में हेलीकॉप्टर्स प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट

कंपनी को डीजीसीए के स्वामित्व वाले हडस्पर, पुणे स्थित वर्तमान ग्लाइडिंग सेंटर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट विकास का कार्य सौंपा गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया था। डीजीसीए ने इस उद्देश्य से अप्रैल, 2010 में ₹1000.00 लाख की राशि जारी की थी। उक्त अग्रिम में से दिनांक 31.03.2013 तक किए व्यय नीचे दिए गए हैं:-

	विवरण	**31/3/2013 तक**	**31/3/2012 तक**
		₹/लाख में	**₹/लाख में**
क	-अप्रैल, 2010 में डीजीसीए से प्राप्त अग्रिम कुल प्रोद्भूत और अर्जित ब्याज	1000.00	1000.00
	-कुल प्रोद्भूत और अर्जित ब्याज	179.86	135.62
	कुल निधि	**1179.86**	**1135.62**
ख	-एनबीसीसी को संवितरित राशि	945.34	208.00
	-परियोजना लागत के लिए कंपनी द्वारा प्रोद्भूत राशि	26.65	10.47
	कुल संवितरण/व्यय	**971.99**	**218.47**
ग	**बैंक के पास उपलब्ध शेष**		
	-चालू खाते में	39.51	12.18
	-सावधि जमा में	150.00	850.00
	-अर्जित ब्याज	18.36	54.97
	योग	**207.87**	**917.15**

(XXII) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व/ सतत विकास निधि

1. विगत वर्षों में कंपनी ने भारत सरकार, लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कर पश्चात लाभ के 3% की दर से नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए निम्नानुसार प्रावधान सृजित किए हैं:-

वित्तीय वर्ष	**कर पश्चात लाभ (₹/लाख में)**	**सीएसआर के लिए प्रावधान (₹/लाख में)**	**प्रोद्भूत व्यय (₹/लाख में)**
2009-10	3558.86	106.77	23.51
2010-11	1850.60	55.52	—
2011-12	(1035.12)	—	—
योग		**162.29**	**23.51**

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए हानि को देखते हुए वर्ष के दौरान प्रावधान नहीं किए गए हैं

₹138.78 लाख का अप्रयुक्त शेष भविष्य के उपयोग के लिए अग्रेषित किया गया है।

2. वर्ष के दौरान कंपनी ने सतत् विकास निधि के लिए 2009-10 और 2010-11 को समाप्त वर्ष के लिए डीपीई कार्यालय ज्ञापन सं. 3(9)/2010 डीपीई (एमओयू) दिनांक 23.09.2011 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कुल ₹27.50 लाख का प्रावधान निम्नानुसार किया है:-

वित्तीय वर्ष	**कर पश्चात लाभ (₹/लाख में)**	**एसडीएफ के लिए प्रावधान (₹/लाख में)**
2009-10	3558.86	17.79
2010-11	1850.60	9.26
2011-12	(1035.12)	—
योग		**27.05**

दिनांक 31.03.2013 तक कोई व्यय नहीं दिए गए है और ₹27.05 लाख की संपूर्ण राशि भविष्य में उपयोग के लिए अग्रेषित की गई है।

(XXIII) परिचालन लीज के लिए दायित्व

रद्द परिचालन लीजों के मामले में रु. 546.34 लाख (गत वर्ष ₹444.21 लाख) के किराया व्ययों को लाभ और

हानि की विवरणी में प्रभारित किया गया है। कंपनी ने गैर-रद्दीकरण परिचालन हानियों में प्रवेश नहीं किया है।

(XXIV) प्रावधान

(आंकड़े ₹/लाख में)

विवरण	01.04.2012 को आदि शेष	वर्ष के दौरान सृजित	वर्ष के दौरान उपयोग/अन्य समायोजन/ अन्तरण/ परावर्तन	31.03.2013 को अंत शेष
आस्तियों की हानि	1600.12	2.61	—	1602.73
पेंशन सहित दिनांक 01.01.2007 से वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण के लिए प्रावधान	3777.20	2286.73	2049.68	4014.25
संदेहास्पद ऋण/ अग्रिम	1235.25	176.57	58.40	1353.42
अचल इंवेंट्री/जीवन कालातीत मदें, आदि	1395.93	269.87	6.33	1659.47
लाभांश	—	233.96	—	233.96
लाभांश पर कारपोरेट कर	—	39.76	—	39.76

(XXV) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

यथा अपेक्षित लेखांकन मानक-18 'संबधित पार्टी प्रकटीकरण' आईसीएआई द्वारा जारी संबधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नवत है:-

(क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अनिल श्रीवास्तव, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड, 23.03.2012 (अपराह्न) से

(ख) लेन देन

(i) श्री अनिल श्रीवास्तव, भा.प्र.से. वेतन: ₹शून्य

(ग) ओएनजीसी लिमिटेड - इक्विटी अंशधारण-49% ₹12,035.00 लाख

अंतरण:-	वित्तीय वर्ष 2012-13	वित्तीय वर्ष 2011-12
	₹/लाख में	₹/लाख में
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	19481.11	20305.00
परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध से प्राप्त आय	207.40	-
31 मार्च तक कारोबार प्राप्य (डेबिट) सुरक्षित ऋण (प्राप्त)	3240.43	4478.08
सुरक्षित ऋण (प्राप्त)	-	7675.13
चुकाया गया ऋण (मूल धन की राशि)	2629.75	2340.86
प्रदत्त ब्याज	1340.24	1439.59
बकाया ऋण (मूलधन की राशि)	10561.73	13191.48
31 मार्च तक उपचित ब्याज	98.58	127.76

(XXVI) प्रति शेयर आय की निम्नानुसार संगणना की गई है:

	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13
कर पश्चात शुद्ध (लाभ/हानि)	₹ 1169.82 लाख	₹ (1035.12) लाख
बकाया इक्विटी शेयर के औसत की संख्या	245616	245616
प्रति शेयर आय (मूल तथा डाईलूटेड)	₹476/-	₹(421/-)
₹10,000/-प्रति शेयर अंकित मूल्य		

(XXVII) अतिरिक्त सूचनाएं

क) प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक (वित्तीय बट्टे खाते डालने के बाद)

(₹/लाख में)

	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13
i) भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें(शुद्ध)	6,577.75	7,550.49
ii) परीक्षण संयंत्र/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर	59.25	49.70
iii) मार्गस्थ माल	24.84	113.39
iv) निरीक्षण के अधीन स्टॉक	53.69	220.27
v) एटीएफ	12.00	13.82
योग	**6,727.53**	**7,947.67**

ख) सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित सामग्री:

(₹/लाख में)

	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13
1) हेलीकॉप्टर एवं उपकरण	12,469.19	25,186.39
ii) भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें	1,377.52	3494.27
iii) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	1,501.89	2,375.12
iv) परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/खुले औजार	105.89	136.55
v) मार्गस्थ माल/निरीक्षणाधीन माल	73.01	630.10
vi) पूंजीगत सामान/अन्य मदें	70.56	29.08
योग	**15,598.06**	**31,851.51**

ग) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई विदेशी मुद्रा:

(₹/लाख में)

	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13
i) हेलीकॉप्टर एवं उपकरण	12,112.81	25,186.39
ii) भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें	1,358.56	3,450.47
iii) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	1,491.99	2,358.87
iv) परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/खुले औजार	105.46	135.66
v) Foreign Travelling/ Foreign Training	216.66	263.35
vi) मार्गस्थ माल/निरीक्षणाधीन माल	72.62	624.07
vii) Repair Charges	6,195.96	6,856.66
viii) पूंजीगत सामान/अन्य मदें	59.39	27.66
योग	**21,613.45**	**38,903.13**

घ) आयातित और स्वदेशी कलपुर्जों व अतिरिक्त पुर्जों (खुले औजारों के बट्टे खाते को मिलाकर और पूँजीगत मदों को छोड़कर) की खपत का मूल्य:

	मूल्य (₹ लाख में)		(प्रतिशत)	
	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13
आयातित	2,295.32	3,899.02	95.9%	96.5%
स्वदेशी	97.63	140.19	4.1%	3.5%
योग	**2,392.95**	**4,039.21**	**100.00%**	**100.00%**

ड़) वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में आय

(₹/लाख में)

	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	9,688.87	16,272.51
	9,688.87	16,272.51

च) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

i.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹/लाख में)

	31 मार्च, 2012-13	31 मार्च, 2012-13
i) वेतन	-	14.35
ii) भत्ते तथा परिलब्धियां	-	5.65
iii भविष्य निधि तथा उपदान	-	1.69
	-	21.69

(XXVIII) कंपनी पर तुलन पत्र की तिथि पर सूक्ष्म व लघु उद्योग का 30 दिनों से अधिक का कोई बकाया देय नहीं है।

(XXIX) चूंकि सामान्य परिचालन चक्र को परिभाषित करना संभव नहीं है इसके लिए 12 माह की अवधि की परिकल्पना की गई है और आस्तियों और देयताओं का दीर्घावधि और अल्पावधि में वर्गीकरण

तदनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI (संशोधित) के आशय से की गई है।

(XXX) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी के पास मात्र एक सेंगमेंट है जिसमें हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। लेखांकन मानक-17 के अनुसार सेगमेंट रिर्पोटिंग कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

(XXXI) दिनांक 14.01.2013 के प्रभाव से कंपनी का नाम पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड से परिवर्तित होकर पवन हंस लिमिटेड हो गया है।

(XXXII) जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया हो चालू आंकड़ों को गत वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक
(विधि)

सुबीर दास
महाप्रबंधक (वि.व.ले.)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अक्टूबर, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹/लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2012-13		31 मार्च, 2012-13	
क. प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह				
कर पूर्व शुद्ध लाभ		2,793.71		2,243.14
के लिए समायोजन				
मूल्य और ह्रास परिशोधन व्यय	7,409.61		6,035.48	
ब्याज आय	(1,039.20)		(928.09)	
नियत आस्तियों की बिक्री से हानि	1.38		0.75	
वित्त लागत	2,851.16		1,445.73	
रोटेबल, स्टोर एवं स्पेयर्श रिटेन ऑफ	151.03		213.82	
प्रावधान	804.28		(57.48)	
प्रकीर्ण व्यय रिटेन ऑफ	-		53.87	
		10,178.26		6,764.08
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		12,971.97		9,007.22
के लिए समायोजन				
कारोबार प्राप्य	(4,176.22)		1,421.88	
ऋण व अग्रिम एवं अन्य आस्तियां	1,273.53		3,267.68	
इंवेट्री	956.60		(1,219.32)	
कारोबार शोध्य अन्य देयताएं व प्रावधान	(2,708.43)		534.98	
प्रचालन से प्रजनन सृजित नकदी		(4,654.52)		4,005.21
आयकर भुगतान		803.49		1,069.46
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		7,513.96		11,942.97
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अचल आस्तियां (शुद्ध)	(13,276.42)		(26,821.52)	
प्राप्त ब्याज	1,039.20		928.09	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	(240.97)		(495.38)	
निवेश गतिविधियों में उपयोग से शुद्ध नकदी प्रवाह		(12,478.19)		(26,388.81)
स. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
वित्त लागत	(2,851.16)		(1,445.73)	
दीर्घावधि उधार से अथगिम	9,853.47		21,090.22	
दीर्घावधि उधार का पुनर्भुगतान	(3,463.78)		(2,340.85)	
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		3,538.53		17,303.64
नकदी तथा तत्समान नकदी में शुद्ध (कमी)/वृद्धि		(1,425.70)		2,857.80
आरंभ में नकदी तथा तत्समान नकदी		13,993.19		11,135.39
(लिएन के अंतर्गत ₹5759.12 लाख सहित)				
अंत में नकदी और तत्समान नकदी		12,567.49		13,993.19
(लिएन के अंतर्गत ₹1878.89 लाख सहित)				

नोट :

1. कोष्टक में दिए अनेक नकद व्यय को सूचित करते हैं

2. उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक (ए एस)-3 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में तय अप्रत्यक्ष प्रणाली से तैयार किया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

कृते खन्ना एवं आनंदम
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. न. 1297 एन

आशीष अहलूवालिया
पार्टनर
(एम.सं.-088514)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 अक्टूबर, 2013

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

सुबीर दास
महाप्रबंधक (वि.व.ले.)

सांविधिक ऑडिटर की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्य
पवन हंस लिमिटेड
(पूर्ववर्ती पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड)

वित्तीय विवरणियों की रिपोर्ट

हमने पवन हंस लिमिटेड (कम्पनी) की विचाराधीन वित्तीय रिपोर्टों का ऑडिट किया है जिनमें 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, समाप्त वर्ष की लाभ एवं हानि की विवरणी तथा संबंधित कैश फ्लो विवरणियां एवं विशिष्ट एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों के संक्षेप तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा ऑडिटरों द्वारा पश्चिम क्षेत्र के लेखों के संबंध में किए गए ऑडिट के स्पष्टीकरण से संबंधित अन्य सूचना सम्मिलित हैं।

वित्तीय विवरणियों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उप धारा (3ग) में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसरण में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कैश फ्लो की ऐसी सत्य एवं स्पष्ट छवि की वित्तीय विवरणियां तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी प्रबंधन का है। इन उत्तरदायित्वों में किसी वस्तुपरक मिथ्या कथन, जालसाजी अथवा चूक स्वरूप, से मुक्त वित्तीय रिपोर्टों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए संबंधित आंतरिक नियंत्रण की योजना, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण का उत्तरदायितव शामिल है।

ऑडिटर के उत्तरदायित्व

इन रिपोर्टों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के प्रति हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय रिपोटों के संबंध में हमारे द्वारा किए गए ऑडिट पर आधारित होता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ऑडिटिंग के संबंध में निर्धारित मानकों का अनुसरण करते हुए हमारे द्वारा ऑडिट कार्य किया जाता है। इन मानकों के अंतर्गत नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करते हुए ऑडिट की योजना एवं निष्पादन का कार्य करते हुए हमें यह औचित्यपरक सुनिश्चय करना होता है कि क्या वित्तीय विवरणियां वस्तुपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं अथवा नहीं।

प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर

ऑडिट कार्य के लिए प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से राशियों एवं वित्तीय विवरणियों में किए गए खुलासे के संबंध में ऑडिट प्रमाण एकत्र करना अपेक्षित होता है। वित्तीय विवरणियों के वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन ऑडिटर के विवेकानुसार किया जाता है । ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते हुए ऑडिटर द्वारा स्थितियों के अनुरूप ऑडिट उचित प्रक्रिया तैयार करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं सत्य प्रस्तुति के लिए कम्पनी के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार किया जाता है। ऑडिट कार्य में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की औचित्यता के मूल्यांकन सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है ।

हमारी धारणा है कि हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए हमें प्राप्त ऑडिट प्रमाण उचित एवं पर्याप्त हैं।

मान्य सुझावों का आधार

1. **उत्तरी क्षेत्र के मामले में इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) के सुरक्षा जमा खाते में आईओसी से प्राप्त लेखा विवरणी में दर्शाई गई ₹214.30 के स्थान पर ₹189.30 लाख का नामे शेष दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त भी आईओसी से प्राप्त लेखा विवरणी की तुलना में कम्पनी की लेखा पुस्तिकाओं के व्यवसाय देयता खाते में ₹19.91 का अतिरिक्त क्रेडिट दर्शाया गया है। हमें सूचित किया गया है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ इस संबंध में समाधान किया जा रहा है। संदर्भ नोट संख्या 27(XI) (2)**

   इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) के सुरक्षा जमा खाते में ₹25 लाख की राशि के अंतर का कारण यह है कि चुकता किए गए कुछ भुगतानों का मैसर्स आईओसी द्वारा कारनेट कार्ड में अग्रिम/भुगतान के स्थागन पर सुरक्षा जमा के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया था । इसका समाधान प्रगति पर है तथा अंतर स्थापित किया जा चुका है जिसके संबंध में इंडियन ऑयल कारपोरेशन आवश्यक संशोधन पारित किया जायेगा। ₹19.91 लाख की राशि हमारे द्वारा बुक किए गए आईओसी विलगन के उन बिलों से सम्बद्ध है जिन्हें आईओसी ने लेखांबद्ध नहीं किया था।

2. **पिछले वर्ष बिक्री खाते में नामे करते हुए ₹206.00 लाख की राशि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (श्राइन बोर्ड) के खाते में जमा की गई थी। दिनांक 31.03.2013 को श्राइन बोर्ड के खाते में ₹175.26 लाख की राशि नामे करते हुए पूर्व अवधि की मदों (प्रायर पीरियड आइट्मस) में जमा किया गया। हमें सूचित किया गया है कि इन प्रविष्टियों के समर्थन में श्राइन बोर्ड से आवश्यक विवरण एकत्र किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड से ''नो शो कस्टमर्स'' (अनुपस्थित यात्रियों) खाते में ₹71.72 लाख की अग्रिम जमा से संबंधित आवश्यक सूचना भी प्रतीक्षित है।**

   श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा अक्तूबर, 2011 ई-टिकट बुकिंग का समग्र कार्य अपने पास ले लिया है जबकि इससे पूर्व साथ ही साथ 50% बुकिंग पवन हंस लिमिटेड द्वारा की जाती थी तथा 50% अन्य प्रचालक द्वारा उनके अपने ई-टिकटिंग सिस्टम से की जाती थी। पहले अनुपस्थित यात्रियों को प्रत्येक प्रचालक द्वारा आय के रूप में लिया जाता था तथा श्राइन बोर्ड को यात्रा करने वाले वास्तविक यात्रियों के आधार पर भुगतान किया जाता था। बुकिंग सिस्टम में परिवर्तन के परिणामस्वरूप श्राइन बोर्ड द्वारा अनुपस्थित यात्रियों का अंशभाग पहले ही ले लिया जाता है।

   लेखे में ₹71.72 लाख के क्रेडिट के संबंध में समाधान कार्य प्रारम्भिक स्तर पर है तथा शेष राशि की वसूली एवं सुधार

प्रविष्टियां अगले वर्ष पारित की जाएगीं। सुधार प्रविष्टियां चालू वित्तीय वर्ष में पारित की जाएगीं ।

कम्पनी की लेखा पुस्तिकाओं में ₹106.21 लाख के नामे खाता शेष की तुलना में श्राइन बोर्ड द्वारा कम्पनी को देय ₹129.68 लाख के जमा शेष की पुष्टि की गई है जिसके अनुसार ₹23.47 लाख का शेष बचता है तथा इसका समाधान किया जाना आवश्यक है । संदर्भ नोट संख्या 27(XIII)

श्राइन बोर्ड के सम्मुख यह मामला प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा अब तक के लि, कुल ₹79 लाख, अर्थात अनुपस्थित यात्रियों के भाग के रूप में पीएचएल के लिए जुलाई, 2013 की ₹60 लाख तथा अक्टूबर, 2013 की ₹19 लाख की राशि, का भुगतान किया गया है तथा ₹23.47 लाख की राशि का समाधान किया जा रहा है।

3. **अग्रिम आय कर में ₹6521.26 लाख की राशि पिछले वर्षों के उन वर्षों से सम्बद्ध है जिनके संबंध में आय कर निर्धारण पूरा किया जा चुका है। अग्रिम कर, स्त्रोछत पर कर, आय कर के लिए प्रावधान, आय कर मागों, धनवापसियों, प्राप्तियों इत्यादि का विवरण उपलब्ध न होने की स्थिति में दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत दर्शाई गई उक्त राशि की प्राप्यता के संबंध में हम कोई विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। संदर्भ नोट संख्या 27(XVIII)(ख)**

आय कर निर्धारण के संबंध में विस्तृत विश्लेषण / समाधान पूरा कर लिया गया है। आय कर अपीलिय ट्रिब्यून फॉरेम के समक्ष चूंकि पवन हंस द्वारा अपील की गई है अत: कम्पनी का यह मानना है कि एओ/सीआई (अपील) द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारण आदेश आय कर अपीलिय ट्रिब्यून द्वारा किए जाने वाले अंतिम प्रेक्षण / निर्णय की शर्त के साथ होगें। निर्धारण वर्ष 1997-98 से निर्धारण वर्ष 2002-03 के संबंध में कम्पनी द्वारा भारत सरकार की ₹5996.31 लाख की दावा की गई देयताओं के ब्याज के मामले पर निर्धारण अधिकारी सीआईटी (ए) द्वारा दी गई अस्वीकृति के विरूद्ध कम्पनी द्वारा आय कर अपीलिय स्तर पर अपनी अपील दायर की गई है। इन निर्धारण वर्षो के लिए कम्पनी द्वारा विरोध प्रस्तुत करते हुए कर एवं उसके ब्याज का भुगतान आय कर विभाग को किया गया था। इसके पश्चात निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति के संबंध में आय कर विभाग द्वारा धनवापसी का समायोजन किया गया था। आय कर अपीलीय ट्रिब्यून के निदेशों के अनुसार वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर्स के संबंध में वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा ब्याज के संबंध में किए गए दावे के मामले पर पहले नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) तथा वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के मध्य निपटान होना आवश्यक है। इसके पश्चात आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के दावे पर छूट प्राप्ति के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एक मामला प्रस्तुत किया गया है। यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी को आय कर की पिछले दस वर्ष की धनवापसी के रूप में ₹6338.46 लाख की राशि की प्राप्ति हुई है। तदनुसार, कम्पनी को आय कर विभाग द्वारा रोके गए आय कर की वसूली की आशा है।

4. **निगमित कार्यालय में इनपुट सेवाओं के लिए सेवा कर प्रभारित किया गया है तथा इसे केन्वेट क्रेडिट नियमों के अंतर्गत आउटपुट सेवाओं के लिए समायोजित नहीं किया गया है। इसके लिए राशि का प्रमात्रीकरण नहीं किया गया है। संदर्भ नोट संख्या 27(XVIII)(घ)।**

कम्पनी द्वारा निगमित कार्यालय (सीओ) को डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ केन्वेट क्रेडिट बनाते हुए इस मामले को सेवा कर विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किया है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में निगमित कार्यालय के केन्वेट क्रेडिट का प्रयोग दोनों क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा ।

5. **हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया अग्रिम भुगतान के दिन की विनिमय दर के अनुसार किया गया है। इसे हेलिकॉप्टरों की प्राप्ति के दिन की विनिमय दर पर ₹176.57 लाख के परिणामी विनिमय लाभ के रूप में फिर से दर्शाते हुए लाभ एवं हानि की विवरणी में क्रेडिट किया गया है। हमारे विचारानुसार, ऐसा किया जाना लेखांकन मानक (एएस) 11 विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसरण में नहीं है तथा चूंकि अग्रिम एक गैर मौद्रिक मद है अतः इसे मूल विनिमय पर अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कर के पश्चात का शुद्ध लाभ ₹128.72 लाख अधिक दर्शाया गया है। संदर्भ नोट संख्या 27(VII)(1)।**

लेखांकन नोट के नोट संख्या 27(VII) में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा पूंजीगत सामान की खरीद के लिए किसी विदेशी सप्लायर को अग्रिम देते हुए विदेशी मुद्रा को भुगतान की तिथि की विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। पूंजीगत सामान की प्राप्ति पर ऐसी सम्पतियों के विदेशी मुद्रा मूल्य को सौदे की तारीख के लिए विजया बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा दर पर परिवर्तित किया जाता है। चुकता किए गए ऐसे सामान के कुल मूल्य तथा इसके पंजीयन मूल्य के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरणी में नामे/जमा किया जाता है। कम्पनी द्वारा लेखांकन नीति की इस संगत प्रक्रिया का पालन एएस-11 के अनुसार किया जा रहा है।

6. **वर्ष के दौरान, हेलिकॉप्टरों की अधिप्राप्ति के संबंध में कम्पनी द्वारा वायु एवं ग्राउंड कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ₹157.06 लाख का व्यय किया और अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान परिशोधन के लिए इसे ''अमूर्त सम्पति'' के रूप में दर्शाया है। हमारे मतानुसार, लेखांकन मानक (एएस) 26-''अमूर्त सम्पति'' की परिभाषा में प्रशिक्षण लागत को अमूर्त सम्पति नहीं माना जाता तथा ऐसी लागतों को लाभ एवं हानि की विवरणी में प्रभारित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ के रूप में ₹104.19 लाख की राशि अधिक दर्शाई गई है। संदर्भ नोट संख्या1 27 (VIII)।**

परिभाषित भावी अर्थिक हितों के लिए एएस-26 की धारा संख्या 20 तथा धारा संख्या 21 के साथ पठनीय धारा संख्या 6.1 तथा 6.2 के अनुसार वायु एवं ग्राउंड कर्मियों की विदेश प्रशिक्षण लागत अमूर्त सम्पति का पूंजीयन है। वायु तथा ग्राउंड कर्मियों के लिए पवन हंस द्वारा व्यय की गई प्रशिक्षण लागत 5 वर्ष तथा ₹25 लाख प्रत्येक के मूल्य के सेवा बांड विधिक अधिकारों द्वारा संरक्षित हैं तथा यदि कोई पॉयलट / इंजीनियर 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व बांड की शर्तों अथवा निबंधनों के प्रति चूक करता है तो ये बांड लागू किए जा सकेगें। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भी पूर्वकाल में कर्मचारियों द्वारा कम्पनी को बांड राशि का भुगतान किया गया है।

7. **वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा संदिग्ध ऋणों के संबंध में अपनी लेखांकन नीति में संशोधन किया गया है। पिछले वर्ष जहां एक ओर केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों से तीन वर्ष से अधिक अवधि के ऋणों को संदेहास्पद दर्शाते हुए प्रावधान किए गए हैं वहीं चालू वर्ष में सात वर्ष से अधिक के बकाया ऋण वाले वाले ग्राहकों को संदेहास्पद दर्शाते हुए प्रावधान किए गए हैं। लेखांकन नीति में किए गए इस संशोधन का कोई अकाट्य कारण हमें नहीं मिला है। कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों से अधिक अवधि के केवल उत्तरी क्षेत्र से ही ₹963.99 लाख के ऋणदाता स्थापित किए गए हैं। इन ऋणदाताओं के संबंध में केवल ₹44.01 लाख के ही प्रावधान किए गए हैं। लेखांकन नीति में किए गए इस संशोधन के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कर पश्चात शुद्ध**

केन्द्र/राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों की प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण ऋण वसूली की गति धीमी होने तथा केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्ति में होने वाली देरी के कारण को मद्देनजर रखते हुए कम्पनी द्वारा अपनी बकाया राशियों के प्रावधानों के निर्माण से संबंधित लेखांकन नीति में संशोधन करते हुए केन्द्र/राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से बकाया राशियों की वसूली की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष की गई है। तथापि, जब किसी ऋण के संबंध में वसूली संदेहास्पद प्रतीत होती है तो उसके लेखांकन पुस्तिकाओं में प्रावधान किए जाते हैं ।

कम्पनी की यह अवधारणा है कि केन्द्र/राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से 3 वर्ष के पश्चात ऋण वसूली के प्रावधान किए जाने से किसी वर्ष विशेष के संदर्भ में कम्पनी के प्रचालन लाभ की सत्य छवि प्रस्तुत नहीं हो सकती है ।

लाभ बढ़कर ₹621.49 लाख हो गया है । ₹919.98 लाख घटा ₹298.49 लाख का आस्थगित कर प्रभाव संदर्भ नोट संख्या9 27(XII)(2).

8. **31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा पहली बार 31-03-2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि तक के लिए ₹3722.23 लाख के संचित मूल्य ह्रास की आस्थगित कर सम्पतियां मान्य की गई हैं जबकि अन्य मदों के लिए आस्थगित कर देयताएं (डीटीएल) एवं आस्थगित कर सम्पति (डीटीए) को 31.03.2012 तक की अवधि के लिए मान्य किया गया था। लेखांकन मानक 22- ''करों एवं आय का लेखांकन'' के अंतर्गत अपेक्षित 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए अनावशोषित मूल्य ह्रास स्थापित न होने के कारण डीटीएल में ₹3491. 91 लाख की बढ़ोतरी तथा वर्ष के दौरान लाभ एवं वर्ष की लाभ विवरणी के संचित शेष तथा लाभ एवं हानि विवरणी के संचित शेष में इसी राशि की कमी आई है। कम्पनी के ऑडिटरों द्वारा इस मामले पर पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट को सही ठहराया गया था।**

वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा ₹20930.64 लाख के वास्ताविक अनावशोषित मूल्य ह्रास पर ₹6790.95 के डीटीए के स्थान पर ₹11148.93 लाख के अनावशोषित मूल्य ह्रास पर ₹3617. 27 लाख का डीटीए स्थापित किया गया था। ₹20930.64 लाख की पूरी राशि के अनावशोषित मूल्यह्रास स्थापित न किए जाने के कारण वर्ष के दौरान करोपरांत एवं लाभ तथा हानि की विवरणी के संचित शेष में ₹3173.68 लाख के शुद्ध लाभ को कम तथा इसी राशि के डीटीएस को अधिक दर्शाया गया है। संदर्भ नोट संख्या 27 (XVIII) (ग)।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि करयोग्य भावी आय में मुकराई की सभावना वाली ऐसी अनावशोषित मूल्यह्रास एवं अग्रेषित हानियों को क्रियात्मक विचार करते हुए सामयिक एवं आस्थगित कर सम्पतियों से परिणाम माना जाता है । तदनुसार प्रततजनक प्रमाणों के साथ निश्चितता के आभास के साथ यदि किसी आस्थगित कर सम्पति के संबंध में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होने की सभावना है तो उन्हें आस्थगित कर सम्पतियों के रूप में संपादित किया जा सकता है। वित्तीय निष्पादनों से संबंधित पूर्व रिकार्ड के पुनरीक्षण तथा एसबीआई कैप्स द्वारा लाभ प्रत्यालेख के अनुमान तथा कम्पनी द्वारा ओएनजीसीए ए एण्ड एन प्रशासन, लक्षद्वीप प्रशासन, एनटीपीसी, हिमाचल प्रदेश तथा अरूणाचल प्रदेश जैसे ग्राहकों के साथ निश्चित दीर्घकालिक चार्टर अनुबंधों की उपलब्धता के आधार पर भावी कर योग्य लाभ का निर्धारण किया गया है। तदनुसार यह वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ से प्रारम्भ होगा एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुद्ध कर योग्य आय उत्पन्न हो सकेगी ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही सम्पतियों की पहचान के लिए दूरदर्शितापूर्ण विचार के साथ कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 की संशोधित आय कर विवरणी की कर योग्य हानियों सहित वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि की कुल ₹14513.36 लाख की कर योग्य हानियों में से आस्थगित कर की केवल ₹11148.93 लाख की कर हानियों की ही पहचान की गई है। एएस- 22 के पूर्ण अनुसरण में अगले तुलन पत्र में ₹6121.71 लाख की 2012-13 से सम्बद्ध कर योग्य हानियों का आस्थागित कर सम्पतियों के रूप में निर्धारण तथा पुनरीक्षण किया जाएगा ।

कर्मचारी हित, मंद गति, अचल मालसूचियां, संदेहास्पद ऋण तथा अग्रिम एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व/ स्थायी विकास निधि से युक्त ₹2836.34 लाख की अन्य आस्थगित कर सम्पतियों को वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के लिए विचार में लाया गया है जिसका आधार इस तथ्य के

अनुसार है कि इन परिसम्पतियों में अनुवर्ती वित्तीय वर्षो में चुकता/विपरीत होने की औचित्यपरक संभावना है। हमारे मतानुसार यह एएस–22 के अनुसरण में है ।

तथापि, आस्थगित कर सम्पतियों की अग्रेषित राशि के संबंध में प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में एएस–22 के अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा ।

9. पश्चिम क्षेत्र के ऑडिटरों द्वारा अपनी रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत उल्लेख के साथ तैयार की गई है:

i) ''प्राप्य ट्रेड, दीर्घ कालिक एवं अल्पकालिक ऋणों एवं दिए गए अग्रिमों, अन्य गैर - वर्तमान परिसम्पतियों, अन्य वर्तमान परिसम्पतियों, अन्य दीर्घकालिक देयताओं, भुगतान योग्य ट्रेड एवं अन्य चालू देयताओं तथा ऐसे लेखों के समाधान के शेष की पुष्टियां की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम इस संबंध में किए जाने वाले किसी प्रकार के समायोजनों/प्रावधानों, यदि कोई हुए, तथा वर्ष के दौरान लाभ के परिणामी प्रभावों, वित्तीय विवरणियों में उल्लिखित अधिशेष तथा सम्पति एवं देयताओं के संचित शेष के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। संदर्भ नोट संख्या 27(XV)

पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्राप्ति योग्य ट्रेड के संबंध में राशि का अधिकांश भाग प्राप्त किया जा चुका है । जबकि देय ट्रेड के मामले में ऋण की शर्तो के अनुसार देयताएं समाप्त हो गई हैं।

ii) ''वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा विभिन्न तिथियों को लक्षद्वीप में अपने एक विलगित प्रचालन के लिए ₹48. 06 लाख का अग्रिम दिया गया था। इस अग्रिम में से ₹18.24 लाख के दिए गए अग्रिम के संबंध में कम्पनी के पास किसी प्रकार का दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। ₹18.24 लाख का यह अग्रिम उक्त विलगित ग्रुप के नाम में अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत ''अन्य अग्रिम (विभिन्न खाते में स्थानांतरित किया गया है। कम्पनी द्वारा उक्त अग्रिम राशि में से ₹17.63 लाख की राशि के योग के विभिन्न व्ययों का प्रावध ाान किया गया है तथा बकाया देयताएं राजस्व खाते में क्रेडिट किया है जो भुगतान योग्य ट्रेड के अंतर्गत ग्रुप किया हुआ है। हमें इस विलगन की ₹18.24 लाख की अग्रिम राशि के संबंध में न तो कोई समर्थित

समर्थन के अग्रिम से संबंधित आवश्यक दस्तावेज समेकित किए जा रहे हैं। तथापि, सतर्क लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्ययों को उद्देश्यपरक करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं और न ही कम्पनी द्वारा हमें ₹17.63 लाख की राशि के किए गए व्यय के संबंध में कोई दस्तावेज दिए गए हैं। इस संबंध में समर्थित दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में हम इस संबंध में किए जा सकने वाले समायोजनों तथा कम्पंनी की वित्तीय विवरणियों पर उनके परिणामी प्रभावों के संबंध में किसी प्रकार टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।'' संदर्भ नोट संख्या 27(XII) (3)।

''स्थिर परिसम्पतियां शीर्ष के अंतर्गत रोटेबल्स में भारत से बाहर स्थित मरम्मतकर्ताओं के पास ₹3888.17 लाख (मूल्य ह्रास कटौति से पूर्व सकल मूल्य) को भेजे गए रोटेबल्स भी शामिल हैं। रोटेबल्स की इस राशि में कम्पनी के पास ₹696. 49 लाख (मूल्य ह्रास कटौति से पूर्व सकल मूल्य) के रोटेब्लस के संबंध में ऐसे मरम्मतकर्ताओं से प्राप्त ऐसी पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि ये परिसम्पति उनके पास हैं। ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार ऐसी पुष्टियां उपलब्ध न होने की स्थिति में हम ऐसी परिसम्पतियों तथा उनके संबंध में किए जाने वाले किसी प्रकार के अपेक्षित समायोजनों तथा कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर इससे पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।''संदर्भ नोट संख्या 27 (VI) (क)।

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 की अवधि के दौरान मरम्मत के लिए भेजी गई सभी मदें उन मरम्मतकर्ताओं को भेजी गई थी जो ओईएम (मूल उपकरण उत्पादक) भी हैं। ये सभी मदें वैमानिक मदें है जिनका टर्न एराउंड काल अत्यधिक है क्योंकि इनमें से अनेक मदों का उत्पादन अब नहीं हो रहा है। तथापि, ₹696.00 लाख (मूल्य ह्रास के पश्चात ₹444.00 लाख) में से पिछले 6 माह की अवधि, अर्थात अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2013 के दौरान भेजी गई मदों का मूल्य ही लगभग ₹553.00 लाख है। इसके अलावा वर्ष के अंत की ₹143.00 लाख (मूल्य ह्रास के पश्चात ₹67.00 लाख) की अनुवर्ती मदें पहले ही वापिस प्राप्त हो चुकी हैं तथा शेष मदों की मरम्मत/वापिस प्राप्ति के संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है ।

उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 4 तथा पैराग्राफ 9 के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं से इन मामलों के निपटान के लिए अपेक्षित समायोजनों का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं।

ऑडिटर्स रिपोर्ट के पैरा 1 से 4 तथा 9 के लिए ऑडिट द्वारा किए गए प्रेक्षण के संबंध में ऊपर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है ।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 के संबंध में यदि हमारे द्वारा किए गए अवलोकन के प्रति विचार किया जाता तो व्ययों में ₹1233.04 लाख की बढ़ोतरी होती, कर व्यय (आस्थगित कर सहित) में ₹3552. 32 लाख की कमी आती तथा वर्ष के शुद्ध लाभ तथा शेयरधारियों की निधियों में ₹2319.28 लाख की वृद्धि हो जाती ।

ऑडिटर्स रिपोर्ट के पैरा 5 से 8 के लिए ऑडिट द्वारा किए गए प्रेक्षण के संबंध में ऊपर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है

मान्य सुझाव

हमारे पास उपलब्ध सूचना तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों, मान्य सुझावों के आधार के पैराग्राफ के अतिरिक्त, पैराग्राफ 1 से 4 तथा पैराग्राफ 9 में इन मामलों पर होने वाले संभावित प्रभावों तथा मान्य सुझावों के आधार के पैराग्राफ में पैराग्राफ 5 से 8 में इन मामलों पर होने वाले संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हमारा सुझाव है कि निम्नलिखित मामलों में वित्तीय विवरणियों में अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित पद्धति से अपेक्षित सूचनाएं तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के सादृश्य में सत्य एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत होनी चाहिए:

(क) कम्पनी की स्थिति के संबंध में 31 मार्च, 2013 के तुलन पत्र के मामले में;

(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ के संबंध में लाभ एवं हानि विवरणी के मामले में; तथा

उस स्थिति को समाप्त वर्ष के लाभ प्रवाह के संबंध में लाभ प्रवाह विवरणी के मामले में ।

मामले पर महत्व

निम्नलिखित संदर्भों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:

1.	भारत सरकार द्वारा ₹47022.22 लाख की राशि के दावे के संबंध में नोट संख्या 27(III) जिसके लिए कम्पनी द्वारा सरकार से अधित्याग हेतु अनुरोध किया गया है	इस मामले पर त्वरित निर्णय के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के माध्यम से वित्त मंत्रालय (एमओएफ) से अनुशीलन किया जा रहा है ।
2.	वेतन संशोधन निपटान के लिए अगले वर्ष में समायोजन हेतु अग्रेषित की गई ₹697.11 लाख की राशि के शेष प्राावधान के संबंध में नोट संख्याा 27(XVI) (क) ।	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उन नियत भत्तों का भुगतान किया गया है जिनके संबंध में 31 मार्च, 2013 की यथा स्थिति के अनुसार लेखा पुस्तिकाओं में प्रावधान उपलब्ध हैं। इनमें एक नियत सीमा के आगे के लिए अधिवार्षिता के छुट्टी लाभ भी उपलब्ध हैं जो कम्पनी प्रतिधारित किए गए हैं ।
3.	नव प्रचलित सेवानिवृत्ति योजना के लिए पिछले वर्षों में किए गए ₹1415.31 लाख के प्रावधान तथा वर्ष के दौरान ₹403.40 लाख के और प्रावधान के संबंध में नोट संख्या4 27 (XVI) (ख)। प्रावधान की गई इस राशि का निधियन नहीं किया गया है ।	निदेशक मंडल द्वारा सेवानिवृत्ति योजना का अनुमोदन दिया गया था तथा अब इसे अनुमोदन के लिए नागर विमानन मंत्रालय को भेजा जा रहा है ।
4.	लाभ एवं हानि विवरणी में नामे करते पायलटों, इंजीनियरों तथा अनुबंधित कर्मचारियों के लाइसेंस सम्बद्ध भत्तों के	पॉयलटों/एएमई हेतु आउटसाईड कैफेटेरिया लाइसेंस एप्रोच के लिए सम्बद्ध भत्तों का संशोधन विचाराधीन है ।

लिए अनुमानित आधार पर किए गए ₹1500.00 लाख के प्रावधान के संबंध में नोट संख्या (27) (XVI) (ग)। अनुबंधित कर्मचारियों के मामले में इस प्रावधान में पिछले वर्ष की अवधि की ₹203.86 लाख की राशि शामिल है।

5. वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी समाधान के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान तथा उनके परिणामी समायोजनों के संबंध में नोट संख्या 27 (XVI) (घ)। — अनुपालन के लिए नोट किया गया है ।

उपर्युक्त मामलों के लिए हमारे सुझाव अर्हताप्राप्त नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4क) के उपबंधों के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनिज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर, 2003 में की अपेक्षाओं के अनुसरण में हम आदेश के पैराग्राफ 4 से 5 में विर्निदिष्ट मामलों की एक विवरणी अनुबंध के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3) के अनुसरण में हम यह सूचित करते हैं कि: — अनुपालन के लिए नोट कर लिया

(क) मान्य सुझाव के आधार के पैराग्राफ में दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त ऑडिट उद्देश्य से हमारी जानकारी **तथा विश्वास के अनुसार अपेक्षित सारी सूचना तथा स्पष्टीकरण हमारे द्वारा प्राप्त किए गए हैं;**

(ख) हमारे विचारानुसार कम्पनी की लेखांकन पुस्तिकाओं की जांच से यह प्रतीत होता है कि कम्पनी द्वारा विधि के अनुसार अपेक्षित सभी पुस्तिकाओं, पश्चिम क्षेत्रों में स्टॉक रिकार्डो के अनुरक्षण के अलावा, का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा हमारे ऑडिट के उद्देश्य से पर्याप्त **उचित विवरणियां हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं (पश्चिम क्षेत्रों) से हमें प्राप्त हुई हैं। शाखा के ऑडिटर** की दिनांक 27 अगस्त, 2013 की पश्चिम क्षेत्रों से सम्बद्ध रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा उस पर उचित कार्रवाई हुई है; — कोई टिप्पणी नहीं

(ग) इस रिपोर्ट के लिए अपेक्षित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रवाह की विवरणियां लेखांकन — कोई टिप्पणी नहीं

पुस्तिकाओं एवं हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त ऑडिट विवरणियों से समर्थित हैं;

(घ) मान्य सुझाव के आधार के पैराग्राफ के पैराग्राफ 5, 6 तथा 8 में विनिर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त हमारे विचारानुसार तुलन पत्र, लाभ एवं हानि तथा नकदी प्रवाह की विवरणियां अधिनियम की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसरण में हैं;	पैरा 5, 6 तथा 8 के संबंध में ऑडिट की टिप्पणिों पर ऊपर विस्तार से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है ।
(ड़) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 22.03.2002 के सामान्य परिपत्र संख्या 8/2002 के परिप्रेक्ष्य में सरकारी कम्पनियां को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) के प्रावधानों की प्रयोज्यता के प्रति छूट प्राप्त है ।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते खन्ना एवं आनंदम
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 1297-एन)

(आशीष अहलुवालिया)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 088514

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 30.10.2013

आडिटर्स की रिपोर्ट का अनुबंध
पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली

प्रबंधन का उत्तर

(हमारी समान तिथि के ऑडिट रिपोर्ट के संदर्भ में)

हमारे मतानुसार तथा हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी के व्यवसाय/वर्ष के दौरान गतिविधियों के आधार पर आदेश की पैराग्राफ 4 की निम्नलिखित धाराएं कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं

कोई टिप्पणी नहीं

धारा संख्या	संक्षिप्त सार
vi	जनता से जमाराशि की प्राप्ति
viii	लागत रिकार्डों का अनुरक्षण
xii	शेयरों तथा लाभांशों इत्यादि को बंधक रखते हुए ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना
xiii	चिटफंड/ म्यूचल फंड/ सोसाइटियों से संबंधित धारा
xiv	शेयर, लाभांश इत्यादि में ट्रेडिंग
xv	बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से अन्यों द्वारा प्राप्त ऋणों की प्रतिभूति देने
xviii	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत पार्टियों तथा कम्पनियों को शेयरों का अधिमान्य आवंटन
xix	पिछले वर्ष के दौरान लाभांश जारी करना
xx	पब्लिक इश्यू के माध्यम से धनार्जन

अन्य धाराओं के संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं: -

(i) अचल सम्पतियों के संबंध में:

(क) कम्पनी द्वारा अचल सम्पतियों के मात्रात्मक एवं स्थिति के विवरण पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित अनुरक्षण किया गया है तथा इस रिकार्ड में केवल पश्चिम क्षेत्र के मामले में ऐसे रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

इनका समेकन किया जा रहा है ।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर निगमित कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्र की अचल सम्पतियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है । तथापि भौतिक रूप से सत्यापित की गई अचल सम्पतियों का कुल मूल्य हमें उपलब्ध नहीं करवाया गया है। भौतिक रूप

शीघ्र ही पूरी होने की आशा है।

पश्चिम क्षेत्र में अचल सम्पतियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अधिकांश मदों की वापसी हो चुकी है ।

	से सत्यापित अचल सम्पतियों की पुस्तिका शेष से समाधान की प्रक्रिया की जा रही है। पश्चिम क्षेत्र के मामले में अचल सम्पतियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति पर है और अभी पूरी नहीं हुई है।	
(ग)	हमारे विचारानुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अचल सम्पतियों के एक संपोषित भाग का निपटान नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं

(ii) इसकी मालसूचियों के संबंध में:

	(क) हमें प्रदान की सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान केवल वेस्टलैंड हैलिकॉप्टर्स के भण्डारण एवं पुर्जों की मालसूची के अतिरिक्त मालसूची के संबध में नियमित अंतरालों पर भौतिक सत्यापन किया गया है। पश्चिम क्षेत्र के मामले में मुख्य भण्डारों में रखे गए उच्च मूल्य की भण्डारण मदों एवं पुर्जों का प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। मुख्य भण्डार में रखी गई अन्य मदों के लिए पश्चिम क्षेत्र ने भंडारण तथा पुर्जों की ऐसी मदों के लिए पिछले तीन वर्षों से जारी सत्यापन के कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है तथा तदनुसार ऐसी मदों की मालसूची का सत्यापन भी वर्ष के अंत में किया जाता है । भण्डार एवं पूर्जों के विलगित स्टॉक के मामलों के लिए ऐसे मामलों पर मुम्बई में कार्रवाई होती है तथा वर्ष के अंत में विलगित भण्डार एवं पूर्जों का रिकार्ड संबंधित डिटैचमेंट से प्राप्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर रखा जाता है अत: इसके नियंत्रण की व्यवस्था परिसीमित है ।	कोई टिप्पणी नहीं डिटैचमेंटों पर सामग्री मूवमेंट के संबंध में सख्त नियंत्रण प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
(ख)	हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष में नियमित अंतराल के दौरान मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र में उच्च मूल्य की मदों का भौतिक सत्यापन केवल वर्ष के अंत में जाता है तथा अन्य मालसूचियों का सत्यापन तीन वर्षों में एक बार	अनुपालन के लिए नोट किया गया।

	किया जाता है अत: मालसूचियों के केवल एक ही भाग का वर्ष के अंत में सत्यापन किया गया था। विभिन्न विलगन स्थलों पर उपलब्ध मालसूचियों का सत्यापन वर्ष के अंत में किया जाता है। **हमारे विचारानुसार मालसूचियों के सत्यापन की प्रक्रिया औचित्यपरक है परन्तु इसमें सुधार किया जाना चाहिए।**	
(ग)	हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा मालसूचियों के उचित रिकार्ड का अनुरक्षण कर रही है तथा भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में लाई गई अनियमितताओं, जो महत्वपूर्ण नहीं पाई गई हैं, के संबंध में लेखा पुस्तिकाओं में उचित व्यवस्था की गई है। **तथापि पश्चिमी क्षेत्र में, डिटैचमेंट के संबंध में उचित रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिससे अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। मालसूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में लाई गई अनियमितताओं को काफी लम्बे से पुस्तिकाओं में समायोजित नहीं किया गया है। तथापि, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों के लिए पुस्तिकाओं में तदर्थ प्रावधान किए गए हैं।**	अनुपालन के लिए नोट किया गया
(iii)	प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों तथा दिए गए रिकार्ड के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में कोई पार्टियां कवर नहीं हैं । तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 की धारा (iii) (क) से (iii) (छ) लागू नहीं होती है ।	कोई टिप्पणी नहीं
(iv)	हमारे मतानुसार तथा हमें उपलब्ध करवाई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची एवं चल सम्पति की खरीद तथा सामान एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के व्यवसाय एवं आकार के सम्मेय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है। हमारे द्वारा ऑडिट किए जाने के दौरान आंतरिक नियंत्रण के संबंध में कोई प्रमुख खामी हमारे ध्यान में हमारे ध्यान में नहीं आई है ।	कोई टिप्पणी नहीं
(v) क)	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसरण में रजिस्टरों में ठेकों अथवा व्यवस्थाओं	कोई टिप्पणी नहीं

से संबंधित आवश्यक विवरण उचित रूप से भरा गया है ।

ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे ठेकों तथा व्यवस्थाओं के संबंध में सौदे उस मूल्य पर किए गए हैं जो तत्समय के दौरान प्रचलित बाजार के लिए उचित थे।

कोई टिप्पणी नहीं

(vii) **हमारे विचारानुसार कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कम्पनी में आंतरिक ऑडिट व्यवस्था नहीं है। आंतरिक ऑडिट के कार्यकलाप सनदी लेखाकारों की दो फर्मों से बाहरी स्त्रोत के रूप में करवाए जाते हैं जो अर्द्ध वार्षिक आधार पर आंतरिक ऑडिट करती हैं। आंतरिक सुधार कार्रवाई में देरी होती है। कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा प्रबंधन को नियमित आधार पर प्रस्तुत की जाती है ।**

पूर्ववर्ती अवधि से क्षेत्रों के अनुवर्ती ऑडिट का प्रस्ताव किया गया है ।

(ix) तदनुसार हमें श्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा श्रस्तुत पुस्तिका एवं रिकार्ड तथा हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार हमारे मतानुसार

(क) कम्पनी द्वारा सामान्यत: भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सम्पदा कर, उत्पाद शुल्क, अधिभार तथा उचित प्राधिकरणों द्वारा लागू अन्य सामग्री वैधानिक देयताओं जैसी निर्वादित विधिक देयताओं का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है ।

कोई टिप्पणी नहीं

(ख) जमा न करवाई गई निर्वादित विधिक देयताओं की मालसूची नीचे प्रस्तुत की गई है:

नोट संख्या 27(II) में इस राशि को आकस्मिक देयता के रूप में विचार में लाया गया है।

मांग की प्रकृति	**वित्तीय वर्ष**	**राशि** (₹लाख में)	**किस फॉरम के लिए बकाया निर्वादित है**
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2006-07	818.96	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2007-08	784.71	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2008-09	853.63	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सीएसटी, ब्याज एवं जुर्माना	2009-10	735.41	व्यवसाय एवं कर आयुक्त, दिल्ली
	योग	**31927.12**	

आय कर मामलों के संबंध में नोट संख्या XVIII की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसमें उल्लिखित कारणों से जमा न किए गए विवादित आय कर की प्रमात्रा की जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है।

(x)	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति के अनुसार कम्पनी को कोई संचित हानि नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष की उस तारीख को दिन तक तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कम्पनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xi)	हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा किसी बैंक, ओएनजीसी तथा एनटीपीसी से प्राप्त ऋणों की देयताओं के पुनर्भुगतान के संबंध में कोई चूक नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvi)	हमारे मतानुसार तथा हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋण के उद्देश्य से दिए गए आवेदन पर ऋण की प्राप्ति हो गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvii)	हमारी जानकारी तथा हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा अल्प कालिक आधार पर कोई निधि तैयार नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xxi)	हमारी जानकारी तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी के विरूद्ध अथवा कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की धोखेबाजी की सूचना प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते खन्ना एवं आनंदम
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 1297-एन)

(आशीष अहलुवालिया)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 088514

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 30.10.2013

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड के लेखों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय रिर्पोटिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619(2) के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक ऑडिटर्स इन वित्तीय रिपोर्टों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र ऑडिट पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 30 अक्तूबर, 2013 की ऑडिट रिपोर्ट ऐसा किए जाने का उल्लेख किया गया है ।

मैंनें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक ऑडिट किया है । अनुपूरक ऑडिट स्वतंत्र रूप से वैधानिक ऑडिटरों के कार्य सम्बद्ध दस्तावेजों तक पहुंच बनाए बिना किया गया है तथा प्रमुखत: (कोलन) यह वैधानिक ऑडिटरों एवं कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिन्दा लेखांकन रिकार्डों की जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा उल्लेखनीय नहीं आया है जिसके संबंध में कोई टिप्पणी की जा सके अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत वैधानिक ऑडिटरों की रिपोर्ट में अनुपूरक किया जा सके ।

कृते तथा की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
वाणिज्यिक ऑडिट के प्रधान निदेशक
तथा पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-I
नई दिल्ली ।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 6 दिसम्बर, 2013